शनिवार, 27 फ़रवरी 1982

8 फाल्गुन 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवाँ सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद विवाद का हिन्दी संस्करण

शनिवार, 27 फरवरी, 1982/8 फाल्गुन, 1903 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 26, ऊपर से पंक्ति 4 में "प्रस्ता" के स्थान पर "प्रस्ताव" पढ़िए ।

पृष्ठ 27, नीचे से पंक्ति 2 में "संगेर" के स्थान पर "मुंगेर" पढ़िए ।

पृष्ठ 58, में नीचे से आठवीं पंक्ति में "खून देने के बाद" के स्थान पर "भारी कर लगाने के बाद" पढ़िए ।

पृष्ठ 69 में नीचे से चौथी पंक्ति में "समो की टाइप" के स्थान पर "स्मोकिंग पाइप" पढ़िए ।

पृष्ठ 71 मे शीर्षक "वित्त विधेयक, 1982" के स्थान पर "वित्त विधेयक 1982^x पढ़िए ।

पृष्ठ 71 में नीचे से पांचवीं पंक्ति में "पुर:स्थापित" के स्थान पर "पुर:स्थापित ^xx " पढ़िए और निम्नलिखित पाद-टिप्पणियां जोड़िए :

x दिनांक 27 फरवरी, 1982 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2 खंड 2 में प्रकाशित ।

xx राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित ।

विषय-सूची

अंक 7, शनिवार, 27 फरवरी, 1982/8 फाल्गुन, 1903 (शक)

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	1–2
सभा पटल पर रखे गये पत्र	2–7
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
आलू और गन्ने के लाभप्रद मूल्य बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम—	
श्री रामावतार शास्त्री	7–17
राव वीरेन्द्र सिंह	7–20
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	11–18
श्री हरीश रावत	14–20
सामान्य बजट प्रस्तुत किये जाने के बारे में घोषणा	21
बजट के पश्चात सम्वाद्-दाताओं से बातचीत के बारे में वक्तव्य	21
सभा का कार्य	21–25
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—	
श्री सुन्दर सिंह	26–27
श्री डी० पी० यादव	27–31
श्री गुलाम नबी आजाद	31–34
श्री संतोष मोहन देव	34–37
श्री जी० एम० बनातवाला	37–40
श्री महेन्द्र प्रसाद	40–43
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	43–44
श्री राम प्रसाद अहिरवार	44–45
श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी	45–48
सामान्य बजट, 1982-83—	
श्री प्रणव मुखर्जी	49–71
वित्त विधेयक, 1982 पुरःस्थापित	71

लोक सभा

शनिवार, 27 फरवरी, 1982/8 फाल्गुन, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप फैसला कर लीजिए, कौन बात करेगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है और हाल ही में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि सदन को इस पर चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : किस लिए ?

(व्यवधान)

आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं सदन में उपस्थित नहीं हो सका। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। जब से सत्र आरंभ हुआ है तब से मैंने कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश नहीं की। महोदय, मैं कहना चाहता हूं.... **(व्यवधान)** हमारा आरोप यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के लिए केन्द्रीय सरकार खुले आम एक विशिष्ट राजनैतिक दल कांग्रेस (आई) के साथ सांठगांठ कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही कारण है कि उद्देश्य बहुत स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह ऐसा मामला है जो संसदीय .....से जुड़ा हुआ है .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं फैसला नहीं कर सकता, मैं निर्णय नहीं ले सकता।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, उन्हें कार्यवाही में दखल नहीं देना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता.....

(व्यवधान)

मैं उस मामले पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता, जो सर्वोच्च न्यायालय में हैं।

(व्यवधान)

यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। यह सरकार इलेक्शन कमीशन को समर्थन देगी या नहीं ? इलेक्शन कमीशन की अथारिटी का विरोध किया जा रहा है। इलेक्शन जल्दी से जल्दी होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देगा तब इलेक्शन कमीशन के कहने से बात चलेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने किसी मामले का जिक्र नहीं किया है। यह मामला अत्याधिक महत्व का है।

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

इन्डीयन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1980–81 का वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1980–81 का प्रतिवेदन और समीक्षा और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं ये पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीनों की निर्धारित अवधि के अंदर सभा पटल पर रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० जी० 3395/82]

(2) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीनों की निर्धारित अवधि के अंदर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3396/82]

(3) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) उल्लेखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3397/82]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे धौंस नहीं दे सकते। नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : आप ने हम को सुना नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : और कोई बात नहीं है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : ऐसे कैसे पता चलेगा ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : आप इस पर चर्चा कैसे कर सकते है। मामला न्यायालय में है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा समाधान होने दीजिए। आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने अनुमति नहीं दी है। मैं स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री रामावतार शास्त्री

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्री चटर्जी को अपना अनुरोध पूरा करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी की बात सुन ली है। उसमें स्थगन प्रस्ताव की कोई बात नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने के लिए एक मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप कह सकते हो।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने किसी न्यायालय के किसी मुकदमे का जिक्र नहीं किया है। मैंने कहा है, यह इस देश में संसदीय लोक तंत्र के भविष्य का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : वह यहां बहुत सुरक्षित है।

(व्यवधान)**

लोग ही वास्तविक शासक होते हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जहां हारेंगे वहां चुनाव नहीं कराएंगे।

अध्यक्ष महोदय : चुनाव होगा, ऐसा कैसे हो सकता है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : गढ़वाल में क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : जब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी, तब कुछ होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने सर्वोच्च न्यायालय का तनिक भी जिक्र नहीं किया। मैं यह कह रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार ऐसा रवैया अपना रही है जिससे निश्चय ही चुनाव स्थगित होंगे। वे चुनाव स्थगित करना चाहते हैं और यही कारण है कि वे कांग्रेस (आई) के साथ सांठ-गांठ कर रहे हैं और उस उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। क्या संसदीय लोकतंत्र को चलाने का यही तरीका है ? यह संविधान की भावना के विरुद्ध है। (व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह मेरी अनुमति के बिना है। इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : आप सुनते क्यों नहीं ? वह बंगाल के सदस्य हैं। वह कुछ निवेदन करना चाहते हैं। मैं आप से निवेदन करता हूं कि उन्हें सुनिए और उस पर अपना मत प्रकट कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने किसी कोर्ट की कार्यवाही का जिक्र नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, 24 जून को वर्तमान पश्चिम बंगाल विधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया सुनिए। आप जानते हैं कि चुनाव प्रक्रिया पूरा करने के लिए कम से कम चालिस दिन का समय चाहिए। हमने देखा है कि कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। मैं उस कार्यवाही की बात नहीं कर रहा हूं। केन्द्रीय सरकार का क्या रवैया होना चाहिए। चुनाव आयोग चुनाव कराने का प्रयत्न कर रहा है और चुनाव कराने के लिए कदम उठा रहा है। जब चुनाव आयोग चुनाव कराने का प्रयत्न कर रहा है, तब केन्द्रीय सरकार.....
.....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ये जो कुछ भी कहेंगे वह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब चुनाव आयोग कदम उठा रहा है, तो केंद्रिय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह चुनाव आयोग की सहायता करे और यह सुनिश्चित करे कि चुनाव ठीक समय पर हों ताकि.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा वही माना जायगा।

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने मामले के गुणों अवगुणों की बातें नहीं की है। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि केन्द्रीय सरकार और कांग्रेस (आई) के बीच स्पष्टत: सांठ-गांठ बनी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं; कुछ नहीं हो रहा। श्री रामावतार शास्त्री

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या देश का शासन चलाने का यही तरीका है ?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा भी एक मोशन है। आपने शायद उस को पढ़ा नहीं। मैंने भी एडजार्नमेंट मोशन दिया है, आपने उसको पढा भी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देखा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कहां पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : केन्द्रीय सरकार या तो समर्थन कर सकती है या विरोध। **(व्यवधान)** जब चुनाव आयोग चुनाव कराने का प्रयत्न कर रहा है, तो केन्द्रीय सरकार या तो उसका समर्थन कर सकती है या विरोध। क्या देश का शासन चलाने का यही तरीका है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एटर्नी जनरल के क्या इंस्ट्रक्शनस दिए गए। एटर्नी जनरल सेन्टर का आदमी है। उसका कांस्टीट्यूशन में स्थान है। इलेक्शनस के मामले में एटर्नी जनरल को क्या इंस्ट्रक्शनस दिए गए हैं, यह ला मिनिस्टर साहब बताएं। सरकार का काम है चुनाव जल्दी कराना और इलेक्शन कमीशन की मदद करना मगर इलेक्शन टाले जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वह मान्य होगा।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या वह पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना चाहते हैं या नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह एक साधारण सा प्रश्न है। क्या वे पश्चिम बंगाल में चुनाव चाहते है या नही? **(व्यवधान)** ...वे चुनाव कराना नहीं चाहते।

मेरा विनम्र निवेदन है कि अटर्नी जनरल की क्या भूमिका है। उन्होंने कहा है कि वह न तो इसके पक्ष में है और न इसके विरोध में। इसका अर्थ है केन्द्रीय सरकार तटस्थ है। क्या केन्द्रीय सरकार ऐसा कदम उठा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : सर्वोच्च न्यायालय निस्पक्ष है। सर्वोच्च न्यायालय को इसका निर्णय करना है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं सर्वोच्च न्यायालय का बहुत आदर करता हूं। लेकिन महान्यायवादी की क्या भूमिका है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता और न्याय पर पूरा विश्वास है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कांग्रेस (आई) के वरिष्ठ संसद सदस्य लिखते रहे हैं.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान शास्त्री, क्या आप ध्यानकर्षण प्रस्ताव रखने जा रहे है या नहीं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सारे ही होंगे।

(व्यवधान)

रूकेंगे कैसे, इलेक्शनस तो होंगे।

(व्यवधान)

इलेक्शन्स कैसे रूकेंगे।

(व्यवधान)

आप तो वहां राज कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कोई राष्ट्रपति शासन नहीं, कोई उद्घोषणा नहीं । वे लोगों के पास जायें और उनका आदेश प्राप्त करें ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे जो कुछ भी कह रहे हैं, मेरी अनुमति के बिना कह रहे हैं । इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए । मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है । मैंने सिर्फ श्री सोमनाथ चटर्जी को अनुमति दी है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनमें चुनावों का सामना करने का साहस नहीं है । वे लोगों की उपेक्षा करना चाहते हैं **(व्यवधान)****यह बहुत आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार को इस बारे में विशिष्ट निर्णय लेना चाहिए । वे यह नहीं कह सकते कि वे तटस्थ हैं । वे कैसे कह सकते है कि वे तटस्थ हैं ? **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सलाह चाहता हूँ । इलेक्शन कमीशन इस सदन में आकर अपनी बात नहीं कह सकता । यदि इलेक्शन कमीशन पर बाहर मुकदमा होता है या हमला होता है तो इस सरकार का रवैया उसकी मदद करने का होना चाहिए या उसके रास्ते में रुकावट का ?

अध्यक्ष महोदय : सर्वोच्च न्यायालय निष्पक्ष है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सुप्रीम कोर्ट में अटर्नी जनरल ने कोई स्टैण्ड नहीं लिया है ।

प्रो० मधु दंडवते : इसका कोई तरीका हो सकता है । आप इस विषय पर चर्चा की अनुमति क्यों नहीं देते ? मेरा सुझाव है कि कृपया इस विषय पर चर्चा की अनुमति दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : किस लिए ?

प्रो० मधु दंडवते : लोकतंत्रीय कार्यवाही के समाप्त किये जाने और पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने के बारे में ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है मैं इस पर किसी चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)

यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास है । मैं यहां इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : सर्वोच्च न्यायालय को बीच में लाए बिना चर्चा करने में क्या कठिनाई है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

कुछ नहीं । चुनाव आयोग पर कोई चर्चा नहीं होगी, सर्वोच्च न्यायालय पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : क्या आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करने जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया इस मामले पर चर्चा करने की अनुमति दीजिए । **(व्यवधान)** क्या आप उसे देखना चाहते हैं जो श्री ए० के० सेन ने कहा है । उससे रहस्योद्घाटन हो सकता है । श्री ए० के० सेन ने सर्वोच्च न्यायालय में जो कहा है वह आपको पढ़ना चाहिए। मैं उसे आप को दूंगा **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सर्वोच्च न्यायालय के विषय में बात नहीं करूंगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप कम से कम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की अनुमति दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसका हवाला राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान दे सकते हैं । अब जो आगुमेंट दे रहे हैं उस बहस में भी आप उनको दे सकते हैं । लेकिन न नाम इलैक्शन कमीशन का और न ही सुप्रीम कोर्ट का लें । उनको मैं टच नहीं करूंगा ।

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नही किया गया ।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपका यह विनिर्णय है कि जब तक सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है तब तक यहाँ किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती ? अगर आप एडजर्नमेंट मोशन या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नहीं लेना चाहते हैं तो हम लोगों का यह सुझाव है कि किसी न किसी तरह से आप इस पर डिस्कशन एलाउ...

अध्यक्ष महोदय : मंगलवार को बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है, आप आइये, वहां बात करिये। मैं कुछ भी कमिट नहीं कर सकता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप वहां पर इस पर बातचीत करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कह सकता।

प्रो० मधु दंडवते : इस पर विचार कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस समस्या के पक्ष तथा विपक्ष दोनों देखने हैं। जब तक यह उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तब तक हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। जहाँ तक चुनाव आयोग का सम्बन्ध है हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मानूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसको पूर्ण रूप से मानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में आप जो चाहे कह सकते हैं। हम वहाँ चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप यह आश्वासन देते हैं कि हम इस पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई वचन नहीं दे सकता।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप इसकी कार्य मंत्रणा समिति को सिफारिश करेंगे ? हम आपके सुझाव को मान सकते हैं कि हम उच्चतम न्यायालय या चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं करेंगे। परन्तु उन पर चर्चा को छोड़कर कार्य मंत्रणा समिति में इस विषय पर चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी नोटिस आप मुझे देंगे उस पर मैं गम्भीरता से विचार करूंगा। मंगलवार को मीटिंग हो रही है। आप भी होंगे, मैं भी वहां हूंगा। हम वहां बात कर सकते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह देश के किसी भी भाग में चुनाव न कराने का केन्द्रीय सरकार का षड़यन्त्र है।

अध्यक्ष महोदय : हिन्दुस्तान की जनता कांस्पिरेसी नहीं चलने दे सकती है। मैं जनता में विश्वास रखता हूं। हिन्दुस्तान की जनता बहुत जागरूक है।

श्री अटल बिहारी वाजपयी : जनता तो इधर बैठी हुई है। आप जनता की बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आप भी यहां रहेंगे हम भी यहां रहेंगे। चुनाव कब होता है, देख लीजियेगा।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री रामावतार शास्त्री।

श्री रामावतार शास्त्री : जिस तरीके से यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, उसके बारे में मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। आपने ब्रेकिट में कर दिया है "फैक्ट्रियों को की जाने वाली सप्लाई को छोड़ कर।" इसका मतलब यह है कि आपने इसके क्षेत्र को महदूद कर दिया है। गन्ना फैक्ट्रियों को भी सप्लाई होता है। खांडसारी के लिए भी जाता है। वहां भी मूल्य का सवाल है। यह कैसे आपने कर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : जिन्होंने सूचना दी होगी, सब सोच कर ही दी होगी। देने वालों ने सब बातें सोच ली होंगी। यह तो करो और उसको भी ले आओ। गन्ना खांडसारी में भी जाता है कोल्हू पर भी जाता है। उस गन्ने के भाव फैक्ट्रियों में जाने वाले गन्ने से कम होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा।

श्री रामावतार शास्त्री : सब के कम हैं। आप तो किसान के हितैषी हैं।

अध्यक्ष महोदय : यों मत सोचिये। उसको भी आप ले आइये। आप तो बाल की खाल निकाल रहे हैं। इससे कुछ नहीं मिलेगा।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : बाल की खाल नहीं गन्ना छील रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बात करिए। मुझे पता है सब ठीक हो रहा है।

श्री सुब्रहमण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : किसान के लिए किसी को हमदर्दी नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह तो तब पता चल गया जब अभी आप चुप बैठे हुए थे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आलू और गन्ने के लाभप्रद मूल्य बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे उस पर वक्तव्य देने का निवेदन करता हूं :--

"इस समय आलू तथा गन्ने (फैक्टरियों को की जाने वाली सप्लाई को छोड़कर) की बहुत कम कीमत पर बिक्री होने के कारण किसानों को तबाह होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा इनके लाभकारी मूल्य बनाये रखने के लिये उठाये गये कदम"

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : इस सरकार की कृषि मूल्य नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिले। यह कृषि विकास के लिए जरूरी है जो कि एक मूल उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि कृषि मूल्य आयोग उत्पादकों द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने और भूमि, जल तथा उत्पादन के अन्य संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता तथा जीवन-स्तर, मजदूरी के स्तर आदि पर मूल्य नीति के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कृषि जिन्सों के अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्यों के संबंध में सिफारिशें करता है। किसी जिन्स के संबंध में मूल्यों की सिफारिश करते समय आयोग अन्य बातों के साथ-साथ, पिछले वर्ष निर्धारित किए गए मूल्यों, बाजार मूल्यों के रुख, उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति, संबंधित जिन्स की उत्पादन लागत के नवीनतम उपलब्ध अनुमानों को भी ध्यान में रखता है। सरकार ने मार्च, 1980 में कृषि मूल्य आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधन किया था। इसमें जोड़ा गया एक महत्वपूर्ण विषय यह था कि कृषि मूल्य आयोग अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों को भी ध्यान में रखेगा। कृषि मूल्य नीति तैयार करने के मामले में पिछले वर्ष से यह ध्यान देने की खास बात रही है।

जहां तक गन्ने का संबंध है, केन्द्रीय सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत चीनी मिलों द्वारा दिए जाने वाले सांविधिक न्यूनतम मूल्यों को निर्धारित करती है। गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाए जाने वाले मुख्य मानदण्ड में गन्ने की उत्पादन लागत, उत्पादकों को वैकल्पिक फसलों से प्राप्त होने वाली आय तथा कृषि जिन्सों के मूल्यों का सामान्य रुख, गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध होने वाली चीनी शामिल है। सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले सांविधिक न्यूनतम मूल्य केवल समर्थन मूल्य होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक उत्पादन की अवधि में किसानों को कोई नुकसान न हो। वर्ष 1979-80 में गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 12.5 रुपए प्रति क्विंटल था। बाद के दो वर्षों में सांविधिक न्यूनतम मूल्य 13 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। तथापि यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा सोच समझकर बनाई गई नीति के कारण चीनी मिलों द्वारा उत्पादकों को गन्ने के लिए दिए गए मूल्य समर्थन मूल्य से काफी अधिक रहे। पिछले वर्ष गन्ने का प्रति क्विंटल मूल्य 16.50 रुपए से 28 रुपए के बीच रहा। चालू वर्ष में भी जबकि हमारे पास गन्ने की भरपूर फसल है, चीनी मिलों द्वारा दिए जाने वाले मूल्य तकरीबन पिछले वर्ष के मूल्य के बराबर हैं। गन्ने के और अधिक उपयोग तथा अच्छे मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए 1981 की आखिरी तिमाही में सरकार द्वारा चीनी मिलों को जल्दी पेराई करने के लिए प्रोत्साहन दिये गये थे। अब सरकार गन्ने की देरी तक पेराई करने के लिए भी चीनी मिलों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है। चीनी का बफर स्टाक तैयार करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

सरकार गन्ने की स्थिति पर लगातार चौकसी रख रही है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार को इस संबंध में अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि चीनी मिलें, उन्हें सप्लाई किये जा रहे गन्ने को स्वीकार नहीं कर सकी हों। चीनी मिलों द्वारा प्रस्तावित गन्ने का मल्य सरकार की गन्ने की मूल्य नीति का मुख्य आधार होता है।

[राव विरेन्द्र सिंह]

अत: किसानों और देश के सर्वाधिक हित में इसका उपयोग करने के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। इस समय हमारा अनुमान है कि यदि पिछले वर्ष के 515 लाख मीटरी टन की तुलना में चीनी की मिलों द्वारा गन्ने की कुल खरीद बढ़ाकर लगभग 700 लाख मीटरी टन के स्तर तक कर दी जाए तो गुड़ और खांडसारी क्षेत्र के लिए बचे गन्ने की आपूर्ति में पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा अन्तर नहीं होगा। अत: मौजूदा अनुमान के अनुसार, ऐसी संभावना प्रतीत नहीं होती है कि सामान्य रूप में गन्ना उत्पादकों को गन्ने के संबंध में अलाभकारी आय की स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

आलू के मामले में भी, सरकार उत्पादन और मूल्य स्थिति के बारे में पूरी तरह जागरुक है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, चालू वर्ष में आलू का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 10 प्रतिशत से भी अधिक होगा। उत्तरी राज्यों में आलू की अधिकांश खुदाई जनवरी और फरवरी में की जाती है और आपूर्ति काफी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, इस समय मण्डी में जो आलू आता है वह लम्बे अर्से तक भण्डारण के लिए काफी पका नहीं होता है। अत: इसे चालू बिक्री के लिये बाजार में लाना होता है। पिछले अनुभव से पता चलता है कि यदि अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों से जिन्स आनी बन्द हो जाए तो मूल्यों में बढ़ोत्तरी हो जाती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कृषि मंत्रालय ने आलू पैदा करने वाले क्षेत्रों से इसकी ढुलाई करने के लिये पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध कराने के लिये रेलवे से सम्पर्क स्थापित किया था। उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि जल्दी खराब होने वाली जिन्सों की ढुलाई रियायती भाड़े पर की जानी चाहिए और उनके लिये विशेष गाड़ियां रखी जा सकती हैं। रेल मंत्रालय ने पूरा सहयोग दिया है और आलू के लाने ले जाने के लिये, वैगनों की कमी की कोई शिकायतें नहीं हैं।

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : हाल ही में मुझे एक तार मिला है कि वैगन उपलब्ध नहीं है। वह कहते हैं कि वैगनों की कमी की कोई शिकायत नहीं है।

राव वीरेन्द्र सिंह : शिकायत आप तक पहुंची होगी, मेरे पास नहीं पहुंची है। अब आपने बताया है, तो मैं आपसे पूछ लूंगा। श्री वाजपेयी को व्यापारियों का ज्यादा पता है। व्यापारियों की शिकायत होगी, फ़ार्मर्ज़ की नहीं।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह लांछन लगा रहे हैं। मुझे व्यापारियों का भी पता है और किसानों का भी पता है, लेकिन इस सरकार का पता नहीं है।

राव वीरेन्द्र सिंह : किसी व्यापारी का आलू रूक गया होगा। उसने तार भेज दिया होगा।

पिछले कुछ सप्ताहों में आलू की मूल्य स्थिति पर लगातार निगरानी रखने से पता चला कि इस जिन्स के लिये विपणन समर्थन की आवश्यकता है। मेरे निर्देश पर मेरे मंत्रालय और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में आलू पैदा करने वाले क्षेत्रों का दौरा किया। इसके पश्चात् स्थिति का जायजा लेने के लिए मेरे मंत्रालय में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की सरकारों के संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी। बैठक में यह निर्णय किया गया कि नाफेड और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में से प्रत्येक संस्था उत्तर प्रदेश में, प्रदेश सहकारी संघ के माध्यम से प्रतिदिन 100 मीटरी टन की खरीद करेगी। यह भी फैसला किया गया कि प्रदेश सहकारी संघ भी प्रतिदिन 100 मीटरी टन आलू खरीदेगा। आशा है कि प्रतिदिन 300 मीटरी टन की इस खरीद से उत्तर प्रदेश में आलू की कीमत स्थिर हो जाएगी। इसी प्रकार नाफेड और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मार्कफेड, पंजाब के माध्यम से प्रतिदिन क्रमश: 100 मीटरी टन और 50 मीटरी टन की खरीद करेंगे। हरियाणा में भी राज्य विपणन संघ आलू की खरीद कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं कि निजी और सहकारी दोनों क्षेत्रों में भण्डारण योग्य मात्रा शीतागारों को भेजी जाए। हमें आशा है कि सरकार द्वारा किये गये इन उपायों से आलू पैदा करने वाले कम कीमत पर बिक्री करना रोक देंगे। स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और यदि आवश्यकता हुई तो उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिये और उपाय भी किये जायेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक बहुत ही बड़ा वक्तव्य यहां पर पढ़ा...

राव वीरेन्द्र सिंह : आपकी तसल्ली तो फिर भी नहीं हुई।

श्री रामावतार शास्त्री : ...और केवल सिद्धान्त की बात की। इससे यह पता नहीं चलता कि गन्ना और आलू पैदा करने में किसानों का कितना खर्च होता है। मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहिए था। यह बात इस वक्तव्य में कहीं नहीं है। यों तो यह सरकार किसानों के लिए गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती है। उसके अलावा राष्ट्रपति जी ने जो टिप्पणी की है वह भी आपने अखबार में पढ़ी होगी। कभी कभी हमारे अध्यक्ष जी भी किसानों के समर्थन में टिप्पणी करते हैं, वह भी आपने पढ़ी होगी। मैं यह समझ रहा था कि आप यह भी बतायेंगे कि एक क्विंटल चीनी पैदा करने में किसान को कितना खर्चा करना पड़ता है।

राव वीरेन्द्र सिंह : किसान चीनी पैदा नहीं करता है।

श्री रामावतार शास्त्री : वह ईख तो देता है। किसान को गन्ना पैदा करने में कितना खर्चा करना पड़ता है---यह आपने नहीं बताया।

आपने यह भी नहीं बताया कि एक कट्ठा जमीन में आलू पैदा करने में किसान को कितना खर्चा करना पड़ता है। अगर आप यह बताते तब हम भी किसी नतीजे पर पहुंच सकते थे। कहीं तो आपने लाभकर मूल्य कहा और कहीं समर्थन मूल्य कहा। लेकिन यह दोनों मूल्य एक नहीं हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आपने कह दिया कि इस आधार पर तय करते हैं, एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन यह करता है और नाफेड यह करता है---इस तरह के शब्दजाल में आपने फंसाने की कोशिश की। मैंने इस सम्बन्ध में किसानों के बीच काम करने वाले लोगों से बातचीत की है। बिहार में पूर्वी चम्पारन में चकिया में बिहार के गन्ना उत्पादक किसानों का एक सम्मेलन हुआ था जिसका सभापतित्व आपके पुराने मित्र, कांग्रेसी नेता (आज कांग्रेस (स०) के नेता), श्री राम लखन सिंह यादव ने किया था। वहां पर हजारों की तादाद में प्रतिनिधि आए हुए थे। वहां पर यह हिसाब लगाया गया कि एक क्विंटल गन्ना पैदा करने में किसान को 41 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आपने स्वयं कहा है कि पिछले साल आपने, यानी सरकार ने, कहीं साढ़े 12 रुपए और कहीं 13 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव तय किया था लेकिन किसानों ने आन्दोलन करके ज्यादा दाम ले लिए---कहीं 22 रुपए, कहीं 25 रुपए और कहीं 28 रुपए क्विंटल। इस पर आपने कहा कि 16 से 28 रुपए क्विंटल के दाम किसानों को मिले। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान को एक क्विंटल गन्ना पैदा करने पर 41 रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है लेकिन वह केवल 35 रुपए क्विंटल गन्ने का दाम तय करने के लिए सरकार से कह रहा है। जबकि उसका खर्चा 41 रुपए है और वह मांग 35 रुपए ही रहा है, उसको भी देने के लिए आप तैयार नहीं हैं।

एक क्विंटल ईख से 10 किलो चीनी तयार होती है। चीनी के सम्बन्ध में आपने दोहरी मूल्य नीति रखी हुई है। खुले बाजार में कम से कम 600 रुपए क्विंटल के भाव पर चीनी बिक रही है और राशन की दूकानों पर जो सरकारी दाम है वह 365 रुपए क्विंटल है। किसानों को आप एक क्विंटल चीनी के पीछे 205 रुपए देते हैं। आखिर यह इतना बड़ा मार्जिन किसकी जेब में जाता है ? निश्चित रूप से यह चीनी मिल-मालिकों की जेब में जाता है।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप लोग जिन्होंने कालिंग अटेन्शन दिया है, मुझ से मिले थे। यह जो सिद्धान्त की सारी बातें आप कर रहे हैं यह तो किसी बड़ी डिबेट के मौके पर आनी चाहिए। यह जो मसला आज है, जिस पर कालिंग अटेन्शन है, यह इसलिए एडमिट हुआ था कि आज जो गन्ना खाण्डसारी के लिए या गुड़ के लिए कोल्हू में जाता है उसका ठीक भाव नहीं मिल रहा है। आपकी यह बात सैद्धान्तिक है। आज के कालिंग एटेंशन का मकसद जो आलू ग्लट् हो गया था और उसकी प्राइस नहीं मिल रही थी, इस बारे में है। उनकी बचत के लिए आप सरकार का ध्यान आकर्षित करिए। हमारे यहां एक कहावत है---"होली पीछे घाघरो, मार खसम के सर में"---मतलब यह कि होली पीछे घाघरा लाकर दिया, तो उसका क्या करना है, उसको सर में मारो। आलू चला जाएगा, गन्ने का मौसम चला जाएगा, उसके बाद में प्रबन्ध हुआ तो उसका क्या फायदा है। उसके पहले प्रबन्ध कराना है, उसकी तरफ आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, आपने ठीक कहा, लेकिन जवाब उसी तरह से दिया गया है जिस तरह से मैं सवाल उठा रहा हूं। उन्होंने सारी बात कह दी कि यह सिद्धान्त है, वह सिद्धान्त है और लम्बी-चौड़ी बात कही। इसलिए इस बारे में कहना जरूरी था।

मैं भी यही बात कह रहा था कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा जो कीमत मिल रही है, उत्तर प्रदेश और बिहार में, वह है 20.50 रु०। पिछले साल 22.50 रु० मिली थी। उसमें भी अब कमी कर दी गयी। इसलिए इन बातों की रोशनी में मैं यह जानना चाहता हूं कि किसान को कीमत ठीक मिले, समर्थन मूल्य भी नीचे चला गया था, खाण्डसारी और कोल्हू वाले इलाके में आप समर्थन मूल्य भी नहीं दिलवा पा रहे हैं, इसकी गारन्टी आप कौन सी देना चाहते हैं, जिससे उनको समर्थन मूल्य भी मिले ? लाभकारी मूल्य की बात तो अलग है। इस बारे में तो बहस हम फिर कर लेंगे, लेकिन उनको समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है।

राव वीरेन्द्र सिंह : समर्थन मूल्य कितना है ?

श्री रामावतार शास्त्री : जो आपने तय किया है, वही है समर्थन मूल्य।

राव वीरेन्द्र सिंह : कितना मिलता है ?

श्री रामावतार शास्त्री : जैसा कि आपने बताया है कि कहीं 12 रु० है, कहीं 13 रु० है तथा कहीं पर 16 रु० से 28 रु० तक मिल रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या इन दोनों के बीच में कोई सीमा खींची जाएगी या नहीं या उससे भी कम खाण्डसारी और कोल्हू वाले किसानों को अपनी ईख बेचनी पड़ेगी--इस बारे में आप कौन सी ठोस कार्यवाही करना चाहते हैं ?

आप यह भी बताइए, अगर आप बता सकें, मैंने कई बार इस बारे में सवाल उठाया है, चीनी बनाने में, गुड़ और खाण्डसारी बनाने में तथा किसानों को ईख का उत्पादन करने में कितना खर्च होता है । यदि आप इन की कम्परेटिव फीगर्स देंगे, तो किसानों को भी बात समझ में आएगी और हम लोगों के भी समझ में यह बात आएगी । फिर हम आप से ठीक से बात कर सकेंगे, लेकिन अभी तो कोई बात समझ में नहीं आती है ।....(**व्यवधान**)....

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को 10 करोड़ रुपया बकाया है । आप कहते हैं कि दिलवायेंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिलाया है । इस बारे में आप क्यों नहीं ठोस कार्यवाही करना चाहते हैं ? हम लोग इस बारे में सवाल उठाते हैं, तो अध्यक्ष जी मना कर देते हैं । राष्ट्रीयकरण की बात बिहार और उत्तर प्रदेश की विधान सभाएं मान चुकी है । फिर भी आप मानते नहीं, पता नहीं इसके पीछे क्या राज है, यह राज तो आप ही जानते होंगे कि कहीं लेन-देन का राज होगा ।

अब मैं आपको आलू के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे यहां किसान को एक कट्ठा जमीन में आलू उपजाने में 137 रु० खर्च करना पड़ता है । जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

	रुपए
जोताई	10.00
बोआई	3.00
खाद	40.00
दवाई छिड़काव . . .	8.00
कोड़नी व निकौनी . . .	3.00
सिंचाई	10.00
बीज	60.00
आलू निकालते वक्त मजदूरी . .	3.00
कुल खर्च	137.00

यह तो आप जानते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में आलू बड़े पैमाने पर पैदा होता है । आलू का सबसे बड़ा केन्द्र बिहारशरीफ है, जहां से हमारे माननीय सदस्य श्री विजय कुमार यादव चुन कर आए हैं । पटना में भी बहुत बड़े पैमाने पर आलू की खेती होती है लेकिन उन का खर्च 137 रुपया होता है जब कि एक मन का 20 रुपए से अधिक भी उन को नहीं मिलता । एक कट्ठे में 5 मन आलू पैदा होता है, 20 रुपए मन के हिसाब से 100 रुपया उन को मिलता है जब कि वे उस के उत्पादन पर 137 रुपया खर्च कर रहे हैं ।

आप ने कह दिया कि "नाफेड" यह कर रहा है, दूसरे संगठन यह कर रहे हैं, लेकिन उन का जितना खर्चा होता है कम से कम उतना तो उन को दिलवाइये, मुनाफे की बात जाने दीजिये । मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं ?

अभी कहा गया कि आलू इधर-उधर भेजा जा रहा है, लेकिन वैगन्ज नहीं मिल रही हैं जिसके कारण आलू सड़ रहा है । वाजपेयी जी ने अभी इस सवाल को उठाया तो कह दिया गया कि वह व्यापारियों की बात कर रहे हैं । मैं व्यापारियों की बात नहीं करता हूं, लेकिन व्यापारियों के साथ अन्याय होगा, तो क्यों उनकी बात नहीं करूंगा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : व्यापारी किसान से नहीं खरीदेगा ।

श्री रामावतार शास्त्री : डिस्ट्रिक्ट-डिस्ट्रिक्ट में फर्क हो सकता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह आलू के बारे में नहीं है, सोवियत रशिया के बारे में है ।

श्री रामावतार शास्त्री : जब यहां सवाल उठाता हूं तो कहते हैं कि जनसंघी हो गया है । लेकिन यदि किसी के साथ अन्याय होगा तो उस सवाल को क्यों नहीं उठाऊंगा । वह प्रश्न इस समय यहां नहीं है । प्रश्न यह है कि वैगन्ज़ नहीं देंगे तो व्यापारी का आलू भी सड़ेगा और किसान का आलू भी सड़ेगा । मैं जानना चाहता हूं कि इस को सड़ने से बचाने के लिये आप ने कौन से उपाय किये हैं । आप ने सेठी साहब को सर्टिफिकेट दे दिया कि वह वैगन्ज़ दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वैगन्ज़ नहीं मिल रही हैं ।

मैं आप से फिर पूछना चाहता हूं—आलूवाले किसानों को ठीक दाम मिलें, इसके लिये क्या आप आलू पर आधारित कोई उद्योग-धन्धे लगाने की बात सोच रहे हैं, यदि आप ने विचार किया है तो उस की क्या तस्वीर आप ने बनाई है, उसके बारे में भी बतलायें ?

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहूंगा—मैं "स्पष्ट" पूछ रहा हूं, जब कि आप लोग "अस्पष्ट" कहते हैं । स्पष्ट और अस्पष्ट में बहुत फर्क है....

अध्यक्ष महोदय : जो "अस्पष्ट" बोलते हैं वह तो चुप बैठे हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप स्पष्ट तरीके से सफाई के साथ बतलाइये—जिन किसानों को आप ईख और आलू का समर्थन मूल्य नहीं दिलवा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उन के लिये आप समर्थन मूल्य तय करें । जो लोग कृषि का मूल्य तय करते हैं क्या वे इन के बारे में भी कुछ करेंगे । इन लोगों को तंगी, परेशानी और बदहाली से बचाने के लिये आप ने जो बयान दिया है वह काफ़ी नहीं है, हमारे सामने कुछ ठोस बातें लेकर आइये ताकि लोगों को विश्वास हो कि उन को अपनी उपज डिस्ट्रेस-सेल में नहीं बेचनी पड़ेगी, उनके लिये आप समर्थन मूल्य तय करेंगे तथा उन को कम से कम समर्थन मूल्य तो दिलवा सकेंगे ।

राव वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, शास्त्री जी ने जो कालिंग-एटेन्शन हाउस के सामने रखी और जो कुछ उन्होंने गन्ने की कीमत के बारे में कहा, इन का एक-दूसरे से गहरा सम्बन्ध तो है, इन को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता क्यों कि जो कीमत गुड़ बनाने वाले और खाण्डसारी बनाने वाले दे पाते हैं उस का असली आधार वह कीमत होती है जो फैक्टरी वाले दे सकें । अगर फैक्टरी वाले कीमत ऊंची दे, तो खंडसारी बनाने वाले भी किसान को ज्यादा कीमत देंगे और फैक्टरी में चूंकि गन्ने की खपत ज्यादा होती है, वहां सप्लाई इतनी हो कि वह कम कीमत दें तो खांडसारी वाले भी अपने आप कीमत गिरा देते हैं । पिछले सालों में यह देखने में आया कि चूंकि गन्ने की कमी होती थी फैक्टरीज़ के लिये, इस वास्ते फैक्टरीज़ वाले गन्ने की कीमत जितनी देते थे, उसके हिसाब से फैक्टरी की तरफ ज्यादा गन्ना झुकता था, ज्यादा पहुंचता था । खांडसारी वालों को अपनी मिलें चलाने के लिये उससे काफी ऊंची कीमत देनी पड़ती थी । अब कि बार भगवान की दया से गन्ने की फसल इतनी अच्छी हो गई है कि फैक्टरी वालों को गन्ने की सप्लाई में ज्यादा परेशानी नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें किसानों का बड़ा हाथ है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : वही किसान भाई हैं, उसमें कुछ नेता ऐसे भी थे जो किसान भाई को कहा करते थे कि गन्ने की सप्लाई फैक्टरीज़ के लिये मत करो, हालांकि वह कामयाब नहीं हुए । लेकिन इस बार यह बात सुनने में नहीं आई कि गन्ना सप्लाई मत करो ।

श्री रामावतार शास्त्री : बिहार में किया है, 11 दिन तक रोके रखा ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपूर): बिहार में रीगा चीनी मिल में गोली चली, 2 लोग मारे गये हैं । वहां के एम० एल० ए० जेल में बन्द हैं ।

राव वीरेन्द्र सिंह : कोई ज्यादती की होगी ।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या यह सूचना आपको बिहार सरकार ने नहीं भेजी ?

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व): आजकल प्रेस सैंसरशिप है, इसलिये खबर नहीं मिली होगी ।

राव वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, आपने जिस तरफ इशारा किया, वह बात आपकी बहुत हद तक सही है कि चूंकि गन्ने की पैदावार अच्छी है इस वास्ते गुड़ बनाने वालों को भी अगर गन्ना खरीदना पड़ता है तो वह ज्यादा कीमत नहीं दे पाते अगर खांडसारी वाले भी उतनी कीमत नहीं दे रहे जितनी पहले साल दिया करते थे । लेकिन सरकार की मजबूरी यह है कि फैक्टरीज को तो रेगुलेट कर के हम गन्ने की कीमतें तय करा सके, शुगर की हमारी पालिसी है, उनसे हम किसी भाव पर लेते हैं, कुछ उसमें से शुगर खुली बेचने की इजाजत देते हैं, लेकिन गुड़ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रगुलेट नहीं

[राव वीरेन्द्र सिंह]

कर पाते । इसके कितने यूनिट हैं, किसान अपने घर में भी बनाता है, बेचने के लिये भी बनाता है, दूसरों से खरीदकर भी बनाता है, अपने गन्ने को भी इस्तेमाल करता है । न उसके ऊपर कोई टैक्स लगाया जा सकता है, और न एक्साइज़ ड्यूटी हो सकती है और न ही उसका हिसाब-किताब रखा जा सकता है और न ही सरकार किसान पर पाबन्दी लगाना चाहती है । इस वास्ते गुड़ की पैदावार इतनी काफी है देश में, जहां हम अन्दाज़ा करें कि 70 लाख टन के करीब चीनी होगी, वहां हम अन्दाज़ा यह भी कर रहे हैं कि 80 लाख टन के करीब गुड़ पैदा होगा इस देश में ।

खांडसारी ज्यादा से ज्यादा 6, 7 लाख टन पैदा होती है, इससे ज्यादा खांडसारी की पैदावार नहीं है । तो गुड़ के लिये जो गन्ना जाता है, उसके ऊपर तो हम मजबूर हैं, उसके ऊपर हम ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकते लेकिन गुड़ की कीमत तभी अच्छी रह सकती हैं, जब शुगर की कीमतें भी अच्छी हों । गुड़ बनाने के लिये जो गन्ना इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत भी अच्छी तभी मिल सकती है जब फैक्टरीज़ कीमतें अच्छी दें ।

इन्डायरेक्टली इस तरीके से हम किसान को मदद कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले साल भी 28 रुपये तक गन्ने की कीमतें मिलीं फैक्टरीज़ की तरफ से ।

अध्यक्ष महोदय : स्टोरेज का कुछ किया, वहां फैसिलिटीज़ हों गुड़ के लिये । बैंक फैसिलिटीज़ हों ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप इनसे पूछ लें कि उसकी मिनिमम प्राइस क्यों नहीं तय कर देते जैसे गेहूं की, चावल की है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : गुड़ की ? आप किसान से हमदर्दी नहीं करते, इसके भाव 4, साढ़े 4 रुपये से घटकर....

श्री चन्द्रजीत यादव : अब भी 4, साढ़े 4 रुपये से घटकर 2 रुपये हो रहा है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : लेकिन जब 4 और साढ़े 4 रुपये गुड़ पिछले सालों में बिका, उस वक्त किसान को फायदा हुआ, उस वक्त अगर कम कीमत कर देते तो किसान को नुकसान होता या फायदा होता ?

श्री चन्द्रजीत यादव : जैसे सपोर्ट प्राइस देते हैं, 2 रूपये बिक रहा है मार्केट के अन्दर....

(व्यवधान)

राव वीरेन्द्र सिंह : अपने-अपने समझ की बात है । जिस चीज़ की कीमत मंडी के अन्दर पहले ही ज्यादा हो, उस कीमत से तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट प्राइस रखी जा सकती है, तो सपोर्ट प्राइस का एलान करने से नुकसान हो सकता है, कोई फायदा नहीं हो सकता है क्योंकि इससे प्राइस नीचे जाती हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : गुड़ दो रुपये किलो बिक रहा है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : जी हां, मालूम है । 2 रुपये किलो भी बिक रहा है, कहीं ज्यादा भी बिक रहा है । बंगाल में कहीं अच्छा भी है 4 रुपये भी बिक रहा है, फिर गुड़ की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है । जिन प्रदेशों के अन्दर गुड़ अच्छा नहीं बनता, वहां 2 रुपये किलो से नीचे भी बिक रहा है और जहां गुड़ अच्छा बनता है, वहां लोग चीनी से भी बेहतर कीमत देने को तैयार होते हैं ।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि हम ने इस तरह से इनडाइरेक्टली किसानों की मदद करने के लिए जहां ज्यादा खपत होती है गन्ने की, वहां गन्ने की कीमत अच्छी रखी और इस सरकार की पालिसी की वजह से आप ने देखा है कि पिछले साल किस तरह से गन्ने की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है । 64 लाख टन से ऊपर चीनी की पैदावार पहुंच चुकी है इस देश के अन्दर और यह इस सरकार की नीतियों के कारण हुआ है । जब पिछली सरकार चालू हुई, तो 38 लाख टन हमारी चीनी की पैदावार इस देश में रह गई थी और जब यह सरकार बनी, तो प्रधान मंत्री जी ने खुद आदेश दिये चीफ़ मिनिस्टरों को कि 16 रुपये प्रति क्वींटल से कम तो गन्ने की कीमत देनी ही नहीं है कम से कम साढ़े आठ पर सेन्ट रिकवरी पर ।

श्री चन्द्रजीत यादव : महाराष्ट्र और दूसरी जगह पर किसानों के लड़ने से ऐसा हुआ है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : किसानों के लड़ने से ऐसा नहीं हुआ है ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपूर) : किसानो की परवाह यह सरकार नहीं करती है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : यह सरकार किसानों की है और किसान इस सरकार के हैं । आप क्यों खामख्वाह बीच में पड़ते हो । इस सरकार ने इस तरीके की नीति बनाई कि पहले ही साल में किसानों को 28 रुपये प्रति क्वींटल गन्ने की कीमत मिली और चीनी की पैदावार एकदम 38 लाख टन से बढ़ कर 52 लाख टन एक वर्ष के अन्दर हो गई । इस के बाद 52 लाख टन से 70 लाख टन चीनी की पैदावार का हम अन्दाजा लगा रहे हैं और 150 मिलियन टन से लेकर अब की बार

180 मिलियन टन गन्ने की पैदावार का अन्दाजा लगा रहे हैं। यह एक रिकार्ड है चीनी और गन्ने की पैदावार का, जो पहले कभी नहीं हुआ। इसी तरह से अनाज की पैदावार बढ़ाने की बात है।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या उन को रिकार्ड दाम भी दिया है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : रिकार्ड दाम भी दिया है तभी तो ऐसा हुआ है। यह बड़ी सोच-समझ की नीति से और मेहनत से हुआ है, खाली जबानी जमा-खर्च से यह नहीं होता। इस तरीके से स्पीकर साहब हम ने यह सब किया है। जहां तक हम कर सकते थे, हम ने किया है। आप का सुझाव भी मुनासिब है और किसानों के हित में है। आप हमेशा उन के हित के लिए सोचते रहे हैं और आप ने जो गुड़ के लिए कुछ स्पोर्ट प्राइस देने का इशारा किया है, उस को भी हम ध्यान में रखेंगे और हम यह कोशिश करेंगे कि गुड़ की कीमत अगर ज्यादा गिरती हुई दिखाई दी, तो हम कुछ गुड़ एक्सपोर्ट करने का भी फैसला करेंगे। ज्यादा पैदावार हो जाए, तो एक्सपोर्ट हो जाए और किसानों को ज्यादा पैसा मिल जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप एक्सपोर्ट करिये।

राव वीरेन्द्र सिंह : इसी तरीके से खांडसारी का भी है। किसी जगह भी 20 रुपये से कम पैसा नहीं मिल रहा है। मिलों के अन्दर 20 रुपये से लेकर 26, 27 और 28 रुपये तक अलग अलग प्रान्तों के अन्दर गन्ने की कीमतें स्टेट गवर्नमेंट्स ने मुकर्रर की हैं। मैं यह भी बता दूं कि स्टेट सरकारें भारत सरकार की नीति के मुताबिक और प्रधान मंत्री जी की खास हिदायत के मुताबिक अपने आप ऊंची से ऊंची कीमत दिलाने की कोशिश करती हैं, जिस की वजह से यह हो रहा है कि गन्ने की पैदावार ज्यादा हुई है और मिलों में भी उस की खपत ज्यादा है। इस में कोई शक नहीं है।

कुछ एरियर्स अब की बार ज्यादा रह गये हैं लेकिन जब शूगर का मौजूदा सीजन शुरू किया, तो उस वक्त तक रिकवरी अच्छी हो चुकी थी और एरियर्स इतने खत्म कर दिये थे कि 1 पर सेन्ट एरियर रह गये थे, जो इतने कम कभी नहीं रहे थे। हम ने इस पर खास तौर पर ध्यान दिया है और स्टेट गवर्नमेंट्स से हम दरख्वास्त करते रहते हैं। उन के अफसर, उन के इस महकमें में काम करने वाले लोग इस चीज पर निगाह रखें कि जहां भी फैक्टरीज के अन्दर किसानों का पैसा ज्यादा जमा हो, उस पर फौरन एक्शन लें और हमें इत्तिला दें। हम भी इस के बारे में रिपोर्ट लेते रहते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एरियर्स ज्यादा न होने पाएं। पहले जो 38 पर सेन्ट तक एरियर्स रह जाते थे, उस के मुकाबले में अब जब से यह सरकार आई है, 21–22 पर सेन्ट से ज्यादा एरियर्स एक सीजन के बीच में, जनवरी-फरवरी में भी कभी नहीं होने पाए। लेकिन सीजन ज्यों ही खत्म होगा, जैसा हमारा कायदा है कि 14 दिन के अन्दर सारा हिसाब-किताब क्लीयर होना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये एरियर्स खत्म हो जाएंगे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, इनसे भी हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि फैक्ट्रीज को कुछ ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज दे दी जाएं ताकि गन्ने के एरियर्स खत्म हो जाएं। यह देश के उत्पादन के हित में होगा। उनका महकमा इस तरफ ध्यान दे रहा है और हम यह उम्मीद करते हैं कि ये किसानों को परेशान नहीं होने देंगे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष जी, गन्ने का भाव 10–12 रुपये क्विंटल हो गया है।

(व्यवधान)

राव वीरेन्द्र सिंह : आलु के मुताल्लिक मैं इतना अर्ज करना चाहूंगा, आलु की पैदावार पिछले सालों की निस्बत काफी बढ़ी है। जहां हमारी पैदावार 95–96 लाख टन तक होती थी, अब वह उससे ऊपर आ गयी है। अब की बार 105–106 लाख टन के करीब पैदावार करने की हम उम्मीद कर रहे हैं। यू० पी०, वेस्ट बंगाल और बिहार इन प्रांतों में आलु की पैदावार ज्यादा होती है। यू० पी० से हमें शिकायतें आ रही हैं क्योंकि 45 परसेंट के करीब आलू की पैदावार यू० पी० में होती है। यू० पी० में भी कुछ जिलों—जैसे फरुखाबाद, इटावा में अधिक पैदावार होती है और अब गाजियाबाद में भी आलु ज्यादा पैदा होने लगेगा। इन जगहों पर हम अपने आफिसरों को भेजते रहे हैं।

जैसा कि मैंने स्टेटमैंट में कहा था कि अगर आलु को मार्किट सपोर्ट देना है तो जैसा कि हमने महाराष्ट्र और गुजरात में प्याज के मामले में किया हमने यू० पी० को भी सुझाव दिया था कि स्टेट की एजेन्सियां भी आधी हिस्सेदार बनें, सारी जिम्मेदारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ही न हो तो किसानों को काफी मदद मिल सकती है। अगर आलु के मामले में भी स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां हिस्सेदारी लेने लगें तो इससे सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी हिम्मत होगी। हम गवर्नमेंट एजेन्सियों के जरिये से आधा आलु खरीदने को तैयार हैं और उसमें नुकसान उठाने को तैयार हैं। **(व्यवधान)**

यह ठीक है कि यू० पी० गवर्नमेंट ने अभी हमारी तजवीज को मंजूर नहीं किया है। इसका एक इलाज ही हो सकता है कि वैगन्स की मूवमेंट हो जैसा कि पिछले साल हमने किया था। यू० पी० के चीफ मिनिस्टर ने कुछ इस बात को माना

[राव वीरेन्द्र सिंह]

है कि अगर वैगन्स की मूवमेंट अच्छी तरह से हो जाएगी तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। रेलवे मिनिस्ट्री के सहयोग से, रेलवे वैगन्स की सप्लाई पिछले साल बहुत अच्छी रही है। अब की बार भी रेलवे मिनिस्ट्री बहुत अच्छा सहयोग दे रही है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें इस बात की तसल्ली है कि वैगन्स की कमी नहीं है।

अगर वैगन्स की मुवमेंट होती रही तो आज भी हिन्दुस्तान में ऐसी जगहें हैं जहां आलु की कीमत ज्यादा है। यू० पी० में रोजाना तीन सौ टन आलु खरीदा जाएगा और यह मार्च के आखिर तक चलेगा। यह मार्किट रेट पर खरीदा जाएगा। इससे अपने आप कीमतें ऊपर जाएंगी। यह तरीका है कीमत बढ़ाने का, किसानों की मदद करने का। पंजाब में हमने 150 टन आलु खरीदने का फैसला किया है। उसमें स्टेट की एजेन्सी भी शामिल हैं, भारत सरकार की भी शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा इन्तजाम क्यों नहीं करते कि फसल आने से पहले ही आपकी मशीनरी तैयार हो ?

राव वीरेन्द्र सिंह : हमने पहले से ऐसा इंतजाम किया था। जब एकदम जनवरी-फरवरी में आलु पकता है अगर हम शुरू से ही परचेज करने लगें तो गलत होता है। हमें मार्किट को देखना पड़ता है, उस पर निगाह रखनी पड़ती है।

श्री अटल विहारी वाजपेयी जी ने भी एक शिकायत की है। मुझे तो तसल्ली थी कि वैगन्स मिल रहे हैं। उसके बाद भी मैंने पता लगाया। उस वक्त भी मेरी बातें ज्यादा दुरुस्त रही और वाजपेयी जी की बात में कोई वजन दिखायी नहीं दिया।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : पहले कहा तार नहीं आया, अब कहा खबर नहीं आयी।

अध्यक्ष महोदय : तार ये स्वयं लेकर आये।

श्री हरीश रावत (अल्मोडा) : यू० पी० गवर्नमेंट ने कहा है कि वैगन्स की कमी है। (**व्यवधान**)

राव वीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन पोटेटो मरचेंट एसोसिएशन की तरफ से वाजपेयी जी के पास तार आया है।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : वैगन्स किसको चाहिएं ?

राव वीरेन्द्र सिंह : तार में शिकायत की है कि—

"फरवरी 13 से अब तक वैगनों की कोई पूर्ति नहीं। सौ मांग पत्र पंजीकृत है। गोदामों में पड़े आलू सूख रहे हैं। हानि—तूरन्त निकासी के लिए अनुरोध किया जाता है।"

वैसे तो बड़ी शायरी की गई है इसके अंदर।

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं लिखा कि बदबू फैलाइंगे।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस तार की इन्क्वायरी करवाइऐ।

राव वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मेरे पास जो इत्तला आई है, उसके मुताबिक 15 फरवरी को 14 वैगन सरेण्डर कर दिए गए।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : कहां ?

राव वीरेन्द्र सिंह : यू० पी० में। और 16 तारीख को 166 वैगन सरेण्डर हो गए। ये तो उल्टे वैगन सरेण्डर हो रहे हैं।

श्री सुब्रह्मण्यम् स्वामी : उन वैगनों में पहिए नहीं थे, इसलिए सरेण्डर कर रहे हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : यह स्थिति है। हो सकता है कि किसी खास स्टेशन पर कोई दिक्कत हुई हो, उसकी जानकारी हम ले लेंगे। किसी बड़ी मण्डी की बात होती तो पता लग जाता।

मैं आशा करता हूं कि वाजपेयी जी को मेरे जवाब से कुछ तसल्ली हो गई होगी, वैसे उनकी आदत नहीं है तसल्ली होने की।

डा०सुब्रह्मण्यम् स्वामी : अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय ने बताया है कि अधिकतम उत्पादन कैसे हुआ। वास्तव में अनेक बार हम सुनते हैं कि राव वीरेन्द्र सिंह देश के भिन्न भागो में जाते है तथा वहां पर वक्तव्य देते है कि अधिकतम उत्पादन हो रहा है तथा उत्पादन में वृद्धि हो रही है। परन्तु उपभोक्ता मूल्यों में भी वृद्धि होती जा रही है और इसीलिए हर-कोई परेशान है।

अमेरिका में आर्थिक मामलो में राष्ट्रपति रीगन की नीति इतनी हास्यास्पद हो गयी है कि उन्होने उसे 'रीगनोमिक्स' (रीगन अर्थशास्त्र) नाम दे दिया है। उसी प्रकार से यहां भी एक नया 'इन्दिराकोनोमिक्स' (इन्दिरा अर्थशास्त्र) चल रहा है। कम से कम यह उस अर्थशास्त्र में नहीं था जिसे मैं कक्षाओं में पढ़ाता था। जब मैं प्रो० था तो मैं यह पढ़ाया करता था की यदि उत्पादन बढता है तो मूल्य कम हो जाते हैं। परन्तु राव बीरेन्द्र सिंह के कार्यकाल में उत्पादन भी बढ़ रहा है और मूल्य भी बढ़ रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : मूल्यों को कम नही होने दिया जाना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : प्रो० रंगा का एक नया सिद्धान्त यह है कि, आकाशवाणी के अलावा जहां पर वे कहते हैं कि मूल्य कम हो रहे हैं, मूल्यों को कम नहीं होने दिया जाना चाहिए। अतः भारत सरकार गन्ने के मूल्य के प्रश्न पर पूर्ण रुप से भ्रान्त है।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। महोदय, आप इसकी सराहना करेंगे क्योंकि जैसा कि मुझे बताया गया है आप बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं, समर्थ किसान हैं अब मुझमें आपको एक अन्यत्रवासी किसान कहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जो सुन लेते हैं उसी पर विश्वास कर लेते है?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जब तक आप हमें अपने फार्म में डिनर नहीं देते तब तक हमें कैसे मालूम होगा?

अध्यक्ष महोदय : सुझाव का स्वागत है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : यह आश्वासन सभा-पटल पर दिया गया है।

कृषि मूल्य आयोग ने गन्ने का मूल्य 15.50 रु० प्रति क्विंटल रखने की सिफारिश की। सरकार ने 13 रुपये निर्धारित किया जो कि गत वर्ष के जितना ही है, और यह पहले वर्ष से केवल 50 पैसे अधिक है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मंत्री की याद दाश्त को हाजर करने के लिए जनता शासन में उर्वरकों का मूल्य बताता हूँ—जनता शासन में उर्वरकों का मूल्य 15 रु० प्रति बोरी था; आज यह 125 रु० प्रति बोरी है और फिर भी यूरिया नहीं मिल रहा है। आप उस बात से इनकार नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि आप अपने उत्तर में इस प्रश्न को टाल देंगे। कृषि के काम आने वाली आवश्यक सामग्री के दाम बढ़ गये हैं। कृषि मूल्य आयोग हमेशा किसानों के मामले में एक तरह से एक दकियानूसी रवैया अपनाता आ रहा है उन्होंने 15 रुपये 50 पैसे की सिफारिश की है और आपने यह मूल्य 13 रुपये निश्चित किया है, एक यह भ्रान्तिपूर्न स्थिति है। और इस पर भी श्रीमती गांधी ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि किसानों को सरकार द्वारा निश्चित मूल्य से भी अधिक मिले। मंत्री महोदय के अनुसार कारखाने 16 रुपये से 20 रुपये के बीच दे रहे हैं; और इसके गन्ने के मामले में पूरी भ्रान्ति पैदा हो गयी है।

राव बीरेंद्र सिंह : अब यह मूल्य 20 रुपये अथवा 19 रुपये है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : तो आप न्यूनतम मूल्य क्यों नहीं स्वीकार करते? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। गन्ना उद्योग मालिकों ने कृषि मूल्य आयोग के एक ज्ञापन दिया है। कृपया आप उसे देखें। उसमें उन्होंने कहा है कि वे सरकार द्वारा कानूनीं तौर से निश्चित इन इतने कम मूल्य तथा फिर राज्य सरकारो कों गन्ना कारखानो पर उँचे मूल्य देने हेतु दबाव डालने की छुट देने से बहुत परेशान हैं जिसके फलस्वरुप बहुत सी कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं क्योंकि सरकार ने बहुत कम मूल्य निश्चित किया है और किसान अधिक मूल्य चाहते हैं और फिर राज्य सरकार सामने आ जाती है और दोनो के बीच कोई मूल्य निश्चित करती है।

मैं सीधा बम्बई से आ रहा हूँ। बम्बई के एक दैनिक पत्र में पहले पृष्ठ पर एक कहानी छपी है जिसमें यह बताया गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने गन्ना उत्पादकों से एक रुपया प्रति टन के दर से मुख्यमंत्री राहत निधि में दान देने के लिये कहा है। उन्होंने उत्तर में कहा, पिछली बार आपके पूर्वाधिकारी ने प्रतिष्ठान के नाम से हमसे पैसा लिया; कृपया उस पैसे को इधर लगायें क्योंकि हमने सोचा था कि वह पैसा मुख्यमंत्री राहत निधि के लिये लिया गया है मुख्य मंत्री के लिये नहीं; और इसे वापिस लिया जाये। इस बारे में विवाद चल रहा है। अतः मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के किसानों को धमकी दी है कि यदि आप सहयोग नही देते तो आप परेशानी में पड़ेंगे। कृपया इस पर ध्यान दें। ऐसा क्यों है? ऐसा इस कारण है कि आपकी मूल्य नीति त्रुटिपूर्ण है।

कृषि मूल्य आयोग एक मूल्य की सिफारिश करता है और आप कम मूल्य का निर्णय लेते है; प्रधान मंत्री तीसरे मूल्य का निर्णय लेती हैं और चौथा मूल्य राज्यसरकार बीच में निश्चित करती है त ा रिस्वत लेती है और दबाव डालती है

[डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी]

मैं नहीं जानता कि अन्ततः उन्हें क्या मिलता है। साम, दाम, दंड, भेद। मैं नहीं जानता। वे कहते हैं कि वे शानदार कार्य कर रहे हैं। हमारे मंत्री भी इसी प्रकार के आत्मसंतोष से बात करते थे; उन्होंने बाद में अनुभव किया कि देश में क्या हो रहा है। (व्यवधान)। यहां बैठे सभी लोगों को कोई प्रेम नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इस कम्पनी को हमेशा बाहर रखा गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय बतायें कि क्या वह मूल्य नीति सम्बन्धी सरकारी बयान को स्पष्ट करेंगे। यदि आपके पास कृषि मूल्य आयोग जैसा विशेषज्ञ आयोग है तो कम से कम उसके मार्गनिर्देशन के अंदर काम करने की कोशिश करें, यदि आप नहीं कर सकते तो इसका स्पष्टीकरण कीजिये। प्रधान मंत्री को, मुख्य मंत्रियों को दूसरा पत्र न लिखने दीजिये और मुख्यमंत्रियों को भी और वार्तायें न करने दीजिये। कोई स्पष्ट रास्ता अपनाये। किसान सरकार से यही चाहते हैं; वे ऐसा बिलकुल नहीं चाहते कि आप उन्हें उतना पैसा दे जितना वे चाहते हैं लेकिन सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिये।

मंत्री ने इस बात से इनकार कर दिया है कि किसानों ने आंदोलन चलाये थे। वस्तुतः बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुये हैं, यहां तक कि महाराष्ट्र में भी हुये हैं। मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब बंदी रहे और गिरफ्तार हुये थे। प्रो० मधु दंडवते को गिरफ्तार किया गया था। मुझे भी रायगढ़ में गिरफ्तार किया गया था, जो श्री अन्तुले का जिला है। बेशक हमें काफी समय तक जेल में नहीं रखा था, वह केवल पूर्वाभ्यास था; और मुझे विश्वास है कि बाद में हमें कुछ लम्बे अर्से के लिये रखा जायेगा। दिसम्बर के आखरी सप्ताह में महाराष्ट्र में जनता पार्टी के चार लाख शुभ चिंतकों को जेल भेजा गया और मंत्री कहते हैं, "मुझे मालूम नहीं"। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश, बिहार में भी ऐसा ही हुआ है। वास्तव में विधान सभा में भी किसानों के इस आन्दोलन पर चर्चा हुई थी। इसके लिये मैं अपने उन मित्रों से सहमत हूं जिनकी हमदर्दी केवल किसानों ही से नहीं है (व्यवधान)

इन्हें भय है कि मैं सोवियत रूस की चर्चा करूंगा। अतः मैं उस बात को वापिस ले रहा हूं (व्यवधान)। अतः मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय गन्ना समस्या के प्रति एक समेकित दृष्टिकोण अपनायें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण ग्राम उद्योग है। आप महाराष्ट्र आयें। मैं जानता हूं कि आपके क्षेत्र में गन्ना उद्योग इतना विकसित नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में गन्ना उद्योग एक बुनियादी ग्रामीण उद्योग बन गया है जिससे आप पैकिंग पेपर, अलकोहल, कृत्रिम रबड़ बना सकते हैं और कभी कभी इसका उपयोग वर्तमान अपनी परिस्थिति को भूलने के लिये कर सकते हैं।

आलू के बारे में, सरकार ने बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि इसका उत्पादन करना अपराध है और जब भी गरीब किसान आलू पैदा करते हैं तो उन्हें आलू की मंदी से नुकसान सहना पड़ता है। मंत्री महोदय के अनुसार सरकार स्थिति के प्रति सचेत है, लेकिन किसान मृतप्रायः हैं। सरकार के स्थिति से सचेत रहने से क्या लाभ हुआ है? उपभोक्ता को आज बहुत दाम देने पड़ते हैं। आसाम में, जहां आज आंदोलन चल रहा है, लोग शिकायत कर रहे हैं कि केन्द्र उस राज्य की उपेक्षा कर रहा है। आलू का मूल्य 170 रुपये प्रति क्विंटल है। उत्तर प्रदेश में यह मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल है। दूरी अधिक नहीं है। वे कहते हैं, "वैगन उपलब्ध किये गये हैं"। मुझे मालूम नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, उनके मंत्री ने शिकायत की है कि पर्याप्त रेलवे वैगन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। यदि आपसे कोई कहे कि रेलवे वैगन उपलब्ध हैं, तो आपको इस बात की फिर जांच करनी होगी। वास्तव में, मैं चाहता हूं कि मंत्री लोगों को हमारी तरह, एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल की तरह समझें। आप जालंधर आयें। मैं हाल में जालंधर में था। वहां किसान रो रहे हैं। फरुखाबाद में, मैनपुरी में वे सभी रो रहे हैं। लेकिन आसाम के किसानों को 170 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा। कितनी विषमता है? यह बात हर व्यक्ति को खटक रही है कि किसान खुश नहीं है क्योंकि वह देख रहा है कि उसे क्या मिल रहा है और मण्डी में क्या है; चाहे यह गन्ना हो या आलू; वह एक भारी अंतर देखता है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह किसानों के हित में एक योजना बनाये।

मैं दो या तीन प्रश्न पूछ कर अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे पहले विश्व बैंक वित्त का, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा चालू सहकारी शीतागार भवनों सम्बन्धी परियोजनाओं का क्या हुआ? क्या वह रद्द कर दी गई है या चल रही है? क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार की परियोजना चल रही है? मैं जानता हूं कि इस प्रकार की परियोजना चल रही है। मैंने इसे आपके मंत्रालय के रिकार्ड से देखा है। शिमला स्थित केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थिति क्या है? उन्होंने सोलर डी-हाईड्रेशन नामक प्रणाली का विकास किया है जो तीन घंटों के अंदर तुरंत आलू को चिप्स में बदल देती है। अतः आलू को अलकोहल में भी परिवर्तित किया जा सकता है और अलकोहल को कृत्रिम रबड़ में भी परिवर्तित

किया जा सकता है। मुझे पता है कि वह इसका एक ही उपयोग जानते हैं। मैं उन्हें इसके दूसरे उपयोग के बारे में भी बताना चाहूंगा।

राव वीरेन्द्र सिंह : आप दूसरा उपयोग भी जानते होंगे, जिसे शरीर द्वारा प्रोसेस किया जाता है।

डा सुब्रह्मण्यम् स्वामी : अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि उनके पास 17 लाख टन आलू फालतु है और उन्होंने राज्य से बाहर भी आलू भेजा है। क्या सरकार आलू निगम बनाने के लिये तयार है जो देश के अन्दर तथा बाहर निर्यात का काम करे। मैं इनसे इन सब प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं।

राव वीरेन्द्र सिंह : श्री सुब्रह्मण्यम ने फिर वही बातें कहीं हैं जिनका उत्तर दिया जा चुका है। मैं गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात बार बार कह चुका हूं जो कि सांविधिक मूल्य है। इसी के आधार पर हम कारखानों द्वारा गन्ने से लेवी की जो चीनी तैयार की जाती है उसकी लागत का हिसाब लगाते हैं। कारखानों को जो 65 प्रतिशत चीनी लेवी के रूप में देनी होती है। गन्ने का मूल्य 13 रुपये है जो कि पिछले साल था। लेकिन यह मूल्य किसानो को देने के लिये नहीं है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसका इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि कारखाने किसानों को कितना मूल्य देते हैं। यह केवल हमारी गणना के लिये है। कारखानों द्वारा दिये जाने वाले मूल्य निश्चित करने की कई बातों की गुंजाईश हैं। इस उद्योग में लाभ की बहुत संभावनाये हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये हमने कारखानों से लेवी की चीनी प्राप्त करने के लिये 13 रुपये का मूल्य निश्चित किया है। लेकिन हम जानते हैं कि कारखाने किसानों को कुछ अधिक मूल्य देने की स्थिति में हैं और इसी कारण हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कारखाने किसानों को अच्छे मूल्य अदा करें। कृषि मूल्य आयोग द्वारा जिन मूल्यों की सिफारिश की गयी थी, वे किसानों की उत्पादन लागत पर आधारित थे। लेकिन उन्होंने इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में नहीं रखा। कृषि मूल्य आयोग किसानों के लिये लाभप्रद मूल्यों की सिफारिश करता है और यह आयोग कारखानों की लेवी चीनी के लिये मूल्य की सिफारिश नहीं करता। आप इस अंतर को समझें। इसी कारण ये दो मूल्य है और किसानों द्वारा प्राप्त किये जा रहे मूल्य लगभग वही है जो पिछले वर्ष थे और वे लोग बहुत खुश हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं, नहीं।

राव वीरेन्द्र सिंह : शास्त्री जी, पिछले साल 19 रुपये से 20 रुपये तक के रेंज में सरकार ने किसानों को कीमतें दिलवायी और इस वर्ष ये मूल्य 20 रुपये 50 पैसे निश्चित किये गये हैं, जो न्यूनतम हैं। यह 20 रुपये 50 पैसे से कम नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि यह पिछले वर्ष के 19 रुपये से कम है। यह बात सच है।

श्री रामावतार शास्त्री : लेकिन 22 रुपये कहां मिल रहा है ?

राव वीरन्द्र सिंह : 22 रुपये भी मिल रहा है कहीं कहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : लेकिन यदि मार्केट मूल्य 7 रुपये है, तो इस अंतर के बारे में क्या कहेंगे ?

राव वीरेन्द्र सिंह : न्यूनतम मूल्य किस के ?

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : खुली बिक्री की चीनी के।

राव वीरेन्द्र सिंह : खुली बिक्री की चीनी सामान्यतया 6 रुपये से 6 रुपये 50 पैसे के नीचे है और हम इसे उस स्तर पर बनाये रखना चाहते हैं क्योंकि यदि हम मूल्य कम करें--यह हमारे हाथ में है--यह एक पेचीदा मामला है, खुली बाजार की अधिक चीनी जारी करने से सन्तूलन बिगड़ जायेगी। हमें स्थिति पर लगातार निगरानी रखनी है ताकि किसानों को लाभप्रद मूल्य मिल सके और गन्ने के कारखानों की क्षमता इतनी बनी रहे कि वे किसानो को अच्छे मूल्य दे सकें और चीनी कारखाने घाटे में न रहें। हमें उपभोक्ता, किसान तथा उद्योग--इन तीनों पर ध्यान देना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह कार्य आप नियंत्रण हटाकर कर सकते हैं। आप नियंत्रण हटा सकते हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : आपने इसकी चेष्टा की। आपने उसे एकबार आजमा कर फिर हमारी नीति को अपनाया। जो क्षति पहुंची उसे दूर करने की आपने चेष्टा नहीं की।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं, हमने इसे नहीं आजमाया। ऐसा श्री चरण सिंह तथा श्री यशवन्तराव चव्हाण ने किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीधे कह सकते हैं पिछली सरकार ने किया। किसी का भी नाम न लें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमान्, क्या यह असंसदीय है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं उम्मीद करता हूं कि श्री स्वामी के मन में अब कोई भ्रम नहीं रहेगा क्योंकि भ्रम उन्हीं को था, सरकार की नीति में नहीं था ।

उन्होने आलू की बात की है । मैं मानता हूं कि इस समय आसाम में आलू के भाव बाजार में बहुत ऊंचे हैं। परन्तु उत्तर प्रदेश में खरीदा गया सभी आलू आसाम भेजा जा रहा है ताकि वहां पर आलू के मूल्य कम हो ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आलू अभी मार्ग में है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : नहीं, नहीं—आलू काफी समय से वहां जा रहे हैं । आलूओं के वैगन भेजे गए हैं । मुझे उम्मीद है कि श्री स्वामी जानते हैं, आसाम में भी काफी आलू पैदा होता है । आसाम आलू पैदा करने वाले बड़े राज्यो में से एक है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कुल आलू उत्पादन का 4 प्रतिशत वहां पर पैदा होता है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : अतः मुझे उम्मीद हैं कि जहां कहीं भी मूल्य अधिक हैं वे आलू उत्पादक राज्य में विभिन्न ऐजेंसियों द्वारा की जा रही खरीद द्वारा कम हो जायेंगे और गन्ना उत्पादकों का भी ध्यान रखा जा रहा है । कारखाने भली प्रकार चल रहे हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : शीतागारों की क्या स्थिति है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हम शीतागारों की क्षमता बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं । उत्तर प्रदेश में इस समय सहकारी क्षेत्र में लगभग 12 लाख टन की क्षमता है । 5 लाख टन की क्षमता अभी अभी बढ़ाई गई है । सहकारी क्षेत्र में हमारी ग्रामीण गोदामों की योजना भी है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है । एन० सी० डी० सी० परियोजना का क्या बना ?

राव बीरेन्द्र सिंह : वह चल रही है । उसी के कारण उन राज्यों में जो उक्त योजना में आते हैं उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है । आलू का उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है । डा० स्वामी ने आलू अनुसन्धान संस्था, शिमला का नाम लिया —कभी कभी वह बड़ी संगत बात कहते हैं तथा याद रखते हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कभी कभी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इस संस्था द्वारा तैयार किये गये अच्छे बीज के कारण ही देश में आलू का उत्पादन बढ़ा है । हमारे वैज्ञानिक अब ऐसे बीज का उत्पादन कर रहे हैं जिसे मैदानों में बोया तथा पैदा किया जा सकता है । अभी तक अच्छे बीज ऊंचे प्रदेशों में ही पैदा किये जा सके हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : आपने वहां के निदेशक को निकाल दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नहीं है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : जहां तक चीनी मिलो का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने बताया, यद्यपि विपक्ष के कुछ नेता किसानों को उत्तेजित कर रहे हैं, तथा पूरे देश में किसान लोग सन्तुष्ट हैं । **(व्यवधान)**

कुल 303 मिलो में से 215 पिछले वर्ष फरवरी में चल रही थीं । इस वर्ष कुल 323 में से 315 कार्य कर रहीं हैं । इससे पता चलता है कि चीनी का उत्पादन बहुत तेजी से हो रहा है । पिछले वर्ष इस समय तक जितना उत्पादन हुआ था उसकी तूलना में इस वर्ष अब तक 10 लाख टन अधिक उत्पादन हो चुका है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु—वह उपस्थित नहीं है । श्री रावत ।

श्री हरिश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सत्य है कि जितना इस सरकार ने किसानों के लिए किया है, मैं समझता हूं कि अतीत में किसी ने नहीं किया । कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर मंत्री महोदय जितना ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं । मैं उनसे सहमत हूं कि सरकार की नीति है कि किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो । लेकिन इस समय गन्ने के लाभकारी मूल्य के संदर्भ में गन्ना मिलें बाधक बनी हुई हैं । वास्तविकता यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निदेश दिए गए हैं और राज्य सरकारों के द्वारा मिलों को कहा गया है, मगर मिलें उसका पालन नहीं कर रही हैं ।

इस साल गन्ना ज्यादा पैदा हुआ है। इसलिए किसान विवश हैं। उनको मिलों तक गन्ना ले जाना है और मिलें टर्म्ज डिक्टेट कर रही हैं। अधिकांश मिलें किसानों से बहुत सस्ते दाम पर गन्ना खरीद रही हैं। इसका परिणाम यह होगा कि किसानों को नुकसान होगा और वे अगले साल गन्ना कम पैदा करेंगे। अन्ततोगत्वा कनज्यूमर्ज को, सरकार को और देश की अर्थ-व्यवस्था को इसका फल भुगतना पड़ेगा। इस लिए मंत्री महोदय कोई ऐसी मशीनरी बनाए, कोई ऐसी व्यवस्था करें, जिसमें मिलों पर इफ़ेक्टिव कन्ट्रोल रह सके और ए पी सी जो मूल्य निर्धारित करता है, वें उसका पालन करें और वह मूल्य किसानों को मिले।

किसानों को कम तोलने और समय पर पैसा न मिलने की भी शिकायत है। इस विषय में सदन में बहुत बार कहा जाता है, हर बार मंत्री महोदय कुछ न कछ आश्वासन देते हैं, लेकिन वह शिकायत अपनी जगह पर बनी हुए है। इस शिकायत को दूर करने के लिए सरकारको कोई इफेक्विट कदम उठाना चाहिए।

गुड़ के सम्बन्ध में बहुत अच्छा सुझाव माननीय चन्द्रजीत यादव ने दिया और अध्यक्ष महोदय ने भी दिया। मैं समझता हूं कि उसको मानने में भी सरकार को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जैसे इस साल यह उत्पादन का वर्ष है तो कृषि के क्षेत्र में भी आप ने बहुत सारी योजनाएं बनायी हैं। मैं समझता हूं कि कृषि उत्पादन ज्यादातर फर्टिलाइजर पर और जो दूसरे इन-पुट्स् हैं उन पर निर्भर करता है। हकीकत यह है कि सारें इन-पुट्स की कीमत बढ़ गई है और फर्टिलाइजर की कीमत पिछले आठ महीनों में 15 प्रतिशत के लगभग बढ़ी है। कीटनाशक दवाइयों की, विद्युत की, डीजल की सभी चीजों की कीमत बढ़ी है। तो इस हालत में जो आपने यह घोषित किया है कि 18 प्रतिशत हम फर्टिलाइजर्स का और इन-पुटस का इस्तेमाल बढ़ाएंगे जिससे कि कृषि का उत्पादन बढ़ सके, मैं नहीं समझता कि आप की इस घोषणा के अनुरूप कार्य हो पाएगा। आप का लक्ष्य यह है कि इस साल आप 72 लाख टन के करीब फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो पिछले साल से करीब 11 लाख टन अधिक है। तो मेरा आप से यह निवेदन है कि आप इस पर विचार करें कि जो आप का घोषित लक्ष्य है उस के अनुरूप उस का इस्तेमाल हो सके उतना उस का इस्तेमाल किसान कर सके और उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस के लिए किसान को फर्टिलाइजर और दूसरी तीसरी चीजों के इस्तेमाल के लिए कुछ सब्सिडी दी जाय।

दूसरे, बैंक्स ने भी इस बीच में कुछ ज्यादती किसानों के साथ की है। ठीक मौके पर बैंकों ने एडवांसेज देना शायद बन्द कर दिया है। इस वजह से भी किसान बहुत परेशान है। तो बैंकिंग मिनिस्टर साहब से भी यह कहने की जरूरत है कि इस समय जब किसान को फर्टिलाइजर इत्यादि खरीदना है या और चीजें खरीदनी हैं तो इन चीजों के लिए और ट्यूबवेल्स या पम्प्स वगैरह लगाने के लिए बैंक्स अपने एडवासेज देना बन्द न करें। इस नीति पर राष्ट्रीयकृत बैंकों को पुनर्विचार करना चाहिए। और सैक्टर्स में यह पाबन्दी लागू हो लेकिन इस सेक्टर पर यह पाबन्दी लागू नहीं होनी चाहिए। तो फर्टिलाइजर का उपयोग आप के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हो सके क्या इसके लिए आप बैंकिंग सेक्टर को यह भी ऐडवाइस करेंगे कि इस समय जो 17 प्वाइन्ट कितना परसेन्ट वह लेते हैं ... (व्यवधान) ... यह आप के माध्यम से करने में ज्यादा अच्छा रहेगा क्यों कि आप के कन्सर्न की चीज है और आप को बोझ हलका होगा इसलिए मैं आप के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि बैंक्स, फर्टिलाइजर पर जो व्याज की दर है उस को घटाने के लिए भी कुछ कार्यवाही करें, इस सन्दर्भ में आप का मन्त्रालय क्या कदम उठाएगा, इस विषय में बताने की कृपा करें।

आलू के उत्पादों की दशा इस समय बहुत खराब चल रही है। यू पी के बारे में आप ने भले ही कह दिया कि वैगन भी मिल रहे हैं और उसके उत्पादन का ठीक मूल्य मिले इस की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत इस के सर्वथा विपरित है। उत्तर प्रदेश के अन्दर जो आलू उत्पादक है उन को बहुत बड़ा सेट बैक लगा है और उसके पीछे कारण यह है कि आप के पास भण्डारण की व्यवस्था उचित नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। ताकि जिस समय विदेशों में इस की मांग हो उस समय इस का निर्यात किया जा सके और जिस समय देश में इसकी जरूरत हो तो देश के लोगों को दिया जा सके और किसान को उसका उचित मूल्य जो सरकार निर्धारित करती है उस की प्राप्ति हो सके। कृपया इन सारी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उत्तर देने का कष्ट करें।

राव बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रावत ने जो बातें कहीं, सरकार हमेशा उनको ध्यान में रखती है और जितना हमसे बन सकता है उतना कर रह हैं। जब यह साल हमने उत्पादन का

[राव वीरेन्द्र सिंह]

साल, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने घोषित किया, मनाने का फैसला किया है तो उसमें सारे जितने हमारे लक्ष है, जो प्रोडक्शन के टार्गेटस हैं उन को पुरा करने के लिए सरकार भरसक प्रयन्त कर रही है। बार बार इन चीजों की तरफ तवज्जह दी जाती है कि कौन-कौन सी कठिनाइयों हैं। कौन कौन सी रुकावतें हैं जिनकी वजह से हमारा निशाना शायद पूरा न हो पाए। उन में से कुछ बातों का जिक्र श्री रावत जी ने किया।

इस में शक नहीं कि फर्टिलाइजर की कीमतें पिछले दिनों में बढ़ाई गई और फर्टिलाइजर की खपत भी कम हो गई। जितना हमारा अन्दाजा था उसके निस्वत उतना हम नहीं कर पाए हैं... (व्यवधान)...।

एक माननीय सदस्य : सिंचाई का प्रबन्ध तो कुछ है नहीं ...

राव वीरेन्द्र सिंह : सिंचाई के लिए तो बहुत बड़ी योजना है।

अगर आपने यह भी नहीं देखा कि सिंचाई कितनी बड़ी है तो फिर यादव जी, आपने कुछ भी नहीं देखा है। सिंचाई जिस तेजी से बढ़ी है वह अन्धे को भी दिखाई देती है। (व्यवधान)

ढ़ाई मिलियन हैक्टायर की सिंचाई नये इलाकों में पिछले दो सालों में चलती रही है। 2.5 मिलियन पिछले साल में और 2.4 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई की व्यवस्था इस साल के लिए है। 75 लाख हैक्टेयर जमीन में हर साल सिंचाई हम बढ़ायेंगे। 1950–51 में 22 मिलियन हैक्टेयर के मुकाबले आज 60 मिलियन हैक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था हो गई है लेकिन यह भी आपको दिखाई नहीं देती है। इस तरह से तो आपको समुन्दर भी दिखाई नहीं देगा।

रावत जी ने फर्टिलाइजर की कीमतों का जिक्र किया है। कीमते बढ़ाते समय हमने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि जितना किसानों पर बोझ बढ़ा है, जितना किसानों का फालतू खर्चा लगने का अन्दाजा है उसके मुताबिक कीमते ऊंची रखें। उसके हिसाब से कीमत ऊंची रही हैं।

एक माननीय सदस्य : कपास को छोड़कर।

राव वीरेन्द्र सिंह : कपास की कीमते भी ऊंची रही हैं। पहले 208 रुपए क्वीन्टल पर कपास बिकती थी, अब 500 रुपए का भाव रहा है, जबसे कि यह सरकार बनी है।

पिछले दो वर्षों में गेहूं का भाव 15 रूपये बढ़ाया गया है, 115 रुपए क्वीन्टल से 130 रुपया कर दिया गया है। इसी तरह से जो गन्ना 3–4 रूपए क्वीन्टल में नहीं पूछा जाता था कुछ दिन पहले जब एक सरकार थी, वही गन्ना आज 20, 25 और 26 रूपए क्वीन्टल के भाव बिक रहा है। इसके बावजूद अगर आप यह समझते हैं कि भाव कम रहे तो यह कहांतक मुनासिब होगा? बहरहाल आपकी जो ठोस बातें हैं उनपर जरूर ध्यान दिया जाएगा और उनको पूरा भी किया जाएगा।

बैंक्स का प्रोसीजर आसान हो ताकि आसानी से किसानों को कर्जा मिल सके--इसपर भी ध्यान दिया जाता है। फाइनेन्स मिनिस्ट्री की तरफ से बार बार रिजर्व बैंक को यह हिदायत दी जाती है कि प्रोसिजर सिम्पल होना चाहिए।

श्री हरिष रावत : बैंक्स ने ऐडवान्स देना बन्द कर दिया है।

राव वीरेंद्र सिंह : नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फार रूलर डेवलपमेन्ट जो बनाई गई है उसके जरिए से किसानों की सुविधाएं बढगी और पैसा भी बढ़ेगा। इसीलिए यह बैंक कायम की गई है। वैसे एग्रीकल्चरल क्रेडिट की मात्रा पिछले वर्षों में कहां से कहां बढ़कर पहुंच गई है। पिछले साल में एग्रीकल्चरल क्रेडिट 3300 करोड़ का था जोकि इस प्लान के अन्त तक करीब 5400 करोड़ तक एग्रीकल्चरल सेक्टर में बढ़ जाएगा। इस तरह से क्रेडिट फसीलिटीज बढ़ती जा रही है।

जहां तक फर्टिलाइजर कन्जम्शन के लक्ष्य का सवाल है, मार्जिनल और स्माल फार्मर्स को सब्सीडी दी जा रही है, अभी भी 33 परसेन्ट की सब्सीडी मिल रही है। आई आर डी प्रोग्राम में आज भी सब्सीडी मिल रही है।

मैं यह बात आप की मानता हूं कि फर्टिलाइजर के इस्तेमाल का लक्ष्य अगर पूरा नहीं हुआ तो जो हमारा निशाना प्रोडक्शन का है वह पूरा नहीं होगा। इस सिलसिले में सरकार विचार कर रही है। जो उपाय बन सकता है वह हम करेंगे।

सामान्य बजट प्रस्तुत किये जाने के बारे में घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि पहले की शांति सामान्य बजट प्रस्तुत करने के लिए सभा आज 4.30 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित होगी और 5 बजे पुनः समवेत होगी।

बजट के पश्चात् सम्वाददाताओं से बातचीत के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी, 1982 को, एक प्रेस सम्मेलन में, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करते समय आपने यह अभिमत व्यक्त किया था कि "यदि संसद में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रेस कान्फ्रेन्स आयोजित की जानी हो तो स्पष्टतः यह अधिक उपयुक्त होगा कि सम्बन्धित मंत्री इसको स्वयं आयोजित करें, जिसमें आवश्यकतानुसार उच्च अधिकारीगण उपस्थित हो सकते हैं।"

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि संसद में आम बजट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद जनता को जानकारी देने के लिए बजट के तकनीकी एवं अन्य पहलुओं को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए प्रेस गोष्ठी आयोजित करने की वित्त मंत्रालय के सचिवों की एक परम्परा रही है। इन गोष्ठियों में सचिवों द्वारा कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जाता जो बजट के अनुरुप न हो। इसको ध्यान में रखते हुए, मैं कृतज्ञ होऊंगा यदि आप, जैसा कि अभीतक होता आया है, बजट के बारे में वित्त मंत्रालय के सचिवों द्वारा प्रेस गोष्ठी आयोजित करने के लिए सहमति प्रदान करें। उन्हें हिदायत की जाएगी कि वे नीति सम्बन्धी ऐसी कोई घोषणाएं न करें जो पहले से बजट में शामिल नहीं की गई हों। निसंदेह, संसद भवन में माननीय सदस्यों द्वारा अपेक्षित सभी जानकारी और स्पष्टीकरण देना मेरा कर्तव्य और विशेषाधिकार होगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : क्या जहां पर कोई गुजराल है? **(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मुझे उम्मीद है कि यह मंत्री महोदय के लिए विशेष मामला होगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक विचार है।

सभा का कार्य

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 1 मार्च, 1982 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. अफ्रीकी विकास निधि विधेयक, 1981 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार।
3. वर्ष 1982-83 के लिए रेल बजट पर सामान्य चर्चा।
4. चीनी उपकर विधेयक, 1981 और चीनी विधेयक, 1981 पर आगे विचार और पारित करना।
5. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—
   (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1981
   (ख) वन्य जीवन (संरक्षण) विधेयक, 1981
6. वर्ष 1982-83 के लिए सामान्य बजट पर शुक्रवार, 5 मार्च, 1982 से सामान्य चर्चा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तरपूर्व) : श्रीमान, इस बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में शून्यता है। आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए मेरी अनुमति लेनी चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : हां, मैं नियम 376 के अधीन आपकी अनुमति मांग रहा हूं । यह निवेदन करने के लिए मैंने आप से प्रार्थना की है । मुझे इसकी अनुमति नहीं दी गयी क्योंकि मेरे पत्र साथ पूरा मूलपाठ संलग्न नहीं किया गया है । अपने पत्र में मैंने लिखा है कि मैं उसे देने को तैयार हूं । क्योंकि मेरा विमान देरी से आया अतः इस कार्य को पहले करने के लिए मेरे पास कोई अवसर नहीं था । अतः मैं चाहता हूं कि मझे इसे पढ़कर सुनाने की अनुमति विशेष रूप से दी जाये । यह कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है कि इस बारे में मुझे अनुमति न दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : निःसन्देह एक स्पष्टीकरण के प्रश्न पर आपने पूछा है । जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति की 16 दिसम्बर, 1981 की बैठक में फैसला हुआ था, सदस्य द्वारा भेजी गयी ऐसी सूचनाएं जिनमें पूरा मलपाठ नहीं होगा उनपर अनुमति देने के मामले पर अध्यक्ष महोदय विचार नहीं करेंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : परन्तु मैंने आपको उन हालात के बारे में स्पष्टीकरण दे दिया है जिनमें ऐसा हुआ है । मैं जानता हूं कि भूतकाल में सदस्यों ने.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति में फिर से रखें ।

डा सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप अपनी शक्ति से इसे जब भी कर सकते हैं । आप ऐसा क्यों नहीं करते ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता । मैं कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के विरूद्ध कार्य नहीं कर सकता । जब श्री के० एम० मधुकर ।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : क्या यह कोई विस्फोटक बात है कि आप आज मुझे रोकना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इसे छोडिये । श्री के० एम० मजुकर ।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्य सूची के मद संख्या 4 के संबंध में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं ।

(1) बिहार और उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने की लागत खर्च दर के अनुसार भी गन्ने की कीमत नही दी जा रही है । चीनी मिल-मालिकों एवं सरकार की चीनी मिल मालिकों के हित की रक्षा संबंधी नीति की मिली भगत का ही यह परिणाम है । बिहार में इसके खिलाफ़ हड़तालें भी हुई हैं तथा दो किसानो की हत्या भी रीगी-चीनी-मिल में कर दी गई है ।

किसानों के पिछले बकाया रकम का भुगतान आज तक नही किया गया है और वर्तमान भुगतान में भी काफी गड़बड़िया हैं । किसानों के गन्ने की पूरी पेराई की भी संभावना क्षीण होती जा रही है । गन्ना किसान काफी परेशानियों एवं अनिश्चितता की हालत में है ।

अस्तु मेरी मांग है कि गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं पर अगले सप्ताह लोक सभा में अवश्य चर्चा की जाए ।

(2) पानी के जमाव से पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारण जिला में किसानों को भारी क्षति है । गण्डक नहर परियोजना के अंतर्गत जल निस्सारण योजना के कार्यक्रम अति धीमी गति से चल रहा है । ऐसी समस्या हर नदी घाटी योजनाओं की हैं ।

अस्तु नदी घाटी योजनाओं के कार्यों की प्रगति एवं तज्जनिक किसान समस्याओं पर अगले सप्ताह की कार्यसूची में रखी जाए ।

श्री हरिश रावत (अल्मोडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों का भी समावेश किए जाने की प्रार्थना करता हूं ।

1. वन संरक्षण अधिनियम 1980 जिस उद्देश्य से वनों का संरक्षण तथा सम्वर्धन कर पर्यावरण संबंधी संतुलन को बनाए रखना है, के उपबन्ध (2) द्वारा विकास कार्यों में अवरोध पैदा हो रहा है । इस उपबन्ध में तत्काल संशोधन अपेक्षित है, ताकि राज्य सरकारों द्वारा संचालित विकास कार्यों जैसे सड़क, भवन निर्माण, पेयजल योजनाओं तथा विद्युत प्रसार आदि कार्यों में अनावश्यक विलम्ब न होवे । इस समय वन

विभाग को भूमि में वनीकरण के अतिरिक्त किए जाने वाले किसी भी कार्य हेतु केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है । इस कार्य का प्रोसिज्योर इतना विलम्बकारी है कि अनुमति प्राप्त होने तक स्वीकृति योजना का व्यय भार बढ़ जाता है तथा योजना का पुनः आंकलन बनवाकर स्वीकृति प्राप्त करनी होती है । इस प्रक्रिया में कार्य स्वीकृत करने के दो वर्ष उपरान्त भी प्रारम्भ नही हो पा रहा है ।

अतः इस उपबन्ध में संशोधन अपेक्षित है ताकि यह अनावश्यक विलम्ब से पैदा जन आक्रोष का समाधान हो सके । अतः इस विषय पर तत्काल संसद में चर्चा आवश्यक है ।

2. कटक पालिका अधिनियम 1928, वर्तमान जनतांत्रिक भावनाओं मान्यताओं तथा मूल्यों के सर्वथा प्रतिकूल है । इस अधिनियम में व्यापक संशोधन तत्काल अपेक्षित है ताकि कटकपालिकाओं का प्रशासन भी नगरपालिका के प्रशासन के अनुरूप जन आकांक्षा की पूर्ति करने वाला हो सके ।

वर्तमान समय में कटकपालिका क्षेत्रों का नागरिक आबादियों में गहन असंपोष व्याप्त है तो सरकार व रक्षा सेनाओं तथा जनता तीनों के लिए उचित नही है ।

अतः कटक पालिका अधिनियम में सरकार की तत्काल संशोधन करने के प्रस्ताव के साथ सदन के सम्मुख आना चाहिए । ये विषय अगले सप्ताह को कार्य सूची में शामिल किए जायें ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोत्रानी) : दिल्ली में एम० बी० बी० एस० और एम० डी० के कोर्सों में दाखले के मामले में गम्भीर कदाचारों एवं भ्रष्टाचारों के समाचारो पर चर्चा किये जाने की आवश्यकता है । 26 फरवरी के हिन्दुस्तान टाइम्स में मुख पृष्ठ पर विस्तृत समाचार छपा है जिससे विश्वविद्यालय के सभी स्तरों के अधिकारी संबद्ध हैं । एम० बी० बी० एस० तथा एम० डी० के कोर्सों में हेराफेरी से दाखला दिलाने के लिए 20,000 से 30,000 रुपए लिए जाने के आरोप लगाये गये हैं । छात्रों ने बार बार इन संगठित षड़यंत्रों की ओर विश्वविद्यालय का ध्यान आकृष्ट किया है तथा अब उन्होंने एक ज्ञापन प्रधान मंत्री के पास भी भेजा है । इस पर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए तथा इसकी पूरी जांच के आदेश जारी किय जाने चाहिए । अगले सप्ताह के कार्य में इस विषय पर पूरी चर्चा को सम्मिलित किया जाये ।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 27-2-82 के पुनरीक्षित कार्य सूची के मद सं० 4 में 1 मार्च, 1982 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं :—

1. देश आर्थिक संकट के गिरफ्तार में लगातार फंसता जा रहा है । इस मामले में विदशों पर इसकी निर्भरता बढ़ती जा रही है । एकाधिकारी घराने और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आर्थिक शिकंजा कसता जा रहा है । काला धन ने एक समानान्तर आर्थिक व्यवस्था का रूप धारण कर लिया है ।

देश को आर्थिक मामले में आत्मनिर्भर बनाने के निमित्त बड़े पमाने पर साधन जुटाने के लिये विदेशी और बचे हुए देशी बैंकों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा एकाधिकार घरानों के व्यापारों का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण तथा काला धन का जब्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ।

अतः देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता के निमित्त उपरोक्त कदमों को उठाने के विषय को अगले सलाह की कार्यसूची में विचारार्थ रखा जाय ।

2. शिक्षा जगत में लगातार प्रयोग चल रहा है, पर नतीजा प्रतिकूल ही नजर आता है । शैक्षणिक स्तर में ह्रास हो रहा है, पढ़ेलिखे लोगों की, बेरोजगारो की फौज खड़ी हो रही है तथा शिक्षित नौजवानों में निराशा फैल रही है । साथ ही आबादी का बहुत बड़ा भाग आज भी शिक्षा से वंचित है ।

अतः शिक्षा का जनवादीकरण और रोजगारोन्मुखी बनाया जाना तथा मैट्रिक तक निःशुल्क अनिवार्य किया जाना देश के सर्वांगीण विकास के लिये अत्यधिक महत्व रखता है ।

अन्तः उपरोक्त विषयों को विचारार्थ अगले सप्ताह की कार्य-सूची में रखा जाय ।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित दो सुझाव प्रस्तुत करता हूं :

1. संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोगों द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया से अनावश्यक जटिलता दूर करने का सुझाव ।

[प्रो० अजित कुमार मेहता]

2. लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित आयु सीमा का बन्धन हटाने का सुझाव ।

1. प्रतियोगी परीक्षाओं का उद्देश्य देश के लिये अच्छे और योग्य अधिकारी का चुनाव करने का है। परीक्षाओं के सुधार के लिए नये-नये नियम बनने के बावजूद भी परीक्षा का स्तर गिरा है और इस की प्रक्रिया में जटिलता आई है। 1980 में कोठारी आयोग के सुझाव के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा के लिये प्राथमिक परीक्षा की पद्धति आरम्भ की गई थी ताकि परीक्षा को गम्भीरता से लेने वाले उपयुक्त प्रतियोगी ही मुख्य परीक्षा तक पहुंच सकें। प्रथम बार यह योग्यता सिद्ध हो जाने के बाद मुख्य प्रतियोगी परीक्षा में असफल होने पर दूसरे वर्ष भी प्रतियोगियों को फिर प्राथमिक परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरने की अनिवार्यता समझ में नहीं आती। उन्हें सीधे मुख्य परीक्षा में क्यों नही शामिल किया जाता। बार-बार प्राथमिक परीक्षा की प्रक्रिया से लोक सेवा आयोग और परीक्षार्थी दोनों का बोझ बढ़ता है ।

2. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये संघ लोक सेवा आयोग ने अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रखी है। विभिन्न राज्यों में यह सीमा 28 से 30 वर्ष के बीच है :—

1. उत्तर प्रदेश में यह सीमा 28 वर्ष है और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आदि राज्यों में 30 वर्ष है। इस में एकरूपता न रहने से परीक्षार्थियों का असन्तोष उचित प्रतीत होता है ।

2. प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति केवल तीन बार ही मिलती है, तो अलग से आयु सीमा के बन्धन का औचित्य नहीं प्रतीत होगा ।

3. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आदि राज्यों में आदिवासी और पिछड़ी जाति के ग्रामीण युवकों की पढ़ाई देर से आरम्भ होने और उचित अवसर के अभाव में देर से समाप्त होती है। इन पर से आयु का बन्धन हटा लेने से योग्य युवकों को लाभ होगा और आयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीन बार में ही सफल होने का बन्धन तो है ही ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर । उनके बाद श्रीमती गीता मुखर्जी ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपूर) : श्रीमान, लगभग सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में समस्याएं हैं। पहले बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय बंद रहा परन्तु अब यह खुल गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में संकट है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी कुछ संकट है। अतः इस मामले पर अगले सप्ताह चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए ।

दूसरी बात। 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद से बहुत से भारतीय युद्धबंदी अभीतक लापता हैं। पहले बताया जाता था कि वे पाकिस्तान में हैं परन्तु अब बताया गया है कि उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह गम्भीर चिन्ता का मामला है। अतः इसपर अगले सप्ताह विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा के अगले सप्ताह के कार्य में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित दो मुद्दे उठाना चाहती हूं ।

(1) कमी वाले राज्य पश्चिम बंगाल में, भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम बंगाल स्थित गोदामों से खाद्यान्नों की बहुत ही कम पूर्ति तथा केन्द्र द्वारा खाद्यान्नों के आवंटन कोटे को कम करने के कारण राशन प्रणाली के प्रायः अस्त-व्यस्त होने के स्पष्ट प्रमाण हैं। इस कमी वाले राज्य में जहां सांविधिक राशन व्यवस्था पूर्णतया केन्द्र का उत्तरदायित्व हैं, आवंटन आवश्यकता से बहुत कम किया जाता हैं और वास्तव में उससे भी आवक कम माल पहुंचता है और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से पूर्ति की स्थिति दयनीय है। इसके परिणामस्वरूप, खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ रहीं हैं। इस प्रश्न पर विशेषरूप से चर्चा की जानी चाहिये ।

(2) एक केन्द्रीय निदेश जारी करने के लिए पश्चिम-बंगाल सरकार के इस सुझाव पर कि किसी एक वर्ष में प्राप्त किए गये कुल सार्वजनिक ऋणों में से कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों (राज्य बिजली उपक्रमों सहित) के लिए अलग कर देना चाहिये तथा इसके इस सुझाव पर भी योजना आयोग केन्द्रीय

सरकार को यह निदेश जारी करे कि पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, कोयले, अल्युमीनियम, लोहा तथा इस्पात उत्पादों को व्यवस्थित कीमतों के समंजन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त राजस्व का 40 प्रतिशत राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिये, चर्चा की जानी चाहिये ।

श्री चतुर्भुज (झालावाड) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह लोक सभा की कार्य सूची में निम्न कार्य विषयों को जोड़ा जाये :

1. अफ़ीम उत्पादक कृषकों को इस वर्ष गत वर्षों से भी कम भाव दिया जा रहा है । अफ़ीम तौल का समय नजदीक है । नारकोटिक्स विभाग निरंकुश हैं । इस विभाग की प्रशासनिक प्रक्रिया 60-70 वर्ष पुरानी है । अतः इस विभाग को वर्तमान स्वरूप प्रदान करें । अफ़ीम उत्पादक कृषकों को लाइसेंस प्रणाली एवं भाव बढ़ाने के लिए सदन में बहस होनी चाहिए । अगले सप्ताह में इस को कार्य दिवस में शामिल किया जावे ।
2. देश में गोवध बंद हो । कृषक वर्ग एवं राष्ट्र की यह आवश्यक मांग है । इस हेतु देश के महात्माओं ने केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । अतः इस विषय को अगले सप्ताह में लिया जाये ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह के सरकारी कार्य में निम्नलिखित दो मदों को सम्मिलित करने का सुझाव देता हूं :

(1) उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार को रोकने हेतु लोकपाल विधेयक ।

उच्च स्थानों पर हो रहा भ्रष्टाचार हमारे देश के जन-जीवन को प्रदूषित कर रहा है । उच्च स्थानों में होने वाले भ्रष्टाचार की शीघ्रता से विशेष जांच करने का प्रावधान करने वाला लोकपाल विधेयक जनता सरकार के शासन के दौरान संसद में रखा गया था । कुछ भी हो, उस सरकार के समय से पूर्व गिरने से, लोकपाल विधेयक भी बेकार हो गया । मेरा सुझाव है कि लोकपाल विधेयक को पुनः जीवीत किया जाए और इस सभा में इस पर विचार हो ।

(2) एक उद्योग में एक श्रमिक-संघ । 'एक उद्योग लिए एक श्रमिक-संघ' का सिद्धान्त कामगारों और प्रबन्ध दोनों के लिए ही अपेक्षित है । एक ओर तो यह विनाशकारी श्रमिक संघ प्रतिद्वंद्वता से बचायेगा और कामगारों को सौदेबाजी की शक्ति को सशक्त करेगा और दूसरी ओर औद्योगिक विवादों को निपटाने में प्रबन्धकों के कार्य को आसान बना देगा । किसी उद्योग में श्रमिक संघ के प्रतिनिधित्व स्वरूप की समस्या को सम्बद्ध उद्योग के कामगारों के गुप्त मतदान द्वारा हल किया जा सकता है । मेरा सुझाव है कि बिना किसी और विलंब के इस सम्बद्ध में एक विधेयक सदन में लाया जाए ।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : महोदय, माननीय सदस्यों ने ऐसे मामलों के बारे में मूल्यवान सुझाव दिए हैं जिन्हें सदन में लाया जाना है और उसपर चर्चा होनी है ।

कार्य मन्त्रणा समिति की गत बैठक में भी, यदि आप कार्य मन्त्रणा समिति की कार्यवाही को देखें तो आप पायेंगे कि यह सिफारिश की गई है । मैं उद्धृत करता हूं ।

"समिति ने आगे सिफारिश की कि तात्कालिक वित्तीय कार्य को पूरा करने हेतु समय देने के लिए, आधा घन्टे की चर्चाएं, नियम 193 के अधीन चर्चाएं या अनियत दिन वाले प्रस्तावों के अधीन चर्चाएं छः बजे सायं विचार किया जाये और वित्तीय कार्य समाप्त होने तक एक सप्ताह में एक से अधिक आधा घन्टे की चर्चा, नियम 193 के अधीन चर्चा या अनियत दिन वाले प्रस्ताव के अधीन चर्चा नहीं की जानी चाहिये ।"

ये बाधायें हैं । इन मामलों पर तभी विचार हो सकता है जबकि वित्तीय-कार्य पूरा हो जाए । इन सभी मामलों को नोट कर लिया गया है । उन्होंने बहुत ही अच्छे सुझाव दिये हैं । आज भी सदन में आलुओं और गन्ने के लिए लाभकारी मूल्य देने के लिए एक लम्बा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चला है । माननीय सदस्यों द्वारा जो अन्य मामले सभा के ध्यान में लाए गये हैं उन्हें विचारण तथा स्वीकृति हेतु कार्य मन्त्रणा समिति के समक्ष रखा जायेगा ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर पांच मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

एक माननीय सदस्य : ये सभी बैंचे खालो पड़ी हैं । उनको कोई रूचि नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर महोदय से पूछिए ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ता—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 23 फरवरी, 1982 को प्रो० एन० जी० रंगा द्वारा प्रस्तुत किए गए और श्री एच० के० एल० भगत द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 18 फरवरी, 1982 को संसद् को एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

और इस संबंध में पेश किए गये संशोधनों पर आगे विचार किया जायेगा।

मेरे विचार से श्री सुन्दर सिंह ने कल अपनी बात समाप्त कर दी थी। अतः आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं ।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लोर) : बस थोड़ा सा और बोलूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं आपको दो मिनट का और देता हूं। कृपया अपनी बात जल्दी समाप्त कर दें । वह दो मिनट में अपनी बात कह देना चाहते हैं बाकी तो वह कल ही कह चुके हैं ।

श्री सुन्दर सिंह : मैं कल राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने हर क्षेत्र में तरक्की की है और उत्पादन भी बहुत बढ़ा है, हालांकि आबादी घटाने के क्षेत्र में उतनी तेजी से काम नहीं हुआ है, जितनी तेजी से संजय जी ने शुरू किया था। संजय जी ने तो अपनी गवर्नमेंट को भी दांव पर लगा दिया था। आज जहां भी जाइए हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है । बसों में जाइए, रेलों में जाइए। अगर कंट्रोल न किया गया तो हम कोई समस्या हल नहीं कर पाएंगे। वैसे कुल मिलाकर काफी काम हुआ है, लेकिन मोर जब नाचता है तो अपने पावों की तरफ देखकर उसका मन बुझ जाता है। इसी तरह से जब मैं हरिजनों की स्थिति को देखता हूं तो बुझ जाता हूं। डा० अंबेडकर ने ठीक कहा था—

"मैं हिन्दू पैदा हुआ था परन्तु यह मेरा दोष नहीं था। मैं हिन्दू के रूप में नहीं मरूंगा।"

डा० अंबेडकर ने कहा था कि जहां हिन्दू ज्यादा होते हैं, वहीं जुल्म ज्यादा होता है । डा० कर्ण सिंह हिन्दुओं को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं। इन सब चीजों को ठीक किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

सभी जगह हरिजनों पर जुल्म हो रहा है। पंजाब में भी यही हालत है। कहा जाता है कि किसानों पर जुल्म हो रहा है। सारे बड़े जमींदार हैं। ये सारे बिग जमींदार हैं । गरीब जमींदारों की कोई कद्र नहीं करता है। गरीब जमींदारों को और हरिजनों को भी बड़ा तंग करते हैं।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो कुछ उन्होंने कहा है वह**आक्षेप है । इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय :–मैं रिकार्ड देखूंगा । जमींदारी प्रथा तो पहले ही समाप्त हो चुकी है।

श्री सुन्दर सिंह : हरिजनों को कोई पूछता नहीं है, गरीब जमींदारों को कोई पूछता नहीं है । सी० पी० आई० वाले बैठे हुए हैं । ये भी बड़े जमींदार है । डांगे साहब जो इनके इतने बड़े नेता है उन तक की यू० एस० एस० आर० में जो लेबर कान्फ्रेंस हो रही है, उस में जाने नहीं दिया गया सब बड़े जमींदार इकट्ठे हुए हैं। ये भी जमींदार हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी गरीबों का नाम लेती है और उनके लिए बोलती हैं। ये जमींदार उन से भी तंग है। ये इस बात का बुरा समझते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी गरीब

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

हरिजनों का नाम क्यों लेती हैं, इस पर उनको आपत्ति है। हरिजनों और छोटे जमोदारों से वोट ले कर ये बरसरे इकतदार हो जाते हैं। प्रोपेगन्डा यह करते हैं कि जमोदारों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितना फायदा इन जमींदारों को हुआ है किसी को नही हुआ है।

मैं तमिलनाडू की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां क्या होता है? ब्राहमण, क्रिस्चियन, ईसाई और मुसलमानों को यह समझा जाता है कि वे फार्वर्ड हैं, वे आगे बढ़े हुए हैं और बाकी सब बैक्वॉर्ड हैं।

पंजाब भी इसका गवाह है। वहां एक सर्वे हुआ था। यह पता लगाया गया था कि कौन गरीब आदमी है। और जो गरीब समझे गए उनको पीले कार्ड दिए गए। हरिजनों को यह समझा गया कि ये अमीर हैं। दुहाई गरीबों को देते हैं काम अपना करते हैं। मैं बड़ा हैरान हूं। हरिजन यह सारा तमाशा देख रहे हैं। हरिजनों में जो डिवाइड एंड रूल] को पालिसी चलाई जा रही है उसका भी मुझे पता है। उन में यह कर दिया है कि यह हरिजन है और यह ट्राइबल है और ये दोनों अलग अलग हैं। ट्राइबल अलग है हरिजन अलग है। यह डिवाइड एंड रुल नहीं होना चाहिये। पंजाब में भी यह कहा गया है कि यह हरिजन है और यह अलग है और यह वाल्मीकि है यह अलग है। और किसी जगह पर ऐसा नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट्स में इस तरह से भेदभाव नहीं किया गया है। अगर कहीं इसके बारे में रिट पैटीशन हो जाए तो यह सिलसिला ठीक हो जाएगा। यह हैव एंड हैव नाट्स की लड़ाई है, छोटे जमींदार और गरीब हरिजन तथा बड़े जमींदार के बीच की लड़ाई है। छोटे जमींदार और गरीब हरिजन को इकट्ठा हो जाना चाहिये। तब हमारा मामला ठीक हो जाएगा। वोट गरीब देता है और मिनिस्टर ये बन कर बैठ जाते हैं। इसी वजह से लैंड रिफार्म वगैरेह भी नही हो पाए हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों के लिए काम होना चाहिये, उनके लिए ज्यादा पैसा रखा जाना चाहिय। उनके लिए कुछ भी नही रखा गया है। मैं डिप्टी लीडर से प्रार्थना करता हूं कि जहां किसानों का नाम लिया जाए वहां हरिजनों का नाम भी लिया जाए। सिम्पल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की बात ही नही होनी चाहिये। मिनिस्टर्ज को चाहिये कि घडल्ले से हमारी मदद करें। बड़ा जमींदार हम को मार रहा है, गरीब जमींदार को मार रहा है। वह इंदिरा गांधी के भी खिलाफ है, हमारे भी खिलाफ है। हम देख रहे हैं कौन मिनिस्तर अच्छा काम कर रहा है। जब मैं पंजाब में वजीर था तो किसी की जुर्रत नहीं थी कि ऐसी वैसी बात हरिजनों के साथ कर जाए। उसके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाता था। इस वास्ते वहां गलत काम करने को कोई जुर्रत ही नहीं करता था।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जरा समझ कर चलो। जो तुम्हारे हाथ में ताकत है उस काम को क्यों नहीं करते हो? गैस डिस्ट्रिब्यूटरशिप को एजेन्सी सब हरिजनों को ही देनी चाहिये, और किसी को नही। यह तो आपके हाथ में है।

इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे वक्त दिया। मैं सब को बता देना चाहता हूं :

मेरी अब जिन्दगी को ठोकरें खाना नही आता,
मैं मजबूरे तमन्ना हूं कि मर जाना नहीं आता।
तुम्हारी बज्म में आ कर हमें जाना नहीं आता,
हवाशो होश खोकर दिल को समझाना नहीं आता।
पर यह दुनिया अपनी दुनिया है, हमहीं तो इसके मालिक हैं,
बैगाने के घर में कोई बेगाना नहीं आता।
तेरे मस्तों को साकी शोरे माश्क क्या उठायेगा,
यह वह हैं जिनको पी कर होश में आना नहीं आता।

न जमीन, आसमान, न मकान, न दुकान लेकिन भारत माता जिन्दाबाद। यह आपका नारा है। जब खाना नहीं है तो जिन्दाबाद कैसा? यहां इतने जो मिनिस्टर हैं उनमें 3 हरिजनों को आपको फुल-फ्लैज्ड मिनिस्टर बनाना चाहिये तभी हमारा भला हो सकता है, वरना नहीं।

श्री डी० पी० यादव (संगेर) : उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के मार्फत सत्ताधारी दल अपनी आकांक्षाओं की और अपने किये हुए कामों को दर्शाने की कोशिश करता है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान यादव जी आपके दल को दस मिनट का समय दिया गया है। आपके बाद सत्तारूढ दल की ओर से श्री गुलाम नबी आजाद वक्ता होंगे।

श्री डी० पी० यादव : उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो पैराग्राफ 5 और 7 में कहा है वह इस प्रकार है :

"1981-82 में खेती की पैदावार भी बहुत अच्छी होने की उम्मीद है। जो अंदाजा लगाया गया है, उससे पता चलता है कि खरीफ की फसल की उपज अब तक की पैदावार को लांघती हुई 799 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जायेगी। आशा है कि पूरे साल में अनाज की पैदावार बढ़कर पहले के रिकार्ड को तोड़ते हुए 1320 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जायेगी। 1980-81 की पैदावार 1299 लाख मीट्रिक टन थी। उसके मुकाबले इस साल का उत्पादन जाहिरा तौर पर बहुत अच्छा होगा जबकि 1980-81 की पैदावार ही 1979-80 के मुकाबले 18.4 फीसदी ज्यादा थी।

1980-81 के दौरान 24 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की और गुंजाइश पैदा की गई। 1981-82 के दौरान 26 लाख हैक्टेयर जमीन में सिंचाई का इन्तजाम हो जाने की उम्मीद है। इस तरह इन दो सालों में 50 लाख हैक्टयर जमीन में सिंचाई की सहूलियत हो जाएगी। छठी योजना के बाकी तीन सालों में हर साल 30 लाख हैक्टेयर जमीन जोड़ते चले जाने का हमारा इरादा है।"

यह दो मुद्दे हैं जिस पर सरकार को बड़े गौर से सोचना होगा और ईमानदारी से आत्म-निरीक्षण करना होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1980-81 में हमारी सरकार का क्या टारगेट था फूड प्रोडक्शन का ? 135 मिलियन टन। लेकिन पैदा कितना हुआ ? 130 मिलियन टन। यह आकड़े आपकी किताब के हैं, स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के हैं। और 1981-82 का टार्गेट है 138·5 मिलियन टन, और अचीवमेंट आपका ऐक्सपेक्टेड है 134 मिलियन टन। 1978-79 में आपका प्रोडक्शन 181.10 मिलियन टन था। जब उस समय यह था तो आज आप 134 मिलियन टन के लिये परेशान हो रहें हैं, वह भी होगा या नही, यह भगवान जाने।

दूसरी तरफ आपने कहा कि 5 मिलियन हैक्टर में हमने इरिगेशन पोटेंशियल डैवलप करा दिया। यह एक चुनोती भरा टास्क है आपके लिये। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि अगर 5 मिलियन हैक्टर में आपने पैदा कर लिया होता तो 1978-79 के 131 मिलियन टन में कम से कम 12 मिलियन टन एड होना चाहिये था। अगर यह हो जाता तो 145 मिलियन टन आपका प्रोडक्शन होना चाहिये था। कहां गये आपके आंकड़े ?

इरिगेशन के द्वारा आपका जो प्रोडक्शन था वह 131 मिलियन टन पर होना चाहिये। आपकी आबादी बढ़ रही है ढ़ेड करोड़ सालाना, उसके भोजन के लिये 3 मिलियन टन एडीशनल चाहिये। यदि 5 साल ले लें तो 15 मिलियन टन गन्ना चाहिये और आप फंसे हुए कहां पर हैं, 134 मिलियन टन पर दावा क्या कर रहें हैं कि 5 मिलियन हैक्टर में हमने सिंचाई का प्रबन्ध कर दिया और हर साल 3 मिलियन हैक्टर में और करेंगें। यह आंकड़े सही नहीं हैं।

मैं किसी किताब से नहीं प्रधान मंत्री जी को लिखे पत्र से, जो कि मैंने 25-6-1981 को लिखा था, उसमें से एक उद्धरण पढ़ना चाहता हूं कि सिंचाई की योजनाओं की क्या हालत है। वह सिंचाई योजना हमारे क्षेत्र में और सत्ताधारी दल के श्री चन्द्रशेखर बाबू के क्षेत्र में पड़ती है। मैं चिट्ठी का उद्धरण पढ़ता हूं—

"कुल 26,686 एकड़ भूमि को सिंचाई करने के लिए इस सिंचाई योजना को 16 मई 1975 को स्वीकृत किया गया था। और इस पर 8.3 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान था। हमें जानकर आश्चर्य हुआ कि लागत तो बढ़कर 33 करोड़ रुपये हो गई है परन्तु कार्य गति नगण्य रही है। गत छः वर्षों में मुश्किल से 15 प्रतिशत कार्य हुआ है।"

15 परसेंट भी काम नहीं हुआ है। सिंचाई की योजना 8 करोड़ की थी, मूल्य बढ़कर 83 करोड़ हो गया है, 15 परसेंट काम भी नहीं हुआ।

दूसरी तरफ नये 20-सूत्री कार्यक्रम के मातहत प्रधान मंत्री ने जो भाषण देश के नाम से दिया, उसमें भी उन्होंने कहा कि 5 मिलियन हैक्टर हमने एडिशनल इरिगेशन डैवलप कर दिया और राष्ट्रपति जी के

मुंह से भी कहलवा दिया कि 5 मिलियन हैक्टर डैवलप कर दिया और 3 मिलियन हैक्टर डैवलप करने जा रहें हैं हर साल। यह कंट्रेडिक्टरी स्टेटमैंट है।

मेरा एक क्वैश्चन था, अन-स्टार्ड क्वैश्चन नं० 2107 दिनांक 31-8-81। उसमें मैंने पूछा था—

"(क) उन बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के नाम जिन्हें योजना आयोग के टी०ई० सी० ने गत दस वर्षों में स्वीकृति दे दी है; और

(ख) प्रत्येक योजना को कब स्वीकृति दी गई और उसके लिए कितना धन स्वीकृत किया गया तथा विलम्ब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई और प्रत्येक मामले में कुल कितना कार्य हुआ।"

मेरे राज्य बिहार में 9 बड़ी स्कीमें भारत सरकार के द्वारा सैंक्शन हुई थीं। उनकी हालत यह है कि पिछले 10 साल में 15,20 परसैंट भी उन पर काम नहीं हुआ है और पोटेंशियल डैवलपमैंट जीरों है। यह आंकड़े हैं। मीडियम इरिगेशन स्कीम का भी यही हाल है।

इसकी हालत देख लीजिये। एक दुर्गावती का स्कीम है बिहार में, जो कि 16-5-75 को सैंक्शन हुआ था 25 करोड़ 30 लाख पर और अब मूल्य बढ़कर 50 करोड़ हो गया। 3 करोड़ रुपये खर्च हो चुके, पोटैंशियल डैवलपमैंट कुछ नहीं हुआ।

मीडियम इरिगेशन की 44 स्कीमें हैं। उनमें से पूरे का पूरा पन्ना ब्लैंक है, न मीडियम डैवलप हुआ और न मेजर स्कीम में डैवलपमैंट हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि माइनर इरिगेशन सिस्टम डैवलप हो गया होगा ?

क्या प्लान का पैसा इरिगेशन के विकास में गया है ? नहीं, प्लान का पैसा इंजीनियरों के पेट में और इंजीनियरों के मित्रों के पेट में गया है। यह पैसा किसानों के लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि कुछ सेक्शन, कुछ लोगों के पास गया है, जिन्होंने नये सिरे से समाज का शोषण करने का ठेका ले रखा है। मैं इस सदन के मार्फत आग्रह करूंगा कि इरिगेशन और पावर स्कीम्ज के काम की जांच करने के लिए एक रीव्यु कमेटी गठित की जाये, जिसमें लोक सभा और राज्य सभा के सत्ताधारी दल के पांच छः सदस्य और दो तीन सदस्य विरोधी दल के हों, और उस कमेटी की रिपोर्ट संसद् के सामने पेश की जाये। इससे पूरी वस्तु-स्थिति का पता चल जाएगा।

बिहार के उस इलाके में सिंचाई के लिये पानी नहीं है, जिसकी मिट्टी सोना उगलती है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि हमने बिजली का उत्पादन 18 परसेंट ज्यादा कर लिया है। बिहार में 900 मेगावाट इनस्टाल्ड कैपेसिटी में से मात्र 90 मैगावाट बिजली जेनीरेट हो रही है। जब माइनर इरिगेशन के लिए, ट्यूबवेल्ज के लिए, बिजली नहीं होगी, तो पानी कहां से आएगा? ये बोलते हुए आंकड़े हैं। यह असलियत है। आज एग्रीकल्चर और इरिगेशन बिल्कुल मेस में है। उनमें जितना प्राडक्शन होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि इस देश में हर साल जो डेढ़, पौने दो करोड़ बच्चे पैदा हो रहें हैं, उनके लिए हर साल अतिरिक्त तीस लाख टन गल्ला चाहिए। उनके शरीर को स्वस्थ्य रखने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार सिंचाई की योजनाओं को ईमानदारी से लागू कराए।

इन सिंचाई योजनाओं में भ्रष्टाचार कितना है, इसके संबंध में मैंने प्रधान मंत्री को 25-1-82 को एक पत्र लिखा है। मैंने डीटेल्ड रूप से बताया है कि सम्पूर्ण बिहार राज्य में किस किस जगह पर भ्रष्टाचार है, उस पत्र को इस सदन में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस अबाध भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया, और वर्तमान स्थिति चलती रहेगी तो विकास नहीं होगा। पहले अंग्रेज राज्य करते थे और अब इंजीनियर और उनके साथ कुछ राजनेता राज्य करते हैं। और अंग्रेजों के राज्य और आज के राज्य में कोई अन्तर नहीं रह गया है। (व्यवधान) यह सच्चाई है। इसको आप स्वीकार करें, वर्ना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई गम्भीर प्रश्न नहीं है। परन्तु उस समय क्या स्थिति थी जबकि आप मन्त्री थे ?

श्री डी० पी० यादव : मैं कुछ समय तक के लिए मन्त्री था। परन्तु मैं इ सदन को सच्चे मन से यह वचन दे सकत हूं कि मैंने कभी भी ऐसा वृणित काम नहीं किय

[श्री डी० पी० यादव]

एक जिलाधीश ने अपने एक गोपनीय पत्र में इंजीनियरों को लिखा है :-

"प्रिय महोदय,

जहां वृहत्त एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के शिलान्यास से जनता में हर्षोल्लास का वातासरण छा जाता है वहीं इन योजनाओं की मन्थर गति से कार्यान्वियन को ले कर आक्रोश एवं अनास्था भी परिलक्षित होती है . . ."

यह एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिखा है।

करप्शन का एक उदाहरण देखिए। बिहार के गंगा पम्प कैनाल सिस्टम में एक आइटम-प्रैशर—रिलीज़ वाल्व-16 लाख रुपये में परचेज़ कर लिया गया, मगर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कहते हैं–मैं उनकी चिट्ठी को उद्धृत कर रहा हूं :—

"अधोहस्ताक्षरी के लिए कोई ऐसी निश्चित तिथि बताना, जिस तक प्रेशर रिलिज वाल्व का उपयोग कर लिया जायेगा, बहुत ही मुश्किल है।"

और सुनिए :-

समझौते पर 24-3-81 को हस्ताक्षर किए गये। माल 17-3-81 को प्राप्त हुआ। कनसाइनमेंट पहले आया, एग्रीमेंट पीछे हुआ :— भुगतान जांच के बाद 24-3-81 को किया गया। यह हाल है!

श्री हरिश रावत (अल्मोडा) : यह किस राज्य की बात है ?

श्री डी० पी० यादव : यह बिहार राज्य की बात है।

मैंने इस से संबंध में मुख्य सचिव को भी लिखा है और इसके सारे पत्र मेरे पास हैं।

उद्योग के बारे में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, यह देखें।

"औद्योगिक उत्पादन में पहले से ही उत्पन्न गति को बनाए रखने के लिए तथा आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करने के हेतु वर्ष 1982 को 'उत्पादकता वर्ष' मनाया जा रहा है तथा देश के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध क्षमताओं का अधिक उपयोग करने के लिए हम गहन कार्यक्रम चलायेंगे"

हमारे अपने ही राज्य की जो ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज़ संस्था है, उसके अध्यक्ष व० बाला-सुब्रहमण्यम ने इस संबंध में जो कहा है वह मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"ब्यूरों में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च, 1981 तक इन उपक्रमों में राज्य सरकार का 1320.93 करोड़ रुपया लगा हुआ है। इतने बड़े निवेश पर सामान्यतः 10 प्रतिशत के रिटर्न की आशा की जानी चाहिए। जैसा कि लोग उपक्रमों के लिए निर्धारित मापदण्ड है। किन्तु राज्य सरकार को अपने निवेश पर 31 मार्च, 1980 तक 6 उपक्रमों से 6.99 करोड़ रुपये का लाभ मिला और बाकी उपक्रमों से इसी तिथि तक 194.77 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। इस में से बिहार राज्य विद्युत परिषद् में 31 मार्च, 1981 तक 948.42 करोड़ रुपये का निवेश था और बोर्ड में 31 मार्च 1981 तक 107.84 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका था। इसी प्रकार पथ परिवहन निगम में इसी तिथि तक कुल निवेश 48.15 करोड़ और घाटा 27.06 करोड़ है। राज्य सरकार ने इन उपक्रमों को 31 मार्च 1981 तक 601.15 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिया था। इस में से उक्त तिथि तक 196.60 करोड़ रुपये सूद के रूप में उपक्रमों द्वारा देय हो जाते हैं, किन्तु इसके विरुद्ध राज्य सरकार को केवल 3.03 करोड़ रुपये ही 31 मार्च 1981 तक सूद के मद में लौटाये गए हैं।"

सूद भी साफ और 200 करोड़ का घाटा। 200 करोड़ का सूद और 200 करोड़ का घाटा, 400 का घाटा और 1320 करोड़ की लागत, यहीं हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। यह तो मैं ने बताया सरकारी स्तर पर।

अब आप देखें यह एक पैम्फलेट सभी संसद सदस्यों के नाम प्राप्त हुई है, उस का एक उद्धरण मैं देना चाहता हूं। यह छोटे-छोटे उद्योग लगाने वालों की तरफ से है, जिन्होंने दस हजार, पन्द्रह हजार, बीस

हजार, या पचास हजार की पूंजी लगा रखी है। चौधरी साहब भी सुन ले क्यों कि इस में विद्युत का भी मामला है। इस में वह कहते हैं :

"शेड मिले दसों साल गुजर गये पर पट्टाभिलेख अभी तक नहीं, नया शेड बनने के साथ ही उस का प्लास्टर झरना शुरु हो गया, शेड़ों के बीच की सड़के अपनी किस्मत पर रो रही हैं। और तो और हर शेड के साथ बनने वाले संयुक्त प्रसाधन का भी पता नहीं है।"

आगे लिखा है –

"किस किस की कहें, हर साख पर उल्लू बैठा है अन्जाम गुलिस्ता क्या होगा।"

एक माननीय सदस्य : यह जनता पार्टी के बारे में लिखा है।

श्री डी० पी० यादव : अब जो भी हो। कल ही यह मुझे मिला है। मैं समझता हूं भोला बाबू को भी मिला होगा। ईमानदारी से बोले कि मिला है या नहीं? कहीं यह फोर्ज्ड तो नहीं है?

तो यह हाल है औद्योगिक विकास का।

अब आप देखें विधि और व्यवस्था की क्या हालत है? वह तो भगवान ही बचाएं। हमारे यहां तो चोरी, डकैती, मास रेप, मास किलिंग, डेली का बिजनेस हो गया है.....

एक माननीय सदस्य : कहां?

श्री डी० पी० यादव : बिहार में।

एक माननीय सदस्य : या बंगाल में?

श्री डी० पी० यादव : बंगाल का भी मान लीजिए। बंगाल में भी हो तो क्या हुआ? लेट अस ऐक्सेप्ट इन बंगाल आलसो।

चोरी और डकैतियां क्यों हो रही हैं? एक तरफ अधिक धन का जमाव और दूसरी तरफ गरीबी—अति गरीबी और अति धन के बीच यह जो खाई है इस से असंतोष भड़क रहा है और नौजवानों ने देहात में हथियार उठा लिया है। एक बात सुन लीजिए कि जो कल्प्रिट हो, दोषी हो उस को जरूर मारिए, लेकिन एन्काउन्टर दिखाकर किसी खास गरोह को, किसी खास ग्रुप या जाति को मारा जा रहा है—भविष्य के लिए यह अच्छा नहीं होगा, इतना जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

मेरा निवेदन है कि एक नया कानून बनना चाहिए। आज आई पी सी में दिया हुआ है कि किसी ने लाठी से मारा तो दफा 323/324 लागू होगी और अगर गोली से मारा तो फांसी होगी। लेकिन इस देश में कलम से मारने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जो लोग कलम से मारते हैं वे एक या दो को नहीं मारते हैं बल्कि हजारों-लाखों को मारते हैं। ऐसे कलममार लोगों को सजा का प्रबन्ध भी आई पी सी में होना चाहिए – यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री गुलाम नबी आजाद (वाशिम) : डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी पार्लमेन्ट के अन्दर राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा हो रही है। कई वर्ष हुए जबसे इस सदन में ऐसा होता चला आ रहा है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में, पिछले साल हमारे देश में क्या कुछ हुआ, कितनी उन्नति हुई, किस तरह से तरक्की हुई और आने वाले वर्ष में हमारी सरकार क्या कर रही है – इस तरफ ध्यान दिलाया है।

यह तीसरा साल है हम इस पार्लमेन्ट के अन्दर हैं और पार्लमेन्ट के अन्दर हमारा शुमार सबसे जूनियर मेम्बर्स में किया जाता है लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है यह देखकर कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पार्लमेन्ट जहां सबको इन्साफ मिलता है, जो सबसे बड़ी सभा है, कानून से भी बढ़ कर, इस पार्लमेन्ट में उन लोगों के लिए क्या होता है जिनके हम यहां पर प्रतिनिधि हैं? वह किसान, वह मजदूर, वह बेकार और बेरोजगार जो देहातों में हैं जिनके पास कपड़ा नहीं, जिनके पास छत नहीं, मकान नहीं – उन लोगों के बारे में कितना ध्यान दिया जाता है? उनके बारे में यहां पर कितनी चर्चा की जाती है? पिछले दो-ढ़ाई वर्षों

[श्री गुलाम नबी आजाद]

में इस पार्लमेन्ट में जो भी चर्चा हमने देखी वह सरकार की निन्दा के बारे में होती है या किस तरह से सरकार को कमजोर किया जाए, कैसे सरकार की कमजोरियों को पकड़ा जाए या कैसी कैसी खबरें अखबार-मैगजीन्स में छपती हैं उनको किस तरह से पार्लमेन्ट में हाईलाइट किया जाए और किस तरह से उसकी पब्लिसिटी हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम पार्लमेन्ट में आते हैं तो अपनी पर्सनल पब्लिसिटी के लिए या लोगों को यह दिखाने के लिए कि हम पार्लमेन्ट में सरकार की कितनी निन्दा कर सकते हैं या कौन मेम्बर कितनी गालियां दे सकता है। क्या पार्लमेन्ट जिसके एक सेशन पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, जो देश की सबसे बड़ी सभा है, जहां लोगों को इन्साफ मिलता है, क्या पार्लमेन्ट के अन्दर गालियां देने के लिए यह पैसा खर्च किया जाता है ? क्या सरकार को कमजोर करने के लिए पार्लमेन्ट पर पैसा खर्च किया जाता है ? क्या पर्सनल पब्लिसिटी के लिए इस पार्लमेन्ट पर खर्चा किया जाता है ? यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

यहां पर कुछ साथी जमहूरियत की बात करते हैं, डमोक्रेसी की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के शासन में इस देश में जितनी जमहूरियत है, बढ़ी है, उतनी शायद किसी भी शासन में नहीं बढ़ी। इसकी मिसाल दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकती है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापूर) : तुम्हारी पार्टी में डमोक्रेसी है।

एक माननीय सदस्य : सौ फीसदी है।

श्री गुलाम नबी आजाद : उधर के पक्ष के साथी, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, हमने उनकी डेमोक्रेसी 1977 से 1980 तक देखी थी। जहां न सिर्फ लोगों को, बल्कि देश की प्रधानमंत्री को न सिर्फ मकान दिया गया बल्कि उनको जेल के अन्दर बन्द कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्रधान मंत्री जी ने आपके जो उस वक्त के मंत्री थे, उनसे मिनिस्टरों की कोठियां खाली नहीं करवाई, वे आज भी उन्हीं कोठियों में रहते हैं। इससे बड़ी डेमोक्रेसी आप और क्या देखना चाहते हैं। उस जमाने में प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ स्पेशल कमीशन्स बनाए गए, वे आज डेमोक्रेसी की बात करते हैं।

हमारी प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष को उत्पादन-वर्ष के रूप में घोषित किया है। लेकिन कुछ पक्षों से कोशिश यह की जाती है कि मुल्क में फसाद हों, दंगे हों और उन फसादात को पार्लियामेन्ट में लाया जाए और उन पर चर्चा हो। हमारी सरकार की कोशिश रही है कि उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाया जाए लेकिन दूसरी तरफ से कुछ पक्षों की यह कोशिश हो रही है पैसा खर्च करके कि हड़तालें हों, स्ट्राइक्स हों, जिससे लोग फैक्ट्रीज में न जा पायें और उत्पादन बढ़ने में रूकावट पैदा हो और सारी बदनामी कांग्रेस सरकार की हो। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन बातों की तरफ पूरा ध्यान होना चाहिए था कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा ऐसे कानून बनें कि यहां पार्लियामेन्ट के अन्दर सबसे ज्यादा ध्यान लोगों की तरफ दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में साइंस और टैक्नोलाजी का भी जिक्र किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि साइंस और टैक्नोलॉजी में हिन्दुस्तान ने बहुत तरक्की की है, प्रगति की है। जितने भी डेवेलपिंग कन्ट्रीज हैं या अण्डरडेवेलपड कन्ट्रीज हैं, उनमें सबसे आगे हिन्दुस्तान है। मैं यह कहना चाहता हूं कि साइंस और टैक्नोलाजी की तरक्की के साथ-साथ क्या हम लोग दिमागी तौर पर भी कुछ आगे बढ़े हैं। पत्थर के जमाने में भी एक इन्सान दुसरे को मारता था। आज भी उसी तरह यहां फिरकापरस्ती सारे देश में फैलाई जाती है। इस देश के अन्दर कुछ ऐसे पक्ष हैं, जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पर इलैक्शन नहीं लड़ते, उनको कोई मनिफैस्टो नहीं होता है। यदि वे चुनाव जीत कर सरकार भी बनाते हैं, तो उनके कार्यक्रम और पॉलिसीज फिरकापरस्त होते हैं, कम्यूनल आधार पर होते हैं। चाहे आप बंगाल को ले लीजिए, त्रिपुरा को देखिए और केरल में देखिए। आप जम्मू-काश्मीर को देखिये ..... (व्यवधान) ..... इलेक्शन अब रीजनलिज्म और कम्यूनलिज्म के नाम पर होता है। वह देश जिस की आबादी 70 करोड़ है, अगर वहां इलेक्शन रीजलिज्म और कम्यूनलिज्म के नाम पर हो तो वह देश कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे तरक्की कर सकता है ? बंगाल के अन्दर बेशक कम्यूनलिज्म न हो, लेकिन रीजनलिज्म जरूर है .... (व्यवधान) .....

हमारे दोस्त कहते हैं कि वे रीजनलिज्म और कम्यूनलिज्म में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वे "चाइनाइज्म" में ज़रूर विश्वास करते हैं, "एन्टी-नेशनलिज्म" में ज़रूर विश्वास करते हैं । एन्टी-नेशनलिज्म में उन की तारें चीन से हिलती हैं ..... (व्यवधान) .....

आज ज़रूरत इस बात की है कि सायन्स और टेक्नोलोजी के साथ जहां इन्सान चांद और सूरज की तरफ़ जा रहा है, उसी तरह उस के दिमाग में भी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, उस के सोचने के तरीके में तबदीली लाने की ज़रूरत है । जब तक उस के सोचने का तरीका नहीं बदलेगा, उस में परिवर्तन नहीं होगा तब तक न देश में एकता पैदा होगी और न ही देश आगे बढ़ेगा ।

आप काश्मीर के मसले को लीजिये – जहां मुल्क के दूसरे हिस्सों में आज हिन्दू फिरकापरस्ती के नाम पर वोट लिये जाते हैं, उसी तरह काश्मीर में मुस्लिम फिरकापरस्ती के नाम पर वोट लिये जाते हैं । इस बात को नज़रअन्दाज़ नहीं किया जा सकता । अभी हाल में महाराष्ट्र में फिरकापरास्त-फिसादात हुए थे । वहांपर नारे बुलन्द किये गये – "यह देश हमारा है, किसी के बाप का नहीं ।" पब्लिक मीटिंग में इस तरह की बात कही जाती है । हमारे आर० एस० एस० के कुछ भाई, जनसंघ के कुछ भाई जुलूस निकालते हैं और उस में नारा लगाते हैं –"यह देश हमारा है, किसी के बाप का नहीं ।" यह इशारा किस की तरफ़ है ? क्या इस तरह से वे हिन्दू-राष्ट्र की बात नहीं करते हैं ? यह देश चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब का देश है और यहां की हर बात में उस को हक़ हासिल है, चाहे यहां का पानी हो, एग्रीकल्चर हो, इण्डस्ट्री हो, साइंस और टैकनालाजी हो, ज़मीन की बात हो, जिस ने यहां पर जन्म लिया है, इस धरती की हर चीज़ पर उस का हिस्सा है । इस लिये ऐसे नारे लगाने वालों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये । ऐसी फिरकापरस्त पार्टियों को बैन करना चाहिये । मैं समझता हूं कि राष्ट्रपतिजी के भाषण में इस बात का ज़िक्र भी होना चाहिये था ।

मैं काश्मीर का ज़िक्र कर रहा था – काश्मीर में पिछले कई वर्षों से, कोई चार-पांच साल की बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि 25-30 वर्ष पहले की बात करता हूं, जब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त जो पक्ष आज बरसरेइक्तदार है वह रिजन के नाम पर, कम्यूनलिज्म के नाम पर लोगों को भड़कता था । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं – काश्मीर का कोई मसला नहीं है, न पाकिस्तान को काश्मीर से कोई गर्ज़ है और न पाकिस्तान के रहनुमाओं को उस से कोई मतलब है, लेकिन वहां के जो नेतागण हैं, जो लीडर्स हैं वे हिन्दुस्तान को एक्सप्लाएट कर के, वहां के लोगों को एक्सप्लाएट कर के कुर्सी हासिल करना चाहते थे और उस में वे कामयाब हो गये । पिछले कुछ वर्षों से हम देखते आये हैं – जब भी उन के खिलाफ़ करप्शन की कोई बात आती है, जैसे इस पार्लियामेन्ट के अन्दर बिहार, महाराष्ट्र और दूसरी सरकारों की बात आती है, तो फिर वे भी पाकिस्तान ज़िन्दाबाद की बात करने लगते हैं । इस लिये, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मर्कज़ी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं हैं, अगर वहां लोगों के साथ कोई ज्यादती होती है तो केन्द्रीय सरकार को वहां मदाखलत का हक़ होना चाहिये ताकि वह वहां के लोगों को प्रोटेक्शन दे सके, उन की तहफ़्फ़ुज दे सके । एक-डेढ़ वर्ष से लद्दाख में स्ट्राइक चल रही है, किश्तवाड़ में 9 महीनों से हड़ताल चल रही है । आप ने देखा होगा कि जिस जगह पर फाइरिंग होती है, तो कई जगहों पर प्रधान मंत्री जाती हैं और होम मिनिस्टर भी जाते हैं और राज्यों में भी वहां के मुख्य मंत्री गये हैं, वहां के और नेतागण गये हैं लेकिन काश्मीर के अन्दर जहां लद्दाख में फाइरिंग हुई और आदमी मारे गये, जहां किश्तवाड़ में फाइरिंग हुई है और एक आदमी वहां मारा गया, वहां पर आज तक इन दोनों कांस्टीट्यूयेन्सीयों का एम० एल० ए० नहीं गया । मैं मिनिस्टर की बात नहीं करता, मैं होम मिनिस्टर की बात नहीं करता, मैं चीफ़ मिनिस्टर की बात नहीं करता, वहां का लोकल एम० एल० ए० आज तक वहां नहीं गया है ।

एक माननीय सदस्य : एम० पी० गया है ।

श्री गुलाम नबी आजाद : एम० पी० गया है लेकिन किश्तवाड़ में लोकल मिनिस्टर या एम० एल० ए० जिस की वह कांस्टीट्यूयेन्सी है, वह भी अभी तक नहीं गया है, फायरिंग होने के बाद भी नहीं गया है जबकि वहां पर एक आदमी मारा गया है और दो-चार जख्मी हुए हैं और जब मर्कज़ी सरकार का कोई

[श्री गुलाम नबी आजाद]

आदमी जाता है, तो वहां की सरकार कहती है कि यह तो हमारा इन्टरनल मामला है और हमारी आटोनामी है और इसमें आप दखल नहीं दे सकते, ऐसा कैसे हो सकता है । राज्य सरकार लोगों को गोली से मारे और मरकजी सरकार वहां जाए, तो कहा जाता है कि आप मदाखलत करते हैं । मैं समझता हूं कि इस तरफ़ मरकजी सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसे कानून बनने चाहिएं जिनसे हिन्दुस्तान की अखण्डता और एकता कायम रहे । हिन्दुस्तान की अखण्डता के लिए मुल्क के तमाम हिस्से इकट्ठा होने चाहिए और मुल्क के अन्दर जितनी भी नीतियां बनें, वे ऐसी हों। जिनसे देश की अखण्डता कायम रहे और देश के टुकड़े न हो जाएं और जिन से कम्युनलइज्म से हट कर हम देश की प्रगति का काम कर सकें।

मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया और राष्ट्रपति जी ने जो स्पीच दी है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं ।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मुझे कितना समय मिल सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : दस मिनट। यह वजन पर निर्भर नहीं करता।

श्री संतोष मोहन देव : मैं राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि 'कथनी से करनी भली' । हमने विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों से बहुत सी बातें सुनी हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी के इस विशेष अभिभाषण में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनके आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि देश में विभिन्न क्षेत्रों तथा कोयला, ऊर्जा, विद्युत, सीमेंट, उर्वरक आदि में उत्पादन में भी प्रगति की है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमारे शासन के पहले दो वर्ष, देश को संभालने का समय था। अब हम उत्पादकता वर्ष मना रहे हैं और जब चुनाव होंगें — बंगाल में भी, जहां मई में चुनाव होने वाले हैं, आप इसके लिए तैयार हो जाइएं--तब लोग हमारी योग्यता के आधार पर हमारा मूल्यांकन करेंगे और चुनाव परिणाम से सिद्ध हो जाएगा कि हमने क्या किया है।

मैं राष्ट्रपति अभिभाषण पर विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा। मैं असम समस्या पर बात करूंगा, जिसका राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया है । अब तक असम समस्या पर विपक्षी सदस्यों ने ही आंदोलनकारी दृष्टि से चर्चा की है। 14 फरवरी को 'हिन्दुस्तान टाइम्स वीकली' के एक समाचार को पढ़ कर मुझे गहरा दुःख हुआ । जिसमें कहा गया था कि— "अखिल असम छात्र संघ के नेता के अनुसार—असम कूड़ेदान नहीं है।" असम विद्रोही आंदोलन के नेता श्री भृगु फूंकन ने कहा, "असम कूड़ेदान नहीं है ।" उनकी चर्चा का आधार क्या था ? गृह मंत्री, ज्ञानी जैल सिंह ने यह वक्तव्य दिया कि शरणार्थियों को असम से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अखिल असम छात्र संघ के नेता ने पूर्व-पाकिस्तान या बंगलादेश से आए हुए शरणार्थियों को कूड़ा और असम को उन्हें संभालने वाला कूड़ादान कहा। असमवासी होने के नाते मैं सदन में यह कहना चाहता हूं कि भौगोलिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से असम संपूर्ण भारत का भाग है । न तो यह कूड़ेदान है और न ही शरणार्थी कूड़ा है, वे भी मनुष्य हैं। दुर्भाग्य से, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा उन्होंने कुछ बातें दिल्ली में कहीं, कुछ गोहाटी में, कुछ कलकत्ता में और कुछ मेरे राज्य में । मैं नहीं जानता कि इन दोनों दलों के अलावा विपक्षियों की असम मामले के संबंध में क्या नीति है। अन्य दलों ने वामपंथी दलों सहित असम समस्या पर दृढ़ निश्चय कर लिया है।

मैं सदन के सम्मुख वे तथ्य और आंकड़े रखना चाहता हूं जो कि सरकारी अभिलेखों पर आधारित हैं । मैंने कुछ कार्य किया है और विभिन्न जनगणना रिपोर्ट से ये आंकड़े प्राप्त किए हैं। असम में यह मांग की जा रही है कि असम के लोगों की अपेक्षा अन्य भाषा भाषी लोगों—बंगाली, नेपाली और हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। यदि आप 1901 से 1971 तक की जनगणना रिपोर्ट का अध्ययन करें--1981 में असम में जनगणना नहीं हुई--तो आपको पता चलेगा कि असमिया बोलने वालो की जनसंख्या 1931 में 32.32% से बढ़कर 1951 में 61.32% तक हो गई और 1961 में 62.36% तथा 1971 में 60.89% पर लगभग स्थिर रही। और उसके विपरीत यदि आप बंगला बोलने वाली जनसंख्या को लें, जिन्हें शरणार्थी और विदेशी की संज्ञा दी गई है, उनमें 1931 में 27.56% से 1951 में 20.96% और 1961 में 18.54% तक कमी हुई हैं। 1971 में यह लगभग 19.71% की सीमान्त वृद्धि पर स्थिर रही । इसी तरह यह कहा जा रहा है कि असम में मुस्लिम लोगों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन यदि आप जनसंख्या आंकड़ों को देखे तो पहले के तीन दशकों में मुस्लिम जनसंख्या में नाममात्र की वृद्धि हुई है, जैसे 1951 में 24.68% से 1961 में 25.30% तथा 1971 में इसमें 24.50% तक कमी आई। इसीलिए असम में असमिया लोगों को अपनी सामाजिक, भाषा-मूलक और सांस्कृतिक पहचान कम हो जाने का जो भय है, वह उनकी गलत

धारणा है। जनगणना के ये कुछ तथ्य और आंकड़े हैं जो असम में वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर संकलित किए गए। हमारे सहयोगी—श्री आडवाणी,—मैं उन्हें दूसरे सदन के सदस्य होने के नाते उनके बारे में नहीं कह रहा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सचिव के नाते कह रहा हूं—वे जोरहाट गए और बैठक में उन्होंने कहा—"यह एक ऐसा आंदोलन है जो अहिंसात्मक है; जो किसी अन्य समुदाय विशेष के विरुद्ध नहीं चलाया गया।" लेकिन इसके तथ्य और आंकड़े क्या हैं? मैंने गृह मंत्री द्वारा विभिन्न प्रेस रिपोर्ट को दिए गए आंकड़े लिए हैं। इन आंकड़ों से, हमें पता चलता है कि असम में मूल भाषा भाषी और धार्मिक समुदायों के बीच आशंका, अप्रसन्नता और अविश्वास का वातावरण बना हुआ है। आंदोलन शुरू होने के बाद पिछले ढाई वर्षों में दिसंबर 1981 तक अत्यधिक नियंत्रण के बावजूद भी राष्ट्रपति शासन तथा साथ ही राजनैतिक दलों के शासन में 239 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 50 लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए। रेलवे लाइनों तथा सरकारी परिसरों में बम फटने के 230 मामलों की सूचना दी गई जिनमें, उस समय वहां के उच्च आयुक्त श्री पारथासारथी सहित 18 व्यक्ति मारे गए थे। मैं नहीं जानता कि इस बम विस्फोट के लिए अखिल असम छात्र संघ जिम्मेदार था या फिर अखिल असम गण संग्राम परिषद। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि यह अहिंसात्मक आंदोलन है। यदि आप भी इसे अहिंसात्मक आंदोलन मानते हैं तो हम दूसरी बात पर आते हैं। यह अहिंसात्मक आंदोलन पिछले 2½ वर्षों से चल रहा है, हमें इसमें अन्य वस्तुओं के अलावा सिर्फ पेट्रोलियम उत्पादन में करीब 1,200 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इसके अलावा, पिछली बैठक में अर्थात् 15 वें दौर में जो ज्ञानी जैल सिंह के साथ आंदोलनकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बातचीत हुई उसमें, वे चाहते थे कि सरकार 15 जून, 1965 का अपना गोपनीय पत्र वापिस ले ले। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गोपनीय पत्र नहीं है। मेरे पास इस पत्र की प्रतिलिपि है। मैंने वह किसी सरकारी फाइल से प्राप्त नहीं की। मैंने वह ज्ञानी जैल सिंह के भाषण से प्राप्त की है जो कि उन्होंने 15 दिसम्बर को जनता पार्टी के सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा रखे गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दिया था। मैं इसे पढ़ कर सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। आज भी, भारतीय सरकार इसे गुप्त पत्र के नाम से संबोधित करके कोई गलत काम नहीं कर रही। इस पत्र में क्या कहा गया है। यह पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को संबोधित किया गया है।

> "जैसा कि सभी राज्य सरकारों को मालूम है, अल्पसंख्यांक समुदाय के सदस्यों का, जो कि हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान से आकर यहां बस गए हैं, भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करने का प्रश्न विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए गए मतों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि वे प्रवासी, (चाहे उनके पास स्थानांतरण प्रमाण पत्र या यात्रा दस्तावेज है या नहीं) जिन्होंने पाकिस्तान से अपने संबंध तोड़ लिये हैं और भारत में नौकरी, व्यापार या कोई पेशा शुरू कर लिया है, उनका 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुभाग 5 (1) (क) के अंतर्गत भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण किया जा सकता है, बशर्ते कि वे 1956 के नागरिकता नियमों के नियम 9 में रखी गई शर्तों को पूरा करते हों। निवेदन है कि संबंधित पंजीकरण अधिकरणों को आवश्यक अनुदेश भेजे जायें और प्रत्येक मास पंजीकृत किए जाने वाले प्रवासियों की संख्या की सूचना इस मंत्रालय को अगले महीने की 15 तारीख तक दी जाये।"

इसे ही गुप्त दस्तावेज कहा गया है। वे चाहते हैं कि इस पत्र को वापस ले लिया जाये। इसे क्यों वापस लिया जाय? यह गृह मंत्री द्वारा राज्य सभा में रखा गया था। मैंने एक प्रतिलिपि राज्य सभा के कार्यवाही-वृत्तांत से प्राप्त की है।

राष्ट्रीय-संधि के संबंध में मेरे पास नेहरू–लियाकत संधि तथा इंदिरा–मुजिब संधि है। मैं इंदिरा–मुजीब संधि, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, में से पढ़ रहा हूं जो कि 8 फरवरी, 1972 को की गई थी। मुझे यह संसदीय पुस्तकालय से 1½ वर्ष पश्चात् प्राप्त हुई। उसके पृष्ठ 2 में कहा गया है :—

> "बंगला देश के प्रधानमंत्री ने उन सभी शरणार्थियों को वापिस लेने के हर प्रयास करने के आश्वासन की गंभीरतापूर्वक पुष्टि की, जिन्होंने 25 मार्च, 1971 से पहले भारत में शरण ली है। तथा हर संभव प्रयत्न से उनकी रक्षा, मानवीय प्रतिष्ठा और जीविका के साधनों की सुरक्षा करने का आश्वासन दिया।"

इसका अर्थ है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री ने उन लोगों को शरण दी थी जो कि 25 मार्च, 1971 से पहले आए थे। अब सरकार पहले लिए गए निर्णय या पहले दिए गए आश्वासन से हटना क्यों चाहती है?

केवल इतना ही नहीं। मैं आपका ध्यान एक और अधिनियम की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस संसद में पारित किया गया था। यह अप्रवासी (असम से निष्कासित) अधिनियम, 1950 (1950 की अधिनियम संख्या 10) है।

[श्री संतोष मोहन देव]

आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि इस अधिनियम में, जो कि संसद द्वारा पारित किया गया था, परिवर्तन किया जाना चाहिए । इस अधिनियम का पैराग्राफ 2 इस प्रकार है :

"....बशर्ते कि इस धारा में दी गई कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो पाकिस्तान (अब यह बंगला देश है) में आने वाले किसी क्षेत्र में असैनिक उपद्रव या ऐसे उपद्रव के भय के कारण ऐसे क्षेत्र में अपने निवास स्थान से विस्थापित कर दिया गया है अथवा जिसने ऐसे क्षेत्र में अपना निवास स्थान छोड़ दिया है और जो तदनन्तर असम में रहता रहा है ।"

अब वे कहते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह अब कोई नई बात कह रहे हैं। वह उसका हवाला दे रहे हैं जो संसद् ने 1950 में पास किया था और वह भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार के संरक्षण देने का हवाला दे रहे हैं । फिर भी, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये बहुत सतर्क रहना होगा कि वहां पर असमिया लोगों को संरक्षण प्राप्त हो ।

एक हो-हल्ला किया गया था : पहचान करो, पहचान करो । ठीक है, विदेशियों का पता लगाया जाना चाहिए । परन्तु उसके तथ्य और आंकड़े क्या हैं ? मेरे पास गृह मंत्रालय से प्राप्त कागजात हैं, जो पिछली बैठक में नेताओं को पढ़ने के लिए दिए गए थे, वे आंकड़े हैं, जो गोलमेज सम्मेलन के सामने पूर्व प्रस्तुत किए गए थे । घुसपैठ का पता लगाना एक निरन्तर प्रक्रिया रही है । 1952 से 1960 तक 21,000 लोगों का पता लगाया गया था ; 1961 से 1971 तक 2,39,000 लोगों का पता लगाया गया था ; 1971 से 1980 तक 1,13,000 लोगों का पता लगाया गया था। परन्तु इसी अवधि में वापस भेजे गए घुसपैठियों की संख्या क्या थी ? जब उनकी संख्या 21,000 थी तो उन्होंने 17,000 लोगों को वापस भेजा था ; जब उनकी संख्या 2,39,000 थी तो उन्होंने 1,39,000 लोगों को वापस भेजा था, जब उनकी संख्या 1,13,000 थी तो उन्होंने 1,09,000 लोगों को वापस भेजा था। आन्दोलन के दौरान भी जब उन्होंने 1,13,000 लोगों का पता लगाया था तो भी उन्होंने 1,09,000 लोगों को वापस भेजा था। असम के नए मुख्य मंत्री ने एक सार्वजनिक घोषणा की है कि विदेशियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने का काम आरम्भ हो गया है ।

इन सब बातों को सुनने के बाद यदि आप यह कहते हैं कि सरकार इस समस्या को सुलझाने की इच्छुक नहीं है या आन्दोलन के नेताओं के प्रति सरकार का रवैया उचित नहीं है, तो मैं समझता हूं ऐसा कथन ठीक नहीं है । अब समय आ गया है कि राष्ट्रवादी दलों को आन्दोलन के नेताओं को बता देना चाहिये कि वे एक शेर पर सवार हैं और उन्हें इसे पालतु बनाना नहीं आता है । वे यह तभी जानेंगे जब उससे नीचे उतरेंगे । जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों यह भूल गई हैं कि वे लोग एक शेर पर सवार हैं ; उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है कि उससे नीचे उतरने पर क्या होगा ?

मैं आपको बता दूं कि यदि आप इन बंगाली हिन्दुओं और मुसलमानों को असम या उत्तर पूर्वी क्षेत्र से निकालने या उत्तेजित करने का प्रयत्न करेंगे तो, अकेले पश्चिम बंगाल में ही लगभग 22 लाख गैर बंगाली है, जो बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के हैं और कलकत्ता और कलकत्ता के उपनगरों में काम करते हैं और आमार बांगला जैसी क्षेत्रीय पार्टियां गैर बंगालियों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ देंगी तो यही बात बिहार और दिल्ली, हर जगह, होनी आरम्भ हो जायेगी ।

उस दिन प्रो० रंगा ने बिल्कुल ठीक कहा था कि हालांकि आन्दोलन जारी है फिर भी सरकार ने उनसे बात-चीत आरम्भ कर दी है । वे सर्वमान्य हल ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं । जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता और न ही कोई तदर्थ या अस्थायी हल निकाला जा सकता है । एक स्थायी हल होना चाहिए और इस ढंग से होना चाहिए कि इससे देश के अन्य भागों पर प्रभाव न पड़े । अतः कोई निर्णय लेते समय देश के अन्य भागों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ।

मैं प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस (इ०) को भी असम समस्या को इस ढंग से निपटाने का प्रयास करने के लिए अपना धन्यवाद देता हूं । मैं सभी वामपंथी दलो से पुनः अनुरोध करता हूं कि इस समस्या का समाधान सोचते समय उन्हें सतर्कता से काम लेना चाहिए । राष्ट्रीय दलों को इस समस्या को राष्ट्रीय दृष्टि से देखना होगा और ऐसा हल ढूंढना होगा, जिसका देश के अन्य भागों पर कोई प्रभाव न पड़े ।

भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास करने का काफी अवसर दिया है । दुर्भाग्यवश, वहां विद्यमान स्थिति के कारण कोई विकास नहीं हो सका । वास्तव में, आन्दोलन ने उस क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था को इतने लम्बे समय से अस्त-व्यस्त कर दिया है । अब वहां पर लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया है । मुझे विश्वास है कि सरकार अपना बहुमत सिद्ध करने में समर्थ होगी । जैसा कि मैंने पहले कहा था, उसे अपनी शक्ति सिद्ध करने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

राष्ट्रपति शासन के कुछ बुरे पहलू हैं । अब वहां पर कांग्रेस (इ०) की सरकार बनी है और वह भलीभांति काम करेगी और आन्दोलन के दौरान रुके हुए विकास कार्य को पुन: आरम्भ करेगी ।

हमने देखा कि जब वहां पर राष्ट्रपति शासन था तो आन्दोलनकारियों या निरीह लोगों को भी पुलिस के कुछ वर्गों द्वारा तंग किया गया था ताकि वहां पर केन्द्रीय सरकार के प्रति द्वेष पैदा हो, वहां पर इंदिरा विरोधी भावना पैदा हो जब कि वहां के लोगों ने कह दिया है कि यहां इंदिरा गांधी का शासन है । हम यह भी नहीं चाहते । जब वहां पर लोकप्रिय सरकार है, मंत्री हैं यहां तक कि विपक्षी दलों की भी बात सुनी जाती है, तो वे भी मंत्रियों से मिल सकते और अपनी बात कह सकते हैं । अत:, मुझे विश्वास है कि इस प्रकार विपक्ष तथा सत्ताधारी दल किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं ।

अन्त में मैं गृह मंत्री से एक अनुरोध करते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा । आपने विदेशियों का पता लगाने और निर्वासन की प्रक्रिया 1971 से आरम्भ की । परन्तु मैं जब तब यह बताता रहा हूं कि तंत्र, चाहे वह पुलिस हो या न्यायाधिकरण हो, किसी के प्रति वचनबद्ध नहीं होना चाहिए । मैं नहीं कहता, 'असमी अधिकारी मत दो', मैं नहीं कहता, 'स्थानीय अधिकारी मत दो' । मैं नहीं कहता कि सभी अधिकारी खराब हैं । परन्तु हमने देखा है कि जो लोग असम से कूच बिहार में आए हैं उनके पास 1951 का विस्थापित व्यक्ति प्रमाण पत्र और निकास का प्रमाण-पत्र है । फिर भी, न्यायाधिकरण ने कहा था कि वे भारत के नागरिक नहीं हैं । नि:सन्देह, गृह मंत्री ने मुझे लिखा था कि वे उच्च न्यायालय जा सकते हैं, वे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं । ए० ए० एस० यू० की मांग है कि उन्हें अपील करने के अधिकार से वंचित किया जाए । भारत सरकार उससे सहमत नहीं है । ठीक है । परन्तु गरीब परिवारों के कितने लोग उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं ? अत:, न्यायाधिकरण की स्थापना करते समय भारत सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए ।

अन्त में, ए० ए० एस० यू० की एक मांग है कि 1951 का राष्ट्रीय रजिस्टर और 1952 की मतदाता सूची और केवल भूमि पट्टा ही इसका आधार होना चाहिए । राज्यपाल के पिछले सलाहकार, श्री सरीन ने मुझे बताया था कि असम के सभी जिलों में राष्ट्रीय रजिस्टर उपलब्ध नहीं हैं । उन्हें प्रीमक खा गई है ।

मतदाता सूचियों के संबंध में चुनाव आयोग के उच्चाधिकारियों में से एक ने, जिसे मैं बांगला देश प्रतिनिधिमंडल के भारत के दौरे के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई पार्टी के अवसर पर मिला था, मुझे बताया था—मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता—कि चुनाव नियमों के अन्तर्गत मतदाता सूचियों को छह साल के लिए ही संभाल कर रखा जाता है उससे अधिक नहीं । अत:, 1952 की मतदाता सूचियां असम सरकार या अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में उपलब्ध नहीं हैं । छह साल के बाद उन्हे नष्ट कर दिया गया था । अत:, यह भी एकमात्र आधार नहीं हो सकता है । जैसा कि हमने पहले कहा था, भारतीय साक्ष्य कानून के अनुसार सभी सम्बद्ध दस्तावेजों, जैसे राशन कार्ड, रेडियो लाइसेंस, राष्ट्रीय बचत पत्र और रिक्शा लाइसेंस आदि पर विचार किया जाना चाहिए । यह मेरी जबरदस्त मांग है । सरकार को इस मामले में जरा भी पीछे नहीं हटना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपने भाषण में कम-से-कम असम का उल्लेख करने के लिए राष्ट्रपति को भी धन्यवाद देता हूं और उनसे पूर्णत: सहमत हूं कि यह समस्या केवल बातचीत द्वारा ही सुलझाई जा सकती हैं और मैं अपने गृह मंत्री को भी बधाई देता हूं जो भाषाई, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ असमी लोगों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं । ऐसा केवल इसलिए है कि हम, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, यह महसूस करते हैं कि हमारे हित श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों में सुरक्षित हैं जो निश्चित रूप से भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की नेता हैं । धन्यवाद ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, हम राष्ट्रपति को 18 फरवरी, 1982 को दोनो सदनों को एक साथ सम्बोधित करने के लिए धन्यवाद देते हैं ।

जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बड़ा भाग हमारी अर्थव्यवस्था के कार्यनिष्पादन से संबंधित था । इससे इस बात का पता चलता है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति के प्रति सरकार कितनी गम्भीरता से ध्यान दे रही है ।

राष्ट्रपति ने हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख किया है । जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों का संबंध है अच्छाई इसमें है कि इसके लिए श्रेय दिया जाए और बिना किसी हील-हुज्जत के श्रेय दिया जाना चाहिए ।

नि:सन्देह, कुछ बातें हैं जिन पर हमें बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए ध्यान देना होगा । राष्ट्रपति ने खाद्यान्न के रिकार्ड उत्पादन का उल्लेख किया है । तथापि, यहां पर यह नोट किया जाना चाहिए कि खाद्यान्न के इस रिकार्ड उत्पादन के

[श्री जी० एम० बनातवाला]

बावजूद आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का प्रबंध ऐसा बिगड़ा हुआ है कि हमें वर्ष में लगभग 25 लाख टन गेहूं आयात करना पड़ा। यह आपूर्ति और प्रबंध तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की बिगड़ी हुई स्थिति और प्रबंध का प्रश्न है जो आम आदमी के जीवन की किस्म पर प्रभाव डालता है।

राष्ट्रपति ने इस बात का दावा किया और ठीक ही किया, जिसके लिए श्रेय दिया जाना चाहिए, कि पिछले वर्ष में मुद्रा स्फीति की दर में कमी लाई गई जिससे वह एक अंक की रह गई है। परन्तु बार-बार बताए गए इस कारण के अतिरिक्त कि थोक मूल्यों में आई कमी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिलक्षित नहीं होती है, दिमाग में एक और बात जन्म लेती है। उसके अलावा भी, हमें जानना चाहिए कि जहां तक मूल्य वृद्धि का संबंध है, एक और गम्भीर कारण है। वर्ष 1980 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय तेल के मूल्य बढ़ रहे थे। इसलिए, हमारी मूल्य वृद्धि में यह अन्तर्राष्ट्रीय कारण भी शामिल हो रहा था। परन्तु तब, वर्ष 1981 में तेल मूल्य लगभग स्थिर रहे। इस संबंध में राज सहायता भी दी गई थी। इसलिए, मुद्रा स्फीति की दर में यह अन्तर्राष्ट्रीय कारण बिलकुल ही नहीं था और देश में चल रहा कुप्रबंध और हमारी आर्थिक नीतियों और हमारी कल्पना का दोष है जो मुद्रा स्फीति की ऊंची दर के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस दावे की इन सभी बातों को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए। तथापि, हमारी अर्थव्यवस्था के कार्य-निष्पादन के विषय में अन्य विभिन्न कारक हैं जिनका उल्लेख मैं सामान्य बजट पर चर्चा करते हुए करूंगा।

राष्ट्रपति ने कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति का उल्लेख किया है। दलीय विचारों के अलावा, सभा के प्रत्येक कोने से सभी के द्वारा यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि वर्ष 1981 में बिगड़ी हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति अपने चरमोत्कर्ष पर रही। जहां तक हरिजनों का संबंध है, हमें बताया गया और सरकारी कागजात हमें बताते हैं कि उन दो वर्षों के दौरान--1980 और 1981--लगभग 960 हरिजनो की हत्या की गई। इन दो वर्षों के दौरान हरिजनों और अन्य अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधो की संख्या 26,748 थी। दलीय विचारों के अलावा प्रत्येक को इस पर शर्म आनी चाहिए। हरिजनों द्वारा अपने दुर्दशापूर्ण जीवन को सुधारने के किये जा रहे प्रयासों के कारण उन पर अधिक अत्याचार, दुर्भाग्यवश बलात्कार, हत्या, आगजनी और लगभग सभी प्रकार के अत्याचार हुए, जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते हैं। यह हम सब में से प्रत्येक के लिए शर्म की बात है और हम सब में से प्रत्येक को चाहे हमारा कोई भी दल हो, यह देखना होगा कि यह बात हमारे देश से समाप्त कर दी जाए।

जब मैं अल्पसंख्यकों का उल्लेख कर रहा हूं तो मुझे दुख होता है कि राष्ट्रपति ने मुसलिम अल्पसंख्यकों की दुर्दशा का उल्लेख नहीं किया। पिछले वर्षों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों और अन्य अल्पसंख्यकों की दयनीय दशा का उल्लेख करना एक परिपाटी बन गया है। यहां तक कि वह पारंपरिक उल्लेख भी राष्ट्रपतिजी ने अपने अभिभाषण में नहीं किया है।

महोदय, मैंने आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि जहां तक मुसलमानों का संबंध है उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है। मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता। इसलिए मैं एक ऐसी बात का उल्लेख करता हूं जो लगातार खराब होती जा रही स्थिति की सूचक है और एक न्यायोचित तथा नई आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल देता हूं। यदि आप केवल केन्द्रीय सेवा में ही मुसलमानों की संख्या देखें तो आपको बहुत दुःख होगा। हमारी कुल जनसंख्या में 12 प्रतिशत मुसलमान हैं। लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की केन्द्रीय सेवाओं में वे कुल 3.09 प्रतिशत हैं। भारतीय पुलिस सेवा में वे केवल 3.19% हैं। महोदय, उनका यह प्रतिशत वर्ष 1965 के प्रतिशत से भी कम है।

जब कि उस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा में 5.3 प्रतिशत मुसलमान थे और भारतीय पुलिस सेवा में 3.6% थे। मैं बहुत ही दुःखद स्थिति की ओर संकेत कर रहा हूं। लिपिक संवर्ग को ही ले लीजिए। मैं राज्यो का उल्लेख नहीं करूंगा। केन्द्रीय सेवाओं में लिपिक वर्ग को ही ले लीजिए। लिपिक संवर्ग में मुसलमानो की संख्या एक प्रतिशत भी नहीं है। यहां तक आधा प्रतिशत, चौथाई प्रतिशत भी नहीं है। वह 0.20 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति बनी हुई है और इसलिये इसके लिए कुछ समयबद्ध कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के दो ग्रेडों में कुल 680 लोगों में मुश्किल से 6 ही मुसलमान है। अगले ग्रेड में 2,000 में केवल चार मुसलमान हैं। केन्द्रीय सिविल सेवाओं में कुल 9,900 लिपिकों में से केवल 21 मुस्लिम लिपिक हैं। क्या मैं यह समझूं कि आज के मुसलमान युवकों में योग्यता नहीं रही है, इतनी योग्यता भी नहीं जो कि जो सरकारी विभाग में एक लिपिक के लिए आवश्यक है। इस स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

लेकिन जब मैं आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूं, तो वास्तविकता यह भी है कि आज मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का जीवन, सम्मान और सम्पत्ति असुरक्षित है। सांप्रदायिक दंगों में भी बहुत वृद्धि हुई है। हम देखते हैं कि 1977

में 188 दंगे हुए थे जिनमें मरने वालों की कुल संख्या 36 और घायलों की संख्या 122 थी। 1978 में ऐसी घटनाओं की संख्या 230 थी जिनमें मरने वालों की संख्या 110 और कुल घायलों की संख्या 1,853 थी। 1979 में ऐसी 304 घटनाएँ हुई जिनमें कुल 261 लोगों की मृत्यु हुई और घायलों की संख्या 2,379 थी। 1980 में ऐसी घटनाओं की संख्या 427 थी जो कि वर्ष में प्रतिदिन एक से भी अधिक थी। मरने वालों की कुल संख्या 375 और घायलों की संख्या 2,838 थी। अत: इनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अभी हाल ही में हमें जमशेदपुर जांच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और उस रिपोर्ट को प्रचार का साधन मात्र बनाया जा रहा है। इसमें की गई विभिन्न सिफारिशों को कहां लागू किया गया है? सांप्रदायिक प्रचार को बढ़ावा मिल रहा है। यह बात गलत और झूठी है कि विदेशी मुद्रा की सहायता से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और इसमें विदेशियों का हाथ है, आदि आदि।

जहाँ तक विदेशी मुद्रा की सहायता के प्रचार का संबंध है हमारे तत्कालीन गृह राज्य मंत्री मीनाक्षीपुरम् गए थे और 26 जुलाई, 1981, के 'द हिंदू' में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने दृढ़तापूर्वक यह कहा था कि :

> "धर्म परिवर्तन धन का प्रलोभन देकर या दबाव डालकर नहीं कराया जा सकता। जो बात स्पष्ट थी वह यह कि हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है उनका अपमान किया गया है, उन पर हमला किया गया है और उनकी सम्पत्ति को लूटा और जलाया गया है।"

इसी तरह यह बताया जाता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रादेशिक निदेशक ने अपने दौरे के बाद यह कहा था कि——

> "न तो विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया गया है और न ही कोई जबरदस्ती की गई है। लेकिन प्रचार लगातार किया जा रहा है और सरकार द्वारा इस प्रचार के प्रति उदासीनता दिखाये जाने के कारण ही इस सांप्रदायिक दंगे से क्षति हुई है। पूणे में भी इससे क्षति हुई है।"

पूणे, शोलापुर, बारामती में हर वक्त हमें यह आश्वासन दिया गया कि अल्पसंख्यकों की रक्षा की जायेगी। लेकिन इन आश्वासनों के बावजूद भी दंगे फैलते रहे और वे पंडारपुर तक पहुंच गए।

जहां तक पंडारपुर का सवाल है, वह दूसरी जगह है। हमने बार-बार सरकार को चेतावनी दी। पूणे में मुस्लिम लीग के हमारे सचिव ने वहां के पुलिस कमीशनर को काफी पहले यानी 30 जनवरी को एक ज्ञापन दे दिया था। घटना 14 या 15 फरवरी को हुई। लेकिन हमने सरकार को बहुत पहले चेतावनी दे दी थी। उसके बाद मैंने स्वयं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को पूणे और उसके आसपास विकसित हो रही स्थिति बताते हुए एक पत्र लिखा था और उनसे कार्यवाही करने के लिए निवेदन किया था। पत्र 1 फरवरी को दिया गया था। वह पत्र यहां मेरे पास है। उन्होंने उसका उत्तर भी दिया। मुख्य मंत्री ने उसका उत्तर 5 फरवरी को दिया, लेकिन उस सबके बावजूद भी पूणे में वह हिंसा की आग फैली और वह अन्य स्थानों तक भी फैल गयी। जुलूस निकाले गये और नारे लगाए गए और हमने उन सब बातों की जानकारी पुलिस कमीशनर को दी। पूणे में हमारे सचिव श्री मिर्जा हमीद बेग ने पुलिस कमीशनर को यह विज्ञापन दिया।

हम से प्राय: सरकार को सहयोग देने के लिए कहा जाता है। हमने सहयोग दिया। हमने सरकार को सूचना दी। लेकिन परिणाम क्या हुआ?

श्री मिर्जा हमीद बेग को, जिन्होंने पुलिस कमीशनर को सूचना दी और 30 जनवरी को उन्हें ज्ञापन दिया था; बिना किसी अपराध के हवालात में बंद कर दिया गया।

मैंने मुख्यमंत्री को 1 फरवरी को ही सूचना दे दी थी और उन्होंने मुझे 3 दिन में ही उत्तर दे दिया था कि पूरी सावधानी बरती जाएगी। जब दंगे की आग फैली तो मुझे पूणे और शोलापुर में जाने की अनुमति नहीं दी गई।

पूणे में बड़ा जुलूस निकाला गया और बहुत से नारे लगाए गए——

> हिन्दुस्तान में रहना है तो हिंदू बन कर रहना होगा।
> हम सब सिखाएंगे, लांडिए को हिंदू बनाएंगे।
> यह देश है हिन्दू का, यह काम नहीं लांडिये का।

और भी अनेक महे नारे लगाए गए जिसकी सूचना हमने पुलिस कमीशनर को दे दी थी। उस पर क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही यह की गई है कि हमारे यूनिट के सचिव को वहां के निवारक कानून के अंतर्गत नजरबन्द कर दिया गया।

श्री जैल सिंह यहाँ उपस्थित हैं। गृह मंत्री यहाँ हैं। कृपया मुझे उन्हें एक उर्दू शेर कहने की अनुमति दीजिए :—

ख्वाब में भी न सोचा था हमने कभी
यह आलम भी चमन पर गुजर जाएगा
बागवां छीन लेंगे लिबासे बहार
और फुलों का चेहरा उतर जाएगा।

हमसे अनेक बार यह कहा गया है कि हमारे जीवन, संपत्ति और सम्मान की रक्षा की जाएगी। लेकिन जहां तक इन बातों का सवाल है, पूर्ण असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है। मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को अधिक समय नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप बहुत गुस्से में हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : इससे पुलिस की अयोग्यता का परिणाम है कि पता चलता है कि कर्फ्यू के समय में भी लूट पाट और आगजनी की घटनाएँ हुई। क्या कार्यवाही की गई? राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिशों का क्या हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने यह सिफारिश की थी कि यदि कहीं भी सांप्रदायिक हिंसा भड़कती है जो उस जगह के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी और सर्वोच्च सिविलियन अधिकारी को उसके लिये जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आपने पूणे के पुलिस कमिशनर के खिलाफ क्या कार्रवाही की है? राष्ट्रीय एकता परिषद की इस सिफारिश के अनुसार, आपने इन दंगाग्रस्त क्षेत्रों के जिला मेजिस्ट्रेटों के खिलाफ क्या कार्रवाही की है? इससे हमारे राष्ट्र की एकता को खतरा पैदा हो रहा है और इसका कोई राजनैतिक लाभ उठाये बिना हमें स्थिति का सामना करना है और कार्रवाही करनी है।

बात समाप्त करने से पहले मैं संक्षेप में एक और प्रश्न की ओर संकेत करूंगा। और वह यह है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रीय घटना हुई है। जिसके तरफ राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई ध्यान नही दिया गया है। 14 दिसंबर 1981 को इज्राइल ने एक संकल्प पारित किया जिसके द्वारा उसने सियोन राज्य "सीरियन गोलन हाइट्स" को, जिस पर उसने जून, 1967 में अपनी सशस्त्र सेनाओं द्वारा किये गये हमले में कब्जा कर लिया था, अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। इस प्रकार के कार्य का यह पहला अवसर नहीं था। उससे पहले जेरुशलम को हड़प लिया गया था और उसे सियोन राज्य की अविभाजीय और अपरिवर्तनीय राजधानी घोषित कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र महा सभा ने फरवरी, 1982 में एक संकल्प पारित किया जिसमें इज्राइल के इस कार्य की निन्दा की गई थी और इस संकल्प में संयुक्त राष्ट्र महा सभा ने कहा कि इज्राइल शांति प्रिय देश नहीं है और उसे पूर्णत: अलग कर दिया जाना चाहिए। हम इस संकल्प का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जब कि संयुक्त राष्ट्र महा सभा इज्राइल को पूरी तरह अकेला रखने के लिए कह रही है, इज्राइल वाणिज्य दूतावास बम्बई में अपना कार्य कर रहा है। इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महा सभा के प्रस्ताव के सम्मान में बम्बई स्थित इज्राइल वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया जाना चाहिए। इज्राइल के विरुद्ध और भी बहुत से कार्य किए जाने चाहिए जिनका कि मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव में अपने संशोधन में उल्लेख किया है। उन्हें दोहराने का समय मेरे पास नहीं है।

एक सवाल और है जो केरल के लोगों के बारे में है। मालाबार के लोग कालीकट के निकट हवाई अड्डा बनाने की मांग करते रहे हैं। अनेकों बार उनसे वायदे किए गए हैं। यहाँ तक कि प्रधान मंत्री भी कालीकट आई और उन्होंने आश्वासन दिया कि 1981 में ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाही नहीं की गई है। वहाँ बहुत ही बेचैनी है और आंदोलन हो रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह मालाबार और केरल की वाणिज्यिक राजधानी कालीकट के लोगों की सेवा के लिए कालीकट के समीप हवाई अड्डा बनाने के लिए शीघ्र कार्रवाही करे।

इन शब्दों के साथ, यद्यपि हमारे दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे हैं जिन्हें हम इस सदन के सम्मुख रखना चाहिए, आपकी चिंता को देखते हुए....

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है, क्योंकि आप बहुत गुस्से में थे।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं समाप्त करता हूं, और धन्यवाद देता हूं। हम राष्ट्रपतिजी के आभारी हैं कि उन्होंने 18 फरवरी, 1982 को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण दिया।

श्री महेंद्र प्रसाद (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, 34 अथवा 35 वर्ष पहले 1947 में जब हम ब्रिटिश राज्य से आजाद हुये थे, उस समय भारत अपनी जरूरत की हर वस्तू का आयात करता था। छोटी मोटी सुई तथा रूमाल जैसी वस्तूओं का भी आयात किया जाता था। तब से अब तक भारत ने बहुत तरक्की कर ली है और सर्वांगीण प्रगति की

है जिसके फलस्वरूप इस समय हमारी जरूरत की अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन अब देश के ही अंदर हो रहा है । सूई, और रूमाल तो छोड़िये, अब हम टैंक तथा हवाई जहाज तक का निर्माण कर रहे हैं । निस्संदेह भारत ने औद्योगिक कृषि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शानदार प्रगति की है ।

फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि स्थिति अभी भी उतनी संतोषजनक नहीं है । हम वह नहीं हैं जो कि होने चाहिये थे । यदि हमें अपने करोड़ों लोगों के कष्टों को दूर करना है तो हमें अभी बहुत से काम करने हैं ।

जन प्रतिनिधि होने के नाते लोगों को ज्वलंत समस्याओं का समाधान करना हमारा पावन कर्तव्य है । संक्षेप में, समस्या आर्थिक ही है और बाकि सब समस्यायें इसी से उत्पन्न होती हैं । यदि हम देशवासियों की विभिन्न समस्याओं को हल करने के प्रति गंभीर है जो कि हमें होना चाहिये । तो हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जो इस प्रकार हैं :—

(क) हर प्रकार के उत्पादन में वृद्धि, जिसके बारे में मैं बाद में वित्त विधेयक पर बोलते हुए चर्चा करूंगा ;

(ख) जनसंख्या नियंत्रण ;

(ग) एक मज़बूत सरकार जो समाज में शांति तथा व्यवस्था सुनिश्चित कर सके ।

1947 में जब हमें आजादी मिली थी, हमारी आबादी 30 करोड़ थी । 30 वर्षों के अंदर यह 1977 में यह दुगनी होकर 60 करोड से अधिक हो गयी है । अगले 30 वर्षों में यह 120 करोड़ हो जायेगी । अब प्रश्न यह है कि हम अपने लोगों को कहां से खिलायेंगे ? हम अपने साधनों को बढ़ा सकते है लेकिन उसकी भी एक सीमा है । हमें किसी न किसी तरीके से बढ़ती आबादी को नियंत्रित करना है । अपने देश में—जहां 80 प्रतिशत जनसंख्या निराक्षर है और अधिकांश शिक्षित केवल साक्षर हैं और सही अर्थों में शिक्षित नहीं हैं—और जहां अधिकाधिक बच्चे पैदा करना एक धार्मिक तथा पवित्र कार्य समझा जाता है—जहां तर्क पर ध्यान नहीं दिया जाता है और जहां समझने-बूझने से कोई लाभ नहीं निकलता—हम बढ़ती हुई आबादी को कैसे रोक सकेंगे ? उदाहरण के लिये मेरे ही गांव को लीजिये । 100 रुपये प्रति मास आय वाले एक व्यक्ति के 6 के करीब बच्चे है, जो सब लड़के ही है वह मेरे साथ पढ़ा था । मैंने परिवार नियोजन के बारे में उसे कुछ सुझाव दिये । उसने मेरे सुझाव मानने से इनकार किया । जनसंख्या पर रोक लगाने के लिये हमें व्यवहारिक यथार्थ वादी तथा सच्चा बनना पड़ेगा । यदि चोर चोरी करता है तो उसे शक्ति का प्रयोग करके कारावास का दण्ड दिया जाता है । यदि हत्यारा हत्या करे तो शक्ति का प्रयोग करके उसे फांसी पर चढ़ाया जाता है ? क्यों ? क्योंकि उसके कार्य से समाज में व्यवस्था पैदा हो जाती है और समाज की शांति तथा प्रगति रूक जाती है । इसी तरह अधिक बच्चे पैदा करना भी अपराध बन गया है जिससे समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाती है और शांति तथा प्रगति नहीं रहती । अतः अधिक बच्चे पैदा करने के इस अपराध की सजा दी जानी चाहिये और शक्ति का प्रयोग करके इसे रोका जाना चाहिये । वह दिन बीत चुके हैं जब अधिक बच्चे पैदा करने को एक पवित्र और धार्मिक कार्य समझा जाता था ।

जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिये शक्ति के प्रयोग के क्या परिणाम निकले ? इतिहास और धर्म की पृष्ठभूमि वाले भारत जैसे देश में किसी सरकार के लिये ऐसा करना एक बहुत ही अप्रिय नीति सिद्ध होगी । यदि सत्तारुढ़ दल ऐसी नीति चलाने के बाद चुनाव कराता है तो उसका हार जाना निश्चित ही है । 1977 में श्रीमती गांधी की सरकार का पतन हमारे सामने इसका एक ज्वलंत उदाहरण है । 1977 में उनका अपराध क्या था ? 1977 के चुनाव के बाद उनकी सरकार के पतन का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिये उनके द्वारा उठाये गये कदम थे । एक देश-भक्त के नाते, लोगों के कष्ट दूर करने हेतु जनसंख्या नियंत्रित करने के अलावा और कोई रास्ता उनके पास नहीं था ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महेन्द्र प्रसाद, कृपया आगे वाली सीट पर आ जायें ।

श्री महेन्द्र प्रसाद : यद्यपि पिछले कई वर्षों के अंदर जब श्रीमती गांधी दोबारा सत्ता में आयी कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है । फिर भी यह संतोषजनक नहीं है । हम देश के कई भाग में डाकुओं द्वारा किये गये निंदनीय अपराध के बारे में सुनते हैं । औद्योगिक शांति का अभाव है, देश के कई औद्योगिक नगरों में, कुछ तथाकथित मजदूर नेता, जैसे कि बम्बई में भी एक कुख्यात नेता हैं, उद्योगपतियों को डरा धमका रहे है तथा कारखानों के उत्पादन में बाधा डाल रहे तथा इस तरह से देश की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं । देशभक्त होने के नाते मेरे मन में कोई भी संदेह नही है कि ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिये और खुले आम गोली से उड़ा देना चाहिये । लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते है । यद्यपि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में ही होगा ।

समाज विरोधी तत्वों द्वारा किये जाने वाले कुछ अन्य अपराध तथ्य कृत्य भी हैं जिनसे समाज में अशांति, अव्यवस्था तथा असुरक्षा की भावना पैदा होती है और देश की प्रगति में बाधा पड़ती है । सरकार को ऐसे तत्वों के साथ बहुत सख्ती से निपटना पड़ेगा और ऐसी नीति अपनानी पड़ेगी जो राष्ट्रीय हित में होते हुये भी हो सकता है कि लोकप्रिय न हो । यदि

[श्री महेंद्रप्रसाद]

ऐसी सख्त तथा देशभक्तिपूर्ण नीति अपनाने वाला सत्तारूढ़ दल चुनाव कराता है तो वह निश्चय ही हार जायेगा। इस बात को सिद्ध करने के लिये 1977 का हवाला दिया जा सकता है।

यदि हमें सर्वांगीण प्रगति करनी है, यदि हमें तेजी से प्रगति करने वाले राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है, यदि हमें अपने आपको एक आदर्श राष्ट्र के रूप में सामने लाना है और इन उद्देश्यों को पूरा करना है, यदि हमें आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक तथा राजनैतिक प्रगति करनी है तो हमें ऐसी नीतियां अपनानी पड़ेगी जो अशिक्षित तथा रुढ़िवादी भारतवासियों के सन्दर्भ में, अप्रिय हो होंगी, जो सत्तारुढ़ दल की स्थिति को चुनावों में निश्चय प्रभावित करेंगी, जैसा कि आप जानते हैं, राजनैतिक दलों से सम्बद्ध व्यक्ति कोई संत तथा ऋषि नहीं हैं। देश और देशवासियों के हित के अलावा उन्हें सत्ता प्राप्ति की इच्छा भी रहती है और किसी नीति को अपनाने से जिस सीमा तक सत्ता प्रभावित होती है, उससे ऐसी अप्रिय नीति को अपनाने के लिये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक विरोध भी पैदा होगा, यद्यपि ऐसी नीतियां पूर्ण रूपेण राष्ट्रीय हित में हो क्यों न हों। इस प्रकार कठिनाई तथा द्विधा की स्थिति है। राजनैतिक दलों के पास सत्ता होनी चाहिये और देश तथा देशवासी समृद्ध होने चाहिये और समाज में प्रगति, शांति तथा व्यवस्था होनी चाहिये। अप्रिय नीतियां जरूरी हैं लेकिन चुनाव की जरूरत भी एक बड़ी बाधा है।

मैं जानता हूं कि इस प्रकार के सुझाव के प्रति, चाहे यह कितनी भी निष्काम तथा पवित्र भावना के साथ क्यों न दिया गया हो, सत्तारुढ़ पक्ष के तथा विपक्ष दोनों ओर के सदस्य विपरीत टिप्पणियां करेंगे तथा इसका भारी विरोध किया जायेगा। मेरे मन में काफी दिनों से यह सुझाव है कि क्या अगले 15 वर्षों तक चुनावों पर रोक लगाना सम्भव नहीं है। मेरे दल के नेता इस प्रकार के सुझाव के लिये मुझे फाड़ सकते हैं। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। चुनाव स्थगित करने से प्रजातंत्र संबंधी एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आयेगा। मेरे प्रजातंत्र के बारे में कुछ अपने विचार हैं जिन्हें मैं अवसर मिलने पर बाद में सभा में रखूंगा। मैं प्रजातंत्र का दुश्मन नहीं हूं। प्रजातंत्र एक स्थिर रहने वाली शब्दावली नहीं होनी चाहिये। हर चीज परिस्थितियों के साथ बदलती है और इस तरह प्रजातंत्र का अर्थ भी बदलना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चुनावों को प्रजातंत्र के ढांचे के अंदर रहते हुए ही स्थगित नहीं किया जा सकता। हमारा मुख्य उद्देश्य जनकल्याण होना चाहिये, दृढ़धर्मिता का पालन करना नहीं, चाहे यह प्रजातंत्र को ही दृढधर्मिता क्यों न हो। प्रजातंत्र का उपयोग गतिशील रूप से किया जाना चाहिये जिसका उद्देश्य राष्ट्र तथा लोगों का हित होना चाहिये। मेरी आकांक्षा यह है कि सरकार मजबूत तथा साहसिक कदम उठाये, चाहे चुनाव कराकर या बिना कराये। मेरी आकांक्षा और उद्देश्य चुनाव को स्थगित कराना नहीं है।

देश में कुछ गड़बड़ी पैदा करने वाली प्रवृत्तियां चल रही हैं। हमारे पास आसाम की पुरानी समस्या है और राष्ट्र-विरोधी खलिस्तान की मांग है। इन सबके लिये सरकार द्वारा सख्त, दृढ़ तथा अप्रिय कार्यवाही की आवश्यकता है। हमारे यहां न्यायधीशों और न्यायपालिका का साम्राज्य रहा है जो अहंकारी तथा राष्ट्रीय हितों और महत्वाकांक्षाओं से विलग है, जो राष्ट्रीय उद्देश्यों और हितों के विरुद्ध शोर मचाता है और इस प्रकार एक नियुक्त अंग निर्वाचित अंग को नियंत्रित करना चाहता है।

उपाध्यक्ष महोदय आपके अपने ही दल के सदस्य बोलने के अवसर से वंचित रह जायेंगे। आप अधिक समय ले रहे हैं।

श्री महेन्द्र प्रसाद : न्यायाधीशों द्वारा दिये बहुत से निर्णय हैं।*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आखरी वाक्य पढ़ें। आखरी पृष्ठ पर आयें।

श्री महेन्द्र प्रसाद : हमारे पास 1977, 1978 तथा 1979 का अनुभव है। तथाकथित जनता पार्टी का सत्ताप्राप्ति के लिये विभिन्न विचारधाराओं वाली विभिन्न पार्टियों के एक होने का अनुभव।

हमें अल्पकालिक छठी लोकसभा का अनुभव है जिसके दौरान दो प्रधानमंत्री बने जो राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करके सत्ता के लिए एक दूसरे का गला काटते रहे।

वही नाटक फिर शुरू हो गया है। राजनीतिक दल फिर मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य सत्ता की भूख है। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। मैं उनके भले की कामना करता हूं ....

(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

कृपया मुझे कुछ समय दीजिए ।

(व्यवधान)

मुझे अपना भाषण समाप्त करने दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वृद्धि चन्द्र जैन । उनके बाद मैं नए सदस्यों--श्री रामप्रसाद अहिरवार और श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी को बुलाऊंगा । उन्हें 7 से 10 मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए ।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : कृपया मुझे भी मौका दें ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना भाषण 5 मिनट में ही समाप्त करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक माननीय सदस्य 5 मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त करें । यदि प्रत्येक सदस्य 5 मिनट ही लेगा, तो हम सभी को मौका दे सकेंगे

(व्यवधान)

कृपया शांत रहे ।

अब श्री वृद्धि चन्द्र जैन । कृपया 5 मिनट ही लें ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो हमारे लोकप्रिय नेता प्रो० रंगा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उस का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है और दो साल के संकट के समय में हमारी केन्द्रीय सरकार ने जिस प्रकार स्थितिका मुकाबला किया है और देश की स्थिति को जो बहुत ही ऊंचा बना दिया है, उस के लिए हमको गर्व है । हमारे देश में कृषि की पैदावार बढ़ी है और 13.40 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ है, जोकि एक रिकार्ड उत्पादन है । चीनी के उत्पादन में भी हमने लक्ष्यों की प्राप्ति की है और चीनी का उत्पादन देश में 67 लाख टन कर के हम ने एक रिकार्ड कायम किया है । इसी प्रकार ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स में भी हमारे देश में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । रेलों से माल की ढुलाई में 14.4 प्रतिशतकी वृद्धि हुई है और औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । एक्सपोर्ट में भी 14 पर सेन्ट की वृद्धि हुई है । परन्तु जो मुद्रास्फीति है, उसके बारे में यद्यपि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आंकड़े दिये हैं, यह ठीक है कि मुद्रास्फीत की दर घट कर 6.9 प्रतिशत हुई है, पर अभी तक जो महंगाई का स्तर है, उस पर घटी हुई मुद्रास्फोति का बहुत असर नहीं पड़ा है । महंगाई से अभी तक लोगों को स्थिति डांवाडोल हो रही है । इस महंगाई को मीट करने के लिए जब तक हम राष्ट्रीय उत्पादन में प्रगति नहीं करते हैं, अपनी विकास दर नही बढ़ाते हैं तब तक हम इसमें सफल नहीं हो सकते हैं ।

एक कार्य के लिए मैं केन्द्रीय सरकार की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता । मेरे निर्वाचन क्षेत्र बाडमेर, जैसलमेर जिले में तेल और गैस के लिए ओ०एन०जी०सी० जो कार्य कर रहा है वह बहुत ही सराहनीय है । उन्होंने हमारे क्षेत्र में सीजमिक सर्वे करने के बाद अब खुदाई करने की तैयारी कर ली है और मुझे विश्वास है कि जैसलमेर, बिकानेर, बाड़मेर जहां भी हमें तेल, गैस और पेट्रोलियम को प्राप्ति की आशा है, वहां हमें यह सब आवश्य मिलेगा । क्योंकि हमारा वह क्षेत्र रेगिस्तानी है । ईरान, ईराक और सऊदी अरेबिया में जब तेल मिल सकता है तो मुझे पुरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र में भी तेल आवश्य मिलेगा और उसके लिए सरकार जो कोशिश कर रही है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी है ।

एक बात मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं । यद्यपि देश की उन्नति हो रही है परन्तु विद्युत की दृष्टि से, औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से जो हमारा राजस्थान प्रांत है वह बहुत ही पीछे है । 17 फरवरी तक के मेरे पास आंकड़े हैं कि राजस्थान प्रांत ने 309 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट किया । उसने यह इसलिए किया कि उसकी वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर है और लगातार चार सालों से वहां अकाल की स्थिति चली आ रही है । इस अकाल की स्थिति के कारण राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत डांवाडोल हो गयी है । केन्द्रीय सरकार ने भी राजस्थान की 540 करोड़ रुपये की योजना में कटौती कर दी है और इस से हमारा भविष्य अंधकारमय बन गया है ।

केन्द्रीय सरकार के परमाणु विभाग द्वारा जो बिजली घर चलाये जाते हैं उनमें बहुत ही लापरवाही बरती जा रही है । एक ईकाई तो लगातार पांच महीने तक बंद रही है । दुसरी ईकाई भी ठीक से नहीं चल रही है जिसके कारण जहां प्रतिदिन 210 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हो सकता था वहां प्रतिदिन 70 या 80 लाख यूनिट का उत्पादन हो रहा है । इस से हमारे कृषि उत्पादन को बहुत ठेस पहुंची है और औद्योगिक उत्पादन बिल्कुल ठप्प पड़ गया है । हमारे उद्योग धंदे प्रायः नष्ट हो गये हैं । यह स्थिति हमारे प्रांत की बन गयी है ।

[श्री वृद्धि चंद्र जैन]

अकाल की स्थिति से जो कि लगातार चार सालों से चली आ रही, हजारों की संख्या में पशु मर रहे हैं, मनुष्य की स्थिति बहुत दयनीय हो गयी है। अकाल राहत कार्यों में जहां पहले दस लाख मजदूर लगे हुए थे वहां अब दो लाख मजदूर ही उनमें लगे है। हमारे बाड़मेर और पाली जिलों में तो बहुत ही दुर्गति है। यह राज्य सरकार की क्षमता के बाहर है कि वह अकाल का सामना कर सके। केन्द्रीय सरकार के सामने हमने मेमोरेण्डम दिया था कि 258 करोड़ रुपये हमे अकाल राहत कार्यों के लिए दिए जाएं लेकिन केवल 23 करोड़ रुपये ही इस अकाल के लिए दिये गये।

जब कि फ्लड के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती, है परन्तु अकाल राहत कार्यों के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती—एडवांस लोन दिया जाता है। जहां पर इस प्रकार से लगातार अकाल हो, ऐसी परिस्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से, कृषि मंत्री जी से और प्रधान मंत्रीजीसे निवेदन है कि व खुद इस क्षेत्र का दौरा करें और इस विषम परिस्थिति में हमको सहायता दें। हमको सब्सिडी के रूप में 100 करोड़ रुपया दें, तब जाकर हम अकाल का मुकाबला कर सकेंगे। अन्यथा हम अकाल का मुकाबला नहीं कर सकते।

पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सिर्फ नगरों तक ही सीमित रह गया है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर 4 वर्षों से लगातार अकाल है, लेकिन चावल या गेहूं आदि वितरित करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार इस संबंध में तुरंत एक्शन ले और जहां-जहां 3-4 साल से फेमिन है, वहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टिम के जरिए गेहूं, चावल बांटने की व्यवस्था करें। यह बहुत आवश्यक है, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

अभी एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि मुसलमानों के प्रति इस प्रकार की नीति रख रहे है, जिससे उन्हें बड़ा भारी नुकसान पहुंच रहा है। आई०ए०एस० या आई०पी०एस०, ये तो कांपीटीशन हैं, इसमें मुसलमान 6 प्रतिशत भी आ सकते हैं और 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत भी आ सकते हैं। इसमें रिजर्वेशन संभव नहीं है इसलिए इस प्रकार से इस सेक्युलर पालिसी की ओर सरकार की आलोचना करना ठीक नहीं है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश में जो आर०एस०एस० की गतिविधियां चल रही हैं यह देश के लिए घातक साबित हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी आर०एस०एस० का रूप है इसके प्रति सख्ती से कदम उठाने चाहिएं। जिस प्रकार की नीति ये आसाम में अपना रहे हैं और साउथ में अपना रहे हैं, यह नीति देश के लिए बड़ी घातक है और इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए।

एक बात मैं और विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि यू०पी० और बिहार में हम डाकुओं को समाप्त करने में कामयाब नहीं हुए हैं। हरिजनों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं,उसको समाप्त करने में सफल नहीं हुए हैं। हमें यह बात माननी चाहिए और डाकुओं को समाप्त करने के लिए यू०पी० और बिहार की सरकार को आगाह करना चाहिए कि इस संबंध में ठोस कदम उठाएं। आज डाकुओं की यह स्थिति है कि उन्हें राजनितिक आदर दिया जाता है, एम० पी० और एम०एल०ए० उनका आदर करते हैं। यू० पी० और बिहार में यह स्थिति आज के प्रजातांत्रिक हिन्दुस्तान में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसलिए इस संबंध में कार्यवाही आवश्यक है।

राजस्थान नहर का जो प्रश्न है, उसके निर्माण के लिए हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। इसको पुरा करने के लिए छटी पंचवर्षीय योजना में 260 करोड़ रुपया खर्च किया जाए, तब यह योजना पूर्ण हो सकती है। इसके लिए 162 करोड़ रुपए का प्रोवीजन किया गया है। इसलिए इसके लिए विशेष रूप से प्रोवीजन करना चाहिए, ताकि राजस्थान नहर का निर्माण हो और यह रेगिस्तानी क्षेत्र आगे बढ़ सके।

इन शब्दों के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनकी ओर देखना चाहिए। आज आजादी के इतने सालों के बाद भी राजस्थान पिछड़ा हुआ है। इसकी योजनाओं में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसका विकास नहीं हुआ है और अकाल की स्थिति में भी केंद्र सरकार सहायता न करे, इससे ज्यादा दुविधा और क्या हो सकती है। मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार इस समस्या को विशेष रूप से ले और प्रधान मंत्री जी इसको विशेष रूप से लें और जो लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं और पशु मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, उनकी समस्याएं हल करें। आज पीने के पानी की समस्या वहां पर विकराल है, उसको हल करना बहुत ही आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण पर सदन में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम प्रसाद आहिरवार (सागर) : मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में बिजली की बहुत सख्त कमी है। सिंचाई के लिए लोगों को बिजली नहीं

मिलती है । इस कमी के कारण लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है । मैं मध्यप्रदेश के सागर जिले से चुन कर आया हूं । वहां कृषि को सिंचाई के लिए कोई बांध नहीं बनाया गया है और न ही बिजली की कोई व्यवस्था की गई है । 33 वर्ष कांग्रेस को शासन करते हुए हो गए हैं लेकिन आज तक सागर जिले में कोई बांध नहीं बनाया गया है जिससे सागर सम्भाग की सिंचाई की व्यवस्था हो सके । यह बहुत बड़ा मुद्दा है । मैं चाहता हूं कि शासन इस पर विचार करे । यह बहुत जरूरी है । कहने को तो आप कहते हैं कि आप सिंचाई के लिए, खेती के लिए यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं लेकिन सब काम कागज पर ही दिखाई देता है । यह ठीक नहीं है । कथनी और करने में जो अन्तर है यह समाप्त होना चाहिए । जो आप कहते हैं वह कार्यान्वित नहीं होता है । उसको कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ।

सागर जिला बहुत पिछड़ा हुआ जिला है । 33 वर्ष से वह पिछड़ा हुआ है । पंद्रह बीस वर्ष तक उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रीमती सहोदरा बाई राय करती रही हैं, वह जीत कर आती रही हैं । लेकिन फिर भी उस जिले के लिए कुछ नहीं किया गया है । वहां कोई भी बड़ा कारखाना नहीं लगाया गया है, कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया गया है । वहां केवल एक ही उद्योग है और वह बीड़ी उद्योग है । उस जिले में 22 प्रतिशत आबादी हरिजनों की है । रोजी रोटी के लिए वे बेचारे तरसते है लेकिन उनको रोजी रोटी नसीब नहीं होती है । कहने को तो आप कहते हैं कि आप हरिजनों के लिए यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है । 33 वर्ष से उन लोगों की दशा ऐसी ही बनी हुई है, उस में कोई सुधार नहीं हुआ है । सत्युग भी उन लोगों ने देखा है, द्वापार भी देखा है, त्रेता भी देखा है । वे हमेशा ही सताए गए हैं । इन 33 वर्षों में उनकी हालत और भी खराब हो गई है । आज भी वहां कुआछूत का बोल बाला है । हरिजनों की हत्यायें होती हैं, कत्ल होते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है । किस से कहे अपनी व्यथा कथा । जो एम० पी० है उसकी ही उस क्षेत्र में बैठने के लिए जगह नहीं दी जाती है, चाय पानी नहीं दिया जाता है । यह उस की हालत है जो उस क्षेत्र से चुन कर आता है । उस जिले की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए, हरिजनों की ओर गरीब की ओर भी आपका कुछ ध्यान जाना चाहिए और उस जिले के लिए कुछ पैसा आप दे दें तो उस जिले की, उस जिले के लोगों की हालत कुछ सुधर सकती है ।

आज हरिजनों पर अत्याचार होते है, गोलियां चलती है । जैसी नगर में एक हरिजन की हत्या हो गई । वहां चुनाव के दिनों में पंद्रह दिन तक मुख्य मंत्री सागर जिले में रहे, सारा मंत्रीमंडल वहां रहा लेकिन जैसी नगर में किसी ने जाने का कष्ट नहीं लिया । मुख्य मंत्री महोदय कुंवर अर्जन सिंह बहुत दयालु है लेकिन वहां उन्होंने अपनी दयालुता नहीं दिखाई ।

छठी योजना चालू है । मैं प्रार्थना करता हूं कि नर्मदा प्राजैक्ट पर जल्दी काम प्रारंभ किया जाना चाहिए और उसको समाप्त किया जाना चाहिये । सागर में बीना नदी पर आज तक बांध नहीं बनाया गया है । 1964 में वह योजना चली थी लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं किया गया है । कई बार उसका सर्वे हो चुका है । 1977 में मैं एक विधायक था । तब भी योजना चली थी । सर्वे हुआ था । उसकी रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार के पास, केन्द्र के पास आ चुकी है । लेकिन आज तक वह काम आरम्भ नहीं किया जा सका है । 1964 से लेकर आज 1982 तक बीना नदी पर बांध का कार्य नहीं हुआ है । सागर जिला सागर सम्भाग जिस में टोकमगढ़, छतरपुर, बीना, सागर और दमोह आते है, का सब से बड़ा जिला है । इस पूरे सम्भाग में कम से कम एक कृषि कालेज, एक इंजीनियरींग या मेडिकल कालेज होना चाहिए ।

हमारे यहां जहां से मैं चुनकर आया हूं सागर से खुरई के लिए उत्कल ऐक्सप्रेस और कलिंग ऐक्सप्रेस गाड़ियों को रोका जाना चाहिए जिससे लोगों को यात्रा की सुविधा हो । इसी तरह से हरिसिंह गौर सागर में पुराना विद्यालय है, उसको केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की आज्ञा दी जाए ।

आपने मान्यवर, जो मुझे अपने विचार प्रकट करने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजूराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं और मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं । तहेदिल से मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूं । महामहिम का अभिभाषण हमारी सरकार की रीतियों, नीतियों उसके कार्यकपालों का प्रतिबिम्ब होता है । पिछले वर्ष हमने क्या किया, क्या उपलब्धियां रहीं, सरकार की क्या नीतियां और लक्ष्य हैं और किस तरह से उन कामों को पूरा करना चाहती है, प्रगति के रास्ते पर देश को ले जाना चाहती है, यह सारी चीजें उसमें होती हैं और उन पर प्रकाश डाला जाता है ।

[श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी]

आपको मालूम है कि हमारा महान देश है जिसकी आबादी 70 करोड़ है, जिसमें कई तरह की भाषायें, धर्म, मजहब, रीति रिवाज और कई तरह की संस्कृतियां हैं इन सब को समेटकर चलना और इसके साथ साथ देश के अन्दर जो कठिनाइयां हैं जिनसे निपट कर के सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कदम उठा रहीं है वह सराहनीय है । हमारे देश में चाहे सीमा की समस्या हो अथवा असम की समस्या हो या पंजाब में कुछ अराजकतावादी तत्व जो प्रतिक्रियावादी नीतियां अपना रहे हैं या महाराष्ट्र में किसानों के नाम पर आन्दोलन करने वाले लोग हैं, या गुजरात के अन्दर आरक्षण को लेकर के उपद्रवकारी हो, इन सब समस्याओं के रहते हुए उनसे निपटते हुए सरकार ने जो प्रगती के कदम उठाये हैं वह बड़े ही सराहनीय हैं ।

हमारे देश में उत्पादन बढ़ा है । 1981-82 में महामहिम के अभिभाषण में देखा होगा कि बिजली का उत्पादन 11.3 फीसदी, कोयले का 11.2 फीसदी बढ़ा है इसी तरह से पेट्रोल, रासायनिक खाद, कच्चा तेल, कृषि उत्पादन आदि में तरक्की की है । आज दुनिया में चाहे अमरीका हो, फ्रांस हो या दूसरें मुल्क हों सारी जगह मुद्रास्फीति की दरें जिस तेजी से बढ़ रही हैं उनको देखते हुए हमारे यहां कम है । मैं थोड़े से आंकड़े देना चाहती हूं जो पिछले वर्ष के हैं। अमरीका में 9.9, यू० के० में 12.1, फ्रांस में 12.1, जापान में 8.9, इटली में 21.3, ग्रीस में 24.4 और यूगोस्लाविया में 31.1 प्रतिशत बढ़ी है । यह जो मुद्रास्फीति की दरें बढ़ रहीं हैं सारी दुनिया के अन्दर उसको देखते हुए, पिछले साल जो हमारी मुद्रास्फीति की दरें 22.2 थीं, हमारी सरकार के कार्यकलाप और उसकी प्रगति के नमूने ये हैं, कि आज वह घटकर 6.9 हो गई है ।

हमने इतना ही नहीं किया है, हमारे देश के अन्दर जैसा कि और माननीय सदस्यों ने बताया विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी हमने बहुत तरक्की की है । इस क्षेत्र में हमने अपने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है । हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमारे देश की राष्ट्र की दुनिया के सामने जिस तरह से प्रतिष्ठा बढ़ाई है, वह सराहनीय है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । हमारा जीता-जागता उदाहरण रोहिणी है और भास्कर-2 है । इनको भुलाया नहीं जा सकता है, इनको दरगुजर नहीं किया जा सकता है ।

आज देश के अन्दर जरूरत इस बात की है कि हम कठिन परिश्रम करें । अनुशासन और हमारी दूरदृष्टि इन चीजों को लेकर हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को प्रगति कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं ।

आज हमारी कर्मनिष्ट प्रधान मंत्री जी ने "श्रमेव जयते" का नारा लगाया है । श्रम ही सत्य है और सत्य ही कल्याणकारी है । हम श्रम से, मेहनत के द्वारा अपने राष्ट्र को बना सकते हैं, इसकी तरक्की कर सकते हैं । जब हम इस श्रम की विवेचना करने के लिये बैठते हैं तो हमें आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि हमारे जैसे नेता जो श्रम के लिये स्टेज पर भाषण देते हैं, वह कितना श्रम करते हैं । आज हम भाषण देते हैं उन किसानों के बीच में जो गर्मी की चिलचिलाती धूप में, जाड़े की कड़कड़ाती ठंड में या बरसात के दिनों में बरसते पानी में रात और दिन खेतों में अपना खून-पसीना बहाते हैं । क्या उनको हम श्रम की बात बताना चाहते हैं जो मजदूर सड़कों पर मिट्टी डालते हैं, गर्म-गर्म तारकोल लेकर सड़कें बनाते हैं, ईट और गारा ढोते हैं, उनके लिये श्रम की बात करते हैं ? यह श्रम की बात उनके लिये जरूरी नहीं है, हमें अपने जैसे राजनीतिज्ञों के लिये सोचना है कि हम लोग कितना श्रम करते हैं ? हमारे एयर-कंडीशन्ड दफ्तरों में बैठने वाले अफसर कितना श्रम करते हैं जो 11 बजे दफ्तर में आते हैं और साढे 12 बजे लंच के लिये चले जाते हैं । एक दो टेलीफोन किये, एक आध चाय की प्याली पी और लंच पर चले गये । मैं यह कहना चाहती हूं कि साढ़े 12 बजे और 3 बजे के बीच आप किसी भी आफिस के पास चले जाइये, वहां लोगों की महफिल लगी होगी, ताश खेलते होंगे, मीटिंग करते होंगे यह सारे कर्मचारी इस तरह से वहां नजर आयेंगे । आज यह हालत हमारी हो रही है, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है कि वह कितना श्रम करते हैं । आज श्रम की कीमत घटती जा रही है, जो श्रम करता है, वह पीछे पड़ा रहता है, जो बास की चापलूसी करता है, खुशामद करता है, वह आगे बढ़ता चला जाता है । इसलिए श्रम की कीमत कम होती है ।

मेरा किसी की आलोचना करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर हमें देश को आगे ले जाना है, तरक्की करनी है, बेकारी दूर करनी है, बेरोजगारी दूर करनी है, महंगाई को हटाना है तो बन्द करने से या चक्का जाम करने से या हड़ताल और आन्दोलन करने से समस्या का हल नहीं है । समस्या का हल तब होगा जब हम सब मिलकर एक होकर इस देश की तरक्की के लिये मेहनत करे, श्रम करें और उसकी उन्नति के लिए हम एक जूट होकर

काम करे । जैसे की इस वर्ष को हमारी सरकार ने उत्पादन का वर्ष घोषित किया है, यह उत्पादन तभी हो सकता है, जब सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए, मेहनत करने के लिये, ईमानदारी का रास्ता हम अपनायें ।

आपको ज्ञात है कि शासन ने नये बीस-सूत्री कार्यक्रम को हाथ में लिया है, जिसके अन्तर्गत पिछड़े हुए क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों की तरक्की के लिए, पिछड़े हुए लोगों, हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के लिए और देश की गरीबी तथा बेकारी को दूर करने के लिए कई अच्छे प्रोग्राम बनाए गए हैं ।

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना अपना कर्तव्य समझती हूं कि यह कोई छोपी हुई बात नहीं है कि पिछली सरकार की अदूरदर्शिता और अविवेकपूर्ण नीति के कारण कई मित्र देशों से हमारे सम्बन्ध बिगड़ गए थे । इस बीच में हमारी प्रधान मंत्री ने, जो "जिओ और जीने दो" को महज एक नारे के रूप में नहीं देखतीं, बल्कि उसको प्रत्यक्ष रूप में लागू कर के सारे विश्व में शान्ति की ज्योति जगाना चाहती है, कई देशों का दौरा कर के और कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग ले कर, जिनमें राष्ट्र-मंडलीय सम्मेलन भी हैं, इस देश के गौरव को बढ़ाया है । इसका फल यह है कि दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुए है ।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि पिछली सरकार के समय किस तरह से हमारी छवि धूमिल हो गई थी । आपको विदित है कि पिछली सरकार के विदेश मंत्री जब एक देश में गए, तो एक तोहफे के रूप में उस देश ने हमारे एक मित्र राष्ट्र पर हमला कर के हमें अपमानित किया था । लेकिन आज हमारी प्रधान मंत्री की दूर-दर्शिता और कुशल नेतृत्व के कारण दुनिया के देश हमारी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, दोस्ती के पैगाम दे रहे हैं । यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धी है ।

इन सब बातों के बावजूद हमें इस बात को मद्दे-नजर रखना होगा कि आज दुनिया में और विशेषकर हमारी सीमाओं पर क्या हो रहा है । हमारे एक पड़ोसी देश के, जिसकी ओर हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, किस तरह के वक्तव्य हमारे सामने आ रहे हैं । आज अमरिका से पाकिस्तान को जो नवीनतम हथियार मिल रहे हैं, उन्हें हम दर-गुजर नहीं कर सकते । यह जरूरी है कि हम अपनी सेनाओं को अच्छे से अच्छे हथियार और नये से नये शस्त्रास्त्र दे कर उन्हें मजबूत बनाएं, ताकि हमारे देश की सुरक्षा हो सके और हमारी आजादी कायम रह सके ।

इस बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जहां पिछड़े हुए क्षेत्रों और पिछड़े हुए लोगों की तरक्की के लिए काम किये जा रहे है, वहां प्रधान मंत्री द्वारा एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की ओर भी ध्यान दिया गया है, जिसकी ओर अभी तक किसी का ध्यान नहीं था । एक गर्भवती स्त्री को पौष्टिक आहार की बहुत आवश्यकता होती है । लोअर क्लास की फ़ैमिलिज़ की तो छोड़ दीजिए, मिडल क्लास की फैमिलिज में भी गर्भवती महिलाओं को, या उन माताओं को, जिनके नन्हे नन्हें बच्चे हैं, उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं हैं । इस बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं एवम् माताओं के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करने का लक्ष्य भी रखा गया है । यह कार्यक्रम बहुत दूरदर्शिता का परिचायक है । अगर मां स्वस्थ और तंदुरुस्त होगी, तो हमारी संतान भी स्वस्थ और तंदुरुस्त होगी । और अगर हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगी, तो हमारे देश का भविष्य भी उज्ज्वल होगा ।

इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि इस बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने अंधेपन को दूर करने के लिए भी कार्यक्रम बनाए है । हमारे देश में बढ़ती हुई यह बीमारी, यह अन्धापन, यह हमारे लिए अभिशाप है । इस को दूर करने के लिए जगह जगह युद्ध स्तर पर, एक रणनीति की तरह हम इस को ले रहे है । चाहे वह कुष्ट रोग हो, चाहे क्षय रोग हो, एक रणनीति की तरह इन बीमारियों से निपटने के लिए हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है वह बहुत ही सराहनीय है ।

मैं आप से एक निवेदन यह करना चाहूंगी कि हम गरीबी को दूर करने के लिए और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बात करते हैं तो हमें यह देखना भी होगा कि कहां कहां उस में प्रभावशाली काम हो रहा है । आज मैं जिस क्षेत्र से आई हूं, वह छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बना हुआ एक क्षेत्र है और वह बहुत ही पिछडा हुआ बहुत ही गरीब क्षेत्र है । मेरे संसदीय क्षेत्र से डेढ लाख आदमी आज केवल दिल्ली के अंदर मजदूरी करने के लिए भाग कर आए हुए हैं । यह स्थिति इसलिए हो रही है, ये सारे लोग जो देहातों से शहरों की तरफ भाग रहे हैं जिस से शहरों के ऊपर केन्द्रीकरण हो रहा है, उसका मुख्य कारण यह हैं कि हमारे जो उद्योग हैं वे सारे के सारे उद्योग शहरों में लगाए जा रहें हैं । हमारी सरकार का ध्यान इस तरफ होना चाहिए । उद्योग चाहे सरकारी क्षेत्र के हों, चाहे प्राइवेट हों, पिछड़े इलाकों में उन को लगाने का प्रयास होना चाहिए । पिछड़े इलाकों के

[श्रीमती विद्यावती]

उद्योगीकरण की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। मैं पिछले वर्ष हंगरी गई थी। एक छोटा सा देश है। लेकिन मैंने देखा कि वहां राजधानी में जो पहले के उद्योग थे या जो पहले की कुछ फैक्ट्रियां थी उन के नवीनीकरण का काम तो जरूर किया गया लेकिन नये जितने उद्योग या फैक्ट्रियां खोली गई वह सब देहातों की तरफ खोली गई। नतीजा यह है कि देहात के आदमी को देहात में ही काम मिलने लगा है और वह शहरों की तरफ भागने की कोशिश नहीं करता, शहरों के ऊपर बोझ नहीं बनता। यह हमारी भी एक नीति होनी चाहिए। अभी हमारे सागर से चुन कर नये संसद सदस्य आए हैं, उन्होंने बहुत जोर शोर से कहा कि 26 सालों में कुछ नहीं हुआ। उन को शायद नहीं मालूम है कि सागर में एक यूनिवर्सिटी है ....(व्यवधान)....

मैं जिस क्षेत्र से आती हूं वह बहुत ही गरीब है। वहां पर डाकुओं की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि जिस के लिए लाखों करोड़ों रुपया सरकार का हर वर्ष खर्च होता है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि क्या केवल दो चार दस डाकू मार देने से इस समस्या का हल हो जायगा? हम दो मारते हैं, दस मारते हैं और पन्द्रह पैदा हो जाते हैं। इस का मुख्य कारण यह है कि वहां गरीबी है, बेकारी है, आवागमन के साधन नहीं हैं, कोई उद्योग धन्धा नहीं है, कोई सिंचाई के साधन नहीं हैं, बिजली या इस तरह की चीजें नहीं हैं जिस के द्वारा वहां उत्पादन बढ़ाया जा सके और लोगों को उस में खपाया जा सके। करोड़ों रुपया डाकुओं के उन्मूलन के लिए खर्च किया जाता है। अगर वह वहां पर उद्योग खोलने के लिए खर्च किया जाय तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर आदमी को काम मिलेगा तो आदमी गलत रास्ते पर जाना पसंद नहीं करेगा। ....(व्यवधान).... वहां शिक्षा की जरूरत हैं। ....(व्यवधान)....

अन्त में एक बात कह कर मैं समाप्त करूंगी। हमारे यहां केन नदी की एक बृहत परियोजना बहुत दिनों से चली आ रही है। केन्द्र की स्वीकृति से ही वह पूरी हो सकती है क्योंकि उस में एक से अधिक राज्यों का सम्बन्ध आता है। उस से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले को और हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों के कई हजार हेक्टेयर जमीन को सिंचाई हो सकती है। और इसके साथ साथ वहां कम से कम 60-65 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। हमारी प्रधान मंत्री की यह नीति है कि जिस योजना से हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं उसको प्राथमिकता दी जाए। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री वादविवाद का उत्तर सोमवार को प्रश्न काल के बाद देंगी।

जैसी कि पहले घोषणा की जा चुकी है, सभा सामान्य बजट प्रस्तुत करने हेतु 5 बजे म०प० पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

(तत्पश्चात् लोक सभा 5 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(लोक सभा 5 बजे पुनः समवेत हुई)

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सामान्य बजट, 1982-83

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्षजी महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रतन सिंह राजदा : आपके विनिर्णय में संशोधन की गुंजाइश है। श्री प्रणव मुखर्जी राज्यसभा के सदस्य हैं। आप अपने विनिर्णय में संशोधन कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। कृपया बैठ जाइये।

श्री रतन सिंह राजदा : आप अपना विनिर्णय बदल सकते हैं। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले बजट की कोई मान्यता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास किसी समय भी आ सकते हैं।

श्री रतनसिंह राजदा : मैं इसे सभा में उठाना चाहता हूं ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं आपको पहले ही लिख चुका हूं और मैं वित्त मंत्री तथा सरकार की प्रक्रिया सम्बन्धी कतिपय त्रुटियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं । मैं आपका ध्यान दिनांक 8 दिसम्बर, 1981 के आपके विनिर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं । 7 दिसम्बर,1981 को रेल मंत्री ने माल भाडा और किराये में वृद्ध के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा था । सौभाग्यवश, अगले दिन आपने अपना विनिर्णय दिया कि अच्छा तो यह होता कि रेल मंत्री अनुदानों की अनुपूरक मांगे पेश करते । हम इसका स्वागत करते हैं । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सामान्य बजट का सम्बन्ध है, इस सामान्य बजट में पहले संचार मंत्री ने टेलिफोन की दरों में वृद्धि करके 100 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगाए हैं..... (व्यवधान)

अतः मैं चाहता हूं कि आप वही अभिकथन या वही विनिर्णय लागू करें । संचार मंत्रालय और रेल मंत्रालय को एक समान माना जाना चाहिए । मुझे यही कहना है ।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इस पर मेरा ध्यान पहले से ही है । इसके अतिरिक्त सरकार को शक्ति प्रदान की गयी है । यह तो केवल प्रश्न हैं....

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : औचित्य का ।

अध्यक्ष महोदय : ....औचित्य का ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह औचित्य का प्रश्न है ।

श्री सतीश अग्रवाल : यह औचित्य का प्रश्न है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीर हाट) : सभा की उपेक्षा नही की जानी चाहिए ।

वित्त मंत्री (**श्री प्रणव मुखर्जी**) : महोदय, मैं वर्ष 1982-83 का बजट प्रस्तुत करता हूं ।

कुछ दिन पहले, वर्ष 1981-82 की "आर्थिक समीक्षा" सदन के सम्मुख प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों का विस्तृत विवेचन किया गया था । अतः मैं आर्थिक स्थिति के केवल उन कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का संक्षेप में उल्लेख करूंगा, जिन्होंने इस वर्ष के बजट पर प्रभाव डाला है ।

जैसाकि सदन को मालूम है, जब दो वर्ष से कुछ अधिक समय पूर्व वर्तमान सरकार ने कार्यभार सम्भाला था, उस समय देश की आर्थिक स्थिति बड़ी गम्भीर और बिगड़ी हुई थी । . . . (**व्यवधान**) . . . 1979-80 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 4.8 प्रतिशत की गिरावट आ गई थी, आधारभूत ढांचे की हालत बड़ी खस्ता थी और जनवरी 1980 के अन्त तक कीमतें 23.3 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ गई थीं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : इस सरकार को आप सत्ता में लाये ।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह थी वह पृष्ठभूमि जिसमें मेरे सुप्रतिष्ठित पूर्ववर्ती वित्त मंत्री ने 1980-81 का नियमित बजट प्रस्तुत करते हुए सदन को सूचित किया था कि सरकार के सम्मुख जो अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है वह यह है कि आर्थिक स्थिति को बिगड़ने से रोका जाए और अर्थ-व्यवस्था को स्थिरता तथा विकास के मार्ग पर अग्रसर किया जाए ।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने बहुत हद तक ये उद्देश्य पूरे कर लिए हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान न डालें ।

श्री प्रणव मुखर्जी : वास्तविक अर्थों में हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, 1980-81 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 1981-82 में इस में 4.5 प्रतिशत की और वृद्धि होने की सम्भावना है । आधारभूत ढांचा ठीक तरह से काम कर रहा है । मुद्रास्फीति पर काबू पाया जा रहा है । आशा है कि इस वर्ष अनाज का उत्पादन एक नए शिखर तक पहुंच जाएगा । औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में 8 प्रतिशत की वृद्धि होगी ।

मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई को सरकार ने उच्च प्राथमिकता दी है । यदि इस मोर्चे पर किए जाने वाले प्रयासों में कोई ढील दी जाती तो इस से हमारे विकास की बुनियाद ही हिल जाती । मुद्रास्फीति से समाज के सभी वर्गों को कष्ट पहुंचता है, लेकिन इससे सबसे अधिक तकलीफ समाज के कमजोर और गरीब वर्गों को होती है । मुद्रास्फीति से विकास की प्रक्रिया को धक्का लगता है क्योंकि उससे निवेश की लागत विकृत हो जाती है और वित्तपोषण अधिकाधिक गम्भीर

[श्री प्रणब मुखर्जी]

समस्या बन जाता है । अतः यह सन्तोष की बात है कि हमने मुद्रास्फीति की दर को काफी हद तक कम करने में सफलता प्राप्त कर ली है ।

जनवरी 1982 के अंत में विन्दु-प्रति-विन्दु आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर केवल 4.9 प्रतिशत थी, जबकि इसकी तुलना में जनवरी 1981 के अन्त में यह 15.9 प्रतिशत और जनवरी 1980 के अन्त में, जब वर्तमान सरकार ने सत्ता सम्भाली थी, यह 23.3 प्रतिशत थी । कई वस्तुओं की थोक कीमतों में गिरावट आई है और धीरे-धीरे यह गिरावट उपभोक्ता कीमतों के सूचक अंक में परिलक्षित होने लगी है ।

लेकिन कीमतों की स्थिति पर बराबर नजर रखने की जरूरत है और इस संबंध में हाथ पर हाथ रखकर बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है । विदेशों में कीमतों की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है । देश में स्थिति यह है कि एक बार सूखा पड़ने से या किसी एक बड़ी फसल के खराब हो जाने से मांग और पूर्ति का संतुलन बिगड़ सकता है । अतः, हमें कृषि वस्तुओं तथा औद्योगिक वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाने और समूची मांग की वृद्धि को काबू में रखने के लिए भी अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा । साथ ही साथ हमें इस बात को सुनिश्चित व्यवस्था करनी होगी कि समाज-विरोधी तत्व पूर्ति की स्थिति और वितरण की व्यवस्था में रुकावट पैदा न कर सकें ।

जैसाकि मैंने पहले जिक्र किया है, चालू वर्ष में अनाज का उत्पादन नए शिखर पर पहुंच जाने की सम्भावना है । अनुमान है कि खरीफ के अनाजों का उत्पादन लगभग 800 लाख मेट्रिक टन होगा, जबकि इसकी तुलना में 1980-81 में यह 774 लाख मेट्रिक टन था और रबी की फसल की सम्भावनाएं भी बहुत अच्छी हैं । आशा है कि गन्ने के उत्पादन में काफी अधिक वृद्धि होगी और चीनी का उत्पादन 67 लाख मेट्रिक टन से भी अधिक के रिकार्ड स्तर पर पहुंच जाएगा । मूंगफली का उत्पादन भी पिछले वर्ष की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत अधिक होगा । कपास और जूट के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की सम्भावना है ।

कृषि-क्षेत्र के उत्पादन में जो लगातार वृद्धि हो रही है, वह हमारे किसानों, कृषि-वैज्ञानिकों और विस्तार कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का सबूत है । इससे यह बात भी सिद्ध होती है कि हमारी कृषि नीति बुनियादी तौर पर सही है जिसमें सिंचाई क्षमता के निर्माण, उर्वरकों के अधिकाधिक उपयोग, अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों के प्रसार और लाभप्रद मूल्य समर्थन नीतियों पर जोर दिया गया है ।

वर्ष 1979-80 में औद्योगिक उत्पादन 1.4 प्रतिशत घट गया था, लेकिन 1980-81 में इस में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 1981-82 में वृद्धि की यह दर इस से दुगनी होगी । आशा है कि वर्ष के दौरान पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, वनास्पती, चीनी, अखबारी कागज, कास्टिक सोडा, वैगन और वाणिज्यिक गाड़ी जैसे कई उद्योगों का उत्पादन नए शिखरों पर पहुंच जाएगा । सरकार ने आधारभूत क्षेत्रों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो ठोस कार्रवाई की है उसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि को बराबर कायम रखा जा सका है । चालू वित्तीय वर्ष में, जनवरी तक विद्युत उत्पादन में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । पिछले दो वर्षों में कोयले के उत्पादन में 170 लाख मेट्रिक टन से भी अधिक की वृद्धि हुई है और आशा है कि 1981-82 में कोयले का उत्पादन 1210 लाख मेट्रिक टन के लक्ष्य से भी बढ़ जाएगा । रेलवे द्वारा की जाने वाली माल की ढुलाई पिछली रिकार्ड ढुलाई से भी अधिक होगी और रेलवे का राजस्व उपार्जक यातायात अर्थात् रेवेन्यू अर्निंग ट्रेफिक भी बढ़कर 165 अरब मेट्रिक टन किलोमीटर हो जाएगा । वर्ष के दौरान रेलों की परिचालन क्षमता में सुधार करके, उदाहरण के तौर पर, वेगनों के वापस आने के समय में काफी कमी कर के ही ऐसा करना सम्भव हो सका है ।

वर्ष के दौरान मौद्रिक और ऋण नीतियों में अधिक उत्पादन के लिए, विशेषकर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और इसके साथ-साथ समूची मांग में वृद्धि को काबू में रखने पर जोर दिया जाता रहा । अर्थ-व्यवस्था में नकदी के प्रसार को नियंत्रण में रखने के लिए नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात को विभिन्न चरणों में 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया और सांविधिक नकदी अनुपात को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया । बैंक दर को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया और भारतीय रिजर्व बैंक की पुनर्वित्त की दर भी बढ़ा दी गई । इसके बावजूद, 1981-82 में, वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋण में 19 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने की सम्भावना है, जो उत्पादक क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए ।

सम्मानित सदस्य यह जान कर प्रसन्न होंगे कि हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंको के क्रियाकलापों में इस बात पर और अधिक जोर दिया जा रहा है कि उन ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए जहां पहले ये सुविधाएं कम हैं और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को पहले से अधिक ऋण दिए जाएं । जनवरी-नवम्बर, 1981 में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 2517 नई शाखाएं खोली गईं जिनमें से 2269 शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में खोली गई थीं । 1980 के अन्त में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 85 थी । 1981 में 22 ऐसे और बैंक खोले गए । समूचे बैंक ऋण का लगभग 36 प्रतिशत हिस्सा अब प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को मिलता है, जबकि 1979 में यह हिस्सा 33 प्रतिशत था । मार्च 1985 तक इस हिस्से को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है । ब्याज को विभेदी दरों की योजना अर्थात् डिफ्रेंशियल रेट आफ इंट्रेस्ट स्कीम बड़े कारगर ढंग से अमल में लाई गई है और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है जिससे इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले ऋण बैंकों के समूचे ऋण के 1 प्रतिशत के बराबर हों । आशा है अगले कुछ महीनों के अन्दर-अन्दर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अपना कार्य शुरू कर देगा । मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पहली जनवरी, 1982 से भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना की जा चुकी है ।

अब मैं भुगतान-शेष की स्थिति का जिक्र करना चाहूंगा । जैसाकि सदन को मालूम है, मुख्यतः आयात की कीमतों में, विशेषकर तेल और तेल उत्पादों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो जाने के कारण, 1979–80 से हमारे भुगतान-शेष की स्थिति काफी बिगड़ गई । इन घटनाओं का पूर्वानुमान लगाकर, सरकार ने, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित सुविधा (एक्स्टेंडिड फेसिलिटि) के अन्तर्गत 5 अरब एस डी आर के एक ऋण के लिए बातचीत करने का समय पर प्रबन्ध किया । ऐसा करना इसलिए जरूरी था कि आयात की जाने वाली अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था में कोई व्यवधान न आए और नई स्थिति के अनुसार अपने-आप को फिर से ढालने के लिए हमें समय मिल जाए । यह ऋण लेना इसलिए स्वीकार किया गया है कि योजनाबद्ध विकास की हमारी नीति के समायोजन कार्यक्रम को समर्थन प्रदान किया जा सके । इस ऋण से हमें अपनी उन नीतियों को अमल में लाने में सहायता मिलेगी, जिन्हें हमारी जनता और संसद अपनी स्वीकृति तथा अपना अनुमोदन प्रदान कर चुकी हैं ।

आने वाले वर्षों में हमारे भुगतान-शेष की स्थिति को फिर से सक्षम बनाने की सरकार की नीति का मुख्य तत्व है : सर्वप्रथम देश में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, इस्पात, खाद्य तेलों और अलौह धातुओं का उत्पादन बढ़ाना । ये वस्तुएं हमारे कुल आयात का लगभग 60 प्रतिशत बैठती हैं । इन क्षेत्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने और पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए सरकार ने आवश्यक कारवाई की है ।

इसके साथ-साथ हमें अपने निर्यात के आधार का विस्तार करने और अधिकाधिक निर्यात के अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने की दिशा में अपने प्रयत्नों को तेज करना होगा । वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों में निर्यातों में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो उत्साहजनक है । लेकिन, कई क्षेत्रों में, विशेषकर सूती कपड़े, जूट और चाय जैसे हमारे परम्परागत निर्यातों के मामले में हमें विश्व के बाजारों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है । इन निर्यातों और अन्य परम्परागत वस्तुओं के निर्यातों के स्तर को कायम रखते हुए उन निर्यातों को बढ़ाने के लिए अब पहले से अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है जिनके लिए विश्व के बाजारों में मांग में वृद्धि हो रही है । हाल के वर्षों में, अदृश्य मदों से होने वाली हमारी प्राप्तियों में, विशेषकर भारतीय मूल के अनिवासियों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशियों में काफी वृद्धि हुई है । हमारे भुगतान-शेष की स्थिति को स्थिरता प्रदान करने वाला यह एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है और इस स्रोत से होने वाली प्राप्ति में वृद्धि करने के लिए हमें पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करते रहना चाहिए ।

पिछले दो वर्ष अर्थ-व्यवस्था के संकट का मुकाबला करने और उसमें सुधार लाने के वर्ष रहे हैं । यह हमारी सफलता का सूचक है कि अर्थ-व्यवस्था फिर से सही रास्ते पर आ गई है । इससे हमें अर्थ-व्यवस्था को आगे बढ़ाने और आवश्यक मध्यावधिक समायोजन करने के लिए और प्रयत्न करने का अवसर प्राप्त हुआ है । 1982–83 में नीति का उद्देश्य यह होगा कि विकास की गति को कायम रखा जाए और छठी आयोजना के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी उपाय किए जाएं । ऐसा करने के प्रयोजन से पहले से अधिक पूंजी-निवेश करना होगा और अधिक उत्पादकता, कार्यकुशलता तथा विषमताओं को कम करने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अथक प्रयास करने होंगे । संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम का यही संदेश है । इस कार्यक्रम में वे क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं जहां विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है । जिनके कार्य और निष्पादन में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए ।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

हमें जो काम करने हैं, वे आसान नहीं हैं। सम्मानित सदस्य भली भांति जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में कैसी भौगोलिक –राजनीतिक स्थिति पैदा हो रही है और हम कितने कठिन समय में काम कर रहे हैं। यद्यपि हम सद्भावना के साथ स्थिति को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हर सम्भव उपाय करना जरूरी है। यह बोझा हमने जानबुझ कर अपने ऊपर नहीं लिया है और इसके लिए हमारी जनता को त्याग करना होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में, संरक्षण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जो विदेशी बाजारों में हमारी पहुंच के मार्ग में बाधा उपस्थित करती है। आर्थिक सहयोग का वातावरण भी बिगड़ा है और पहले रियायती शर्तों पर जितने साधनों की प्राप्ति की परिकल्पना की गई थी, अब उससे कम साधन प्राप्त होने की सम्भावना है। अन्य विकासशील देशों के साथ मिल कर हमें अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए और इन चिन्ताजनक प्रवृत्तियों को बदलने के लिए दबाव डालते रहना चाहिए। लेकिन अर्थ-व्यवस्था के विवेकपूर्ण प्रबन्ध के लिए यह जरूरी है कि अपनी आर्थिक नीतियां तैयार करते समय हम वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का यथोचित ध्यान रखें।

अर्थ-व्यवस्था के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकताएं बहुत बड़ी हैं और इसके लिए अब कोई देर नहीं होनी चाहिए। यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम अब पूंजी निवेश के लिए अधिक साधन जुटाने के वास्ते दृढ़ प्रयास करें। गैर-मुद्रास्फीति-कारी वातावरण बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि अर्थ-व्यवस्था में जो अतिरिक्त साधन जुटाए जाएं वे वास्तविक बचतों में से ही जुटाएं जाएं। लेकिन नई क्षमताओं में अतिरिक्त पूंजी निवेश के लिए पर्याप्त साधन तब तक उपलब्ध नहीं होंगे जब तक हम वर्तमान क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए भी कारवाई नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह सदन इस आशा में मेरा साथ देगा कि इस उत्पादकता वर्ष को सफल बनाने में समाज के सभी वर्ग भरसक प्रयत्न करेंगे। सरकार, अपनी ओर से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यथोचित प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयास करेगी।

गैर-मुद्रास्फीतिकारी रूप में साधनों का जुटाया जाना निश्चय ही एक बहुमुखी प्रयास होना चाहिए। इस काम के लिए कराधान में उचित समायोजन करना और करों से अधिक प्राप्ति सुनिश्चित करना जरूरी है। अर्थ-व्यवस्था में काले धन की जो घातक वृद्धि हुई है, वह सरकार और संसद् दोनों के लिए भारी चिंता का विषय है। विभिन्न आर्थिक अपराधों ने हमारे विकास प्रयासों को गम्भीर रूप से क्षति पहुंचाई है। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए गत वर्षों में हमने कई उपाय किए थे। दुर्भाग्यवश, जब हम सत्ता में नहीं रहे थे, तब इन प्रयासों में ढिलाई आ गई थी।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : हम पुनः....

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं सम्मानित सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सभी आर्थिक अपराधों को जड़ से उखाड़ फैंकने की हमारी वचनबद्धता बिल्कुल अक्षुण्ण है और इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ऐसे उपाय करने जा रहा हूं जिनसे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके कि आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए कानून के उपबन्धों का बड़े जोर के साथ और कारगर ढंग से अनुपालन किया जाए।

हमें आर्थिक लागतों के अनुरूप निर्देशित कीमतों में भी बराबर समायोजन करते रहना चाहिए।

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : अन्तुले ट्रस्ट।

श्री प्रणब मुखर्जी : सरकारी क्षेत्रों और उच्च प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों में अलाभप्रद मूल्य नीतियों के कारण और आगे पूंजी निवेश के लिए साधनों का ह्रास हो जाता है और इससे सिद्धान्तहीन व्यापारियों को कदाचार का मौका मिल जाता है। पिछले दो वर्षों में कीमतों में जो समायोजन किए गए हैं, उनसे यह भली भांति सिद्ध हो गया है कि सक्षम कार्य संचालन, अतिरिक्त साधनों के निर्माण और काले धन के पैदा होने के अवसरों को कम करने में उचित मूल्य नीतियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है।

हमारी अर्थ-व्यवस्था की एक बड़ी ताकत यह है कि हमारी बचत की दर अपेक्षाकृत काफी ऊंची है। अधिकांश बचतें पारिवारिक क्षेत्र की बचतें होती हैं। हमारे लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बचतकर्ताओं को वित्तीय प्रतिभूतियों में अपनी बचतों को लगाए रखने में पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो। यह बात निवेश के लिए अधिक रकमें जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। पिछले दो वर्षों में, इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। यह प्रयास जारी रहना चाहिए।

निजी बचतों को सरकारी इस्तेमाल के लिए जुटाने के उद्देश्य से, सरकार ने दो नए बचत-पत्र जारी करने का फैसला किया है। पहला है, सामाजिक सुरक्षा पत्र जो विशेष रूप से अल्पबचतकर्ताओं के लिए है। इस स्कीम के अन्तर्गत, 18 और 45 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्ति 5,000 रुपए तक की पूंजी लगा सकते हैं जो दस वर्षों में तिगुनी हो जाएगी।

इस सुरक्षा पत्र से निवेशकर्ता के परिवार को सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होगी। उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उसके द्वारा नामजद व्यक्ति को अथवा उसके कानूनी उत्तराधिकारी को सुरक्षा पत्र के पूर्ण परिपक्वता मूल्य को प्राप्त करने का तत्काल अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इस स्कीम के ब्यौरे की घोषणा अलग से की जाएगी। मुझे विश्वास है कि ये राष्ट्रीय बचत-पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बहुत से लोगों और हर स्थान के कम आमदनी वाले लोगों के लिए विशेष रूप से आकर्षक सिद्ध होंगे।

दूसरा बचतपत्र पूंजी निवेश बांड है, जिसका उद्देश्य सरकारी क्षेत्र में निवेश के लिए निजी बचतों को अधिक मात्रा में आकर्षित करना है। इन बांडों की परिपक्वता की अवधि दस वर्ष की होगी और इन पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा जो आय-कर से मुक्त होगा। उन्हें धन कर से और प्रथम बांडधारी के मामले में 10 लाख रुपए तक दान कर से भी छूट प्राप्त होगी। तथापि खरीदारों को इन बांडों में लगाई गई पूंजी का सम्यक् रूप से लेखा रखना होगा।

हम बचत की जो दर प्राप्त करने में सफल हुए हैं, उसका श्रेय हमारी जनता की मितव्ययता की आदत और सूझबूझ को जाता है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि बचतों को बढ़ावा देने के लिए जो नए अवसर और प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं, लोग उनका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे।

विदेशों से भेजी जाने वाली राशियां, देश के लिए विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये इस देश के लोगों और विदेशों में बसने वाले भारतीय मूल के लोगों के बीच विद्यमान घनिष्ठ सांस्कृतिक और पारिवारिक सम्बन्धों की भी द्योतक हैं। इस स्रोत से धन की प्राप्ति को और प्रोत्साहन देने के लिए, अनिवासियों को उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि करने का फैसला किया गया है।

भारतीय मूल के अ-निवासियों द्वारा, प्रत्यावर्तन अधिकार के बिना, किए गए किसी भी पूंजी-निवेश को, निवासी भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा किए गए निवेश के समान समझा जाएगा, जब तक कि यह निवेश वाणिज्यिक सम्पत्ति अथवा भूमि के लेन-देन के लिए न किया गया हो। उन्हें किसी नई अथवा मौजूदा कम्पनी में, उस कम्पनी द्वारा जारी की गई पूंजी के 40 प्रतिशत तक का निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। अब वे शेयर बाजारों में कम्पनियों के सूचीबद्ध शेयर, निर्धारित सीमाओं तक, खरीद सकते हैं। अ-निवासियों के विदेशी खातों में, एक वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता अवधि वाली नई जमा राशियों के ब्याज की दर, तुलनीय परिपक्वता अवधि वाली स्थानीय जमा राशियों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर से 2 प्रतिशत ऊंची होगी। इन विदेशी खातों में जमा राशियों में से भारत में दिए जाने वाले उपहारों पर दान कर नहीं लगेगा। अ-निवासी 12 प्रतिशत ब्याज वाले 6-वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्रों में भी पूंजी लगा सकते हैं, जो उनके मामले में, धन कर, आय कर और दान कर से मुक्त होंगे। अ-निवासी विदेशी खातों में और भारतीय कम्पनियों में निवेश की सुविधाएं उन कम्पनियों, भागीदारी फर्मों, ट्रस्टों, सोसाइटियों और अन्य निगमित निकायों को भी दी जाएंगी, जिनकी कम से कम 60 प्रतिशत तक मिलकियत भारतीय मूल के अ-निवासियों के हाथ में होगी।

अब मैं 1981-82 के संशोधित अनुमानों और 1982-83 के बजट अनुमानों को लूंगा।

1981-82 के संशोधित अनुमान

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1981-82 के दौरान राजस्व-प्राप्तियों में हर तरफ से वृद्धि हुई है। यह सन्तोष का विषय है कि 1981-82 के बजट में करों में भारी रियायतें दिए जाने के बावजूद आयकर से 1,520 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने की सम्भावना है, जबकि बजट में 1,444 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। इसी प्रकार, संशोधित अनुमानों के अनुसार निगम कर से 1,962 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी, जबकि बजट में 1,690 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान था। इस वृद्धि का कारण यह है कि पिछली जुलाई में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि किए जाने से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया को अधिक मुनाफे हुए हैं। संशोधित अनुमानों के अनुसार सीमा शुल्कों से भी अधिक अर्थात् 4,140 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने की संभावना है, जबकि बजट में 3,833 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था।

जहां तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का सम्बन्ध है, सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि उत्पाद शुल्क संग्रह 7,117 करोड़ रुपए से बढ़ कर 7,501 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है, अर्थात् उसमें 384 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इससे चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने का स्पष्ट संकेत मिलता है। अब अनुमान है कि 14,668 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की तुलना में 15,754 करोड़ रुपए का सकल कर राजस्व प्राप्त होगा। अनुमान है कि विभिन्न करों में राज्यों के हिस्से को घटाने के बाद, केन्द्र का निवल कर राजस्व 10,537 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से 943 करोड़ रुपए अधिक होगा।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में भी 12,795 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की अपेक्षा 579 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की संभावना है । बाजार ऋणों और अल्प बचतों से क्रमश: 100 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए का अधिक संग्रह होगा । विशेष वाहक बांडो से चालू वर्ष में 875 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, जबकि बजट में 800 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान था । इन प्राप्तियों के अलावा, राज्य सरकारों से अर्थोपाय अग्रिमों की वसूलियों में 200 करोड़ रुपए की और रुपया व्यापार करारों के अन्तर्गत तकनीकी ऋणों की वसूलियों में 117 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी ।

जहां तक व्यय का सम्बन्ध है, आयोजना के लिए कुल बजटीय सहायता, बजट अनुमानों के 9,771 करोड़ रुपए से बढ़ कर, 10,294 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है । राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए, जिनमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रम भी शामिल हैं, दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में 156 करोड़ रुपए की वृद्धि की जा रही है । इसमें से अधिकांश वृद्धि का कारण यह है कि सूखे से प्रभावित राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक अग्रिम आयोजना सहायता दी गई है ।

केन्द्रीय आयोजना में, रेलों और कोयले के परिव्यय में क्रमश: 157 करोड़ रुपए और 105 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है । कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के संवितरणों की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए, चालू वर्ष में उन्हें 389 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आयोजना सहायता दी जा रही है । डाक और तार विभाग के आन्तरिक साधनों में हुई कमी को देखते हुए, अपेक्षाकृत अधिक अर्थात् 173 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता की व्यवस्था की जा रही है । दूसरी ओर, कुछ अन्य सेक्टरों में आयोजना-व्यय में कमी होने का अनुमान है । कुल मिला कर, संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय सहायता में 467 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है ।

बजट अनुमानों में 15,100 करोड़ रुपए के आयोजना-भिन्न व्यय के लिए व्यवस्था की गई थी । कई कारणों से चालू वर्ष में यह व्यय भी अधिक होगा । रक्षा व्यय के लिए की गई व्यवस्था को 4,200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4,600 करोड़ रुपए किया जा रहा है । इसी प्रकार, राज्य सरकारों को दिए जाने वाले आयोजना-भिन्न ऋणों की व्यवस्था को 1,296 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 1,591 करोड़ रुपए किया जा रहा है । इसका मुख्य कारण अल्प बचत संग्रहों में राज्यों का अधिक हिस्सा होना और अधिक अर्थोपाय अग्रिमों का दिया जाना है, जो निस्सन्देह रूप से, इस वर्ष के दौरान ही वसूल किए जा रहे हैं । खाद्यान्नों के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता (सब्सिडी) को 650 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 700 करोड़ रुपए, कंट्रोल के कपड़े और हथकरघे से बने कपड़े पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 106 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 172 करोड़ रुपए और निर्यात के लिए नकद प्रतिपूरक सहायता (कैश कम्पेन्सेटरी सपोर्ट) और बाजार विकास के लिए की गई व्यवस्था को 390 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 477 करोड़ रुपए किया जा रहा है । रुपया व्यापार करारों के अन्तर्गत तकनीकी ऋणों के लिए की गई व्यवस्था को भी 50 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 175 करोड़ रुपए करना जरूरी है । संशोधित अनुमानों में, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की बढ़ी हुई पूंजी में भारत के हिस्से के अंशदान के लिए 91 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इन्हें और लेखाओं में हुए अन्य परिवर्तनों को हिसाब में लेने पर, संशोधित अनुमानों में आयोजना-भिन्न व्यय 16,160 करोड़ रुपए आंका गया है ।

संशोधित अनुमानों में कुल व्यय 26,554 करोड़ रुपए का आंका गया है, जबकि इसकी तुलना में बजट में कुल 24,871 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान था । व्यय की तुलना में अब कुल 24,854 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है, जबकि बजट में 23,332 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान था । इस प्रकार चालू वर्ष में बजट अनुमानों के 1,539 करोड़ रुपए के घाटे की तुलना में 1,700 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है ।

एक माननीय सदस्य : केवल इतना ही ?

श्री प्रणब मुखर्जी : हां, इतना ही ।

1982-83 के बजट अनुमान

वर्ष 1982-83 के बजट अनुमानों से पता चलेगा कि मैंने आयोजना परिव्यय को बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है । पिछले दो वर्षों में आर्थिक स्थिति में जो सुधार हुआ है, उससे हमें छठी आयोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जोरदार प्रयास करने का अवसर प्राप्त हुआ है । मैं 1982-83 के बजट में केन्द्रीय आयोजना के लिए 11,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं । विभिन्न सेक्टरों के लिए धन-राशि नियत करते समय, मैंने 20-सूत्री कार्यक्रम में उल्लिखित, गरीबों को ऊंचा उठाने के कार्यक्रमों पर, और इसके अलावा बुनियादी ढांचे से सम्बन्धित सेक्टरों की पूंजी-निवेश सम्बन्धी आवश्यकताओं पर बल देने का प्रयत्न किया है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपको 20- सूत्रों की जानकारी है ।

श्री प्रणब मुखर्जी : अगले वर्ष का केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 1981–82 के 8,619 करोड रुपए के संशोधित अनुमानों से 27.6 प्रतिशत अधिक है। माननीय सदस्य निस्सन्देह रूप से यह महसूस करेंगे कि विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यय को देखते हुए यह वृद्धि काफी अधिक है ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : कीमतें भी बढ़ गई हैं ।

श्री प्रणब मुखर्जी : केन्द्रीय आयोजना का वित्तपोषण 7,343 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से और 3,657 करोड़ रुपए के आन्तरिक और बजट-बाह्य साधनों से किया जाएगा। इस प्रकार, आयोजना परिव्यय में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आन्तरिक और बजट-बाह्य साधनों का हिस्सा 33.2 प्रतिशत होगा, जबकि उससे पहले वर्ष 26.8 प्रतिशत था ।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का 1982–83 का कुल आयोजना-परिव्यय, जिसमें पश्चिम बंगाल का अनन्तिम परिव्यय भी शामिल है, 10,137 करोड़ रुपए आंका गया है । यह 1981–82 के 8,860 करोड रुपए के परिव्यय से 14.4 प्रतिशत अधिक है। राज्यो और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि, 1981–82 के संशोधित अनुमानों की 3,462 करोड रुपए की राशि की तुलना में, 4,002 करोड़ रुपए होगी। इस प्रकार, केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का 1982–83 का आयोजना परिव्यय कुल मिलाकर 21,137 करोड रुपए होगा, जो 1981–82 के 17,479 करोड़ रुपए के आयोजना-परिव्यय से 21 प्रतिशत अधिक है।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आपने पश्चिम बंगाल का योजना परिव्यय घटा दिया है । क्यों ? आपने केवल पश्चिम बंगाल के मामले में योजना परिव्यय कम किया है।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं वाद-विवाद का उत्तर देते समय इसका जवाब दूंगा। (व्यवधान)

छठी आयोजना की नीति के अनुसार, अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण सेक्टरों के परिव्यय में काफी अधिक वृद्धि होने की परिकल्पना की गई है । कच्चे पेट्रोलियम के मामले में, चालू वर्ष में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है । उत्पादन में वृद्धि की गति को बरकरार रखने के लिए 1982–83 में तेल साफ करने के कारखानो और पट्रो-रसायनों सहित, इस सेक्टर का परिव्यय 2,045 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो चालू वर्ष के परिव्यय से 90 प्रतिशत अधिक है। कोयले के परिव्यय को, 1981–82 के 578 करोड़ रुपए के परिव्यय से बढ़ा कर, 877 करोड़ रुपए किया जा रहा है, अर्थात् इसमें 52 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। विद्युत के क्षेत्र में, केन्द्रीय आयोजना का परिव्यय 929 करोड़ रुपए है, जबकि इसकी तुलना में 1981–82 में यह 721 करोड़ रुपए का था। कुल मिला कर, ऊर्जा सेक्टर का परिव्यय चालू वर्ष की अपेक्षा 62 प्रतिशत अधिक है और केन्द्रीय आयोजना-परिव्यय में इसका भाग 34 प्रतिशत है ।

नई केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओ में कोरबा और रामगुंडम सुपर तापीय विद्युत केन्द्रों में 1000–1000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की स्थापना करन की परियोजनाएं भी शामिल हैं । राज्यों और केन्द्र की आयोजनाओं में विद्युत सेक्टर का परिव्यय, कुल मिलाकर 3,977 करोड़ रुपए है, जबकि 1981–82 में 3,326 करोड़ रुपए का था । 1982–83 में 3500 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की जाएगी ।

संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम में अनेक ऐसे क्षेत्रो में जोरदार प्रयास करने का आह्वान किया गया है जो अर्थ-व्यवस्था के लिए और हमारी जनता, विशेषतः समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इस कार्यक्रम का कारगर ढंग से क्रियान्वयन करने से हम सामाजिक न्याय के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सकेंगे । इसके लिए सभी स्तरों पर सुनियोजित प्रयास करने की जरूरत है। उन कई क्षेत्रों के लिए, जिन पर 20-सूत्री कार्यक्रम में जोर दिया गया है, 1982–83 में अधिक धन की व्यवस्था की गई है :

— केन्द्र और राज्यों की आयोजनाओं में सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास के लिए 2,133 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि 1981–82 में, 1,830 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी;

—केन्द्र और राज्यों की आयोजनाओं में कृषि के परिव्यय को, 1981–82 के 1,047 करोड़ रुपए के परिव्यय से बढ़ा कर 1,202 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें दालों, तेलहनों और बारानी खेती के लिए की गई व्यवस्था भी शामिल है ;

—केन्द्रीय क्षेत्र में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जब कि इसकी तुलना में 1981–82 में 145 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी अर्थात् इस में 31 प्रतिशत की वृद्धि की गई

[श्री प्रणब मुखर्जी]

है । इतनी ही धन-राशि राज्यों द्वारा जुटाई जाएगी । प्रत्येक खण्ड को 8 लाख रुपए प्राप्त होंगे जब कि 1981-82 में 6 लाख रुपए प्राप्त हुए थे । इस व्यवस्था से 1982-83 में 30 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को सहायता प्राप्त होने का अनुमान है ;

--राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए भी केन्द्रीय आयोजना में व्यवस्था को बढ़ा कर 190 करोड़ रुपए कर दिया गया है । इसके लिए भी इतनी ही रकम की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी । समाज के लिए इस कार्यक्रम से टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण होने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35 करोड़ कार्यदिवसों का रोजगार पैदा होने की सम्भावना है ;

--वर्ष 1981-82 के लिए अनुसूचित जातियों के वास्ते विशेष संघटक आयोजनाओं के लिए 110 करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई थी, उसे बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए कर दिया गया है । इसके अलावा, अनुसूचित जाति विकास निगमों में केन्द्र द्वारा 13.5 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई जाएगी; इन निगमों में इतनी ही रकम का अंशदान राज्यों द्वारा किया जाएगा । 1982-83 में, जनजाति उप-आयोजना में 95 करोड़ रुपए के प्ररिव्यय की व्यवस्था की गई है, जो पहले से अधिक है ;

--केन्द्र-प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के परिव्यय को बढ़ाकर 127.5 करोड़ रुपए किया जा रहा है ताकि राज्यों के 273 करोड रुपए के आयोजना परिव्यय की अनुपूर्ति की जा सके । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमानत: 45,000 समस्याग्रस्त गांवों को शामिल किया जाएगा ;

--गांवों के भूमिहीन लोगों को मकान बनाने के लिए स्थान देने के वास्ते 74 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है और राज्यों की आयोजनाओं में गंदी बस्तियों के वातावरण में सुधार करने के लिए 29 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है ;

--गांवों में बिजली लगाने के लिए 354 करोड़ रुपए के परिव्यय की योजना है । 1982-83 में 25,000 गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी और 4.25 लाख पम्प-सेटों को बिजली दी जाएगी ;

--75,000 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने के काम में सहायता देने के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि 1981-82 में 35,000 संयंत्रों की स्थापना की गई थी । इसी प्रकार, 1982-83 में 4 लाख हैक्टेयर भूमि में सामाजिक वनपालन योजना शुरू की जा रही है । इन वनरोपण कार्यक्रमों से, अत्यावश्यक ईंधन की लकड़ी मिलने के अलावा भूमि के कटाव को रोकने और पारिस्थितिक सन्तुलन को फिर से कायम करने में सहायता मिलेगी;

-- परिवार नियोजन परिव्यय को बढ़ाकर 245 करोड़ रुपए किया जा रहा है, जबकि 1981-82 में यह राशि 155 करोड़ रुपए थी । इस बात को देखते हुए कि स्वास्थ्य गाइड परिवार नियोजन अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, केन्द्र ने ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना के लिए पूरी रकम की व्यवस्था करने का निश्चय किया है ;

--स्वास्थ्य की देखभाल के लिए केन्द्रीय आयोजना में 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इससे स्वास्थ्य की प्राथमिक देखभाल की सामान्य सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी और कुष्ठ रोग, क्षय रोग और अंधेपन का नियंत्रण करने के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को तेज करने में सहायता मिलेगी । इन कार्यक्रमों में रोग का शीघ्र पता लगाने और उपचार पर जोर दिया जाएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के प्रयोजन से राज्यों के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में 82 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ;

-- केन्द्रीय आयोजना में महिलाओं के कल्याण के कार्यक्रम के लिए लगभग 16 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा । यह राशि राज्यों की आयोजनाओं में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त होगी । प्रौढ़ महिलाओं की कार्यात्मक साक्षरता के कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया जा रहा है जिसके लिए 4.6 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है जबकि 1981-82 में इसके लिए 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी ।

-- एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम को चालू आयोजना के अन्त तक 1000 परियोजनाओं में लागू किया जा रहा है, जबकि पहले लक्ष्य 600 परियोजनाओं का था । 1982-83 में 320 और परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है ।

--प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए 1982-83 में केन्द्रीय आयोजना में 14.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इस व्यय का अधिकतर भाग ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना के लिए है । 1982-83 में 75 और जिलों में ऐसी परियोजनाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ;

-- केन्द्रीय आयोजना और राज्यों की आयोजनाओं में ग्राम और लघु उद्योगों के विकास के परिव्यय को बढ़ा कर 340 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि 1981-82 में इस काम के लिए 315 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी।

पहाड़ी इलाकों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि बढ़ा कर 112 करोड़ रुपए कर दी गई है जबकि 1981-82 में यह राशि 92 करोड़ रुपए की थी। सरकार ने हाल में सहायता के उदार ढांचे को सभी पहाड़ी इलाकों पर लागू कर दिया है जिसके अनुसार 90 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है।

परिवहन सेक्टर के, जिसमें रेलवे, सड़क, पत्तन और नागर विमानन शामिल हैं, केन्द्रीय आयोजना परिव्यय को 1981-82 के 1,535 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 1,757 करोड़ रुपए किया जा रहा है। मेरे सहयोगी रेल मंत्री ने सदन को पहले ही 1982-83 की रेलवे आयोजना के बारे में बता दिया है। पत्तनों पर भीड़-भाड़ को दूर करने के लिए आधुनिकीकरण का एक जोरदार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसमें पत्तनों पर कंटेनरों के उठान-धरने की सुविधाओं को बढ़ाना और अतिरिक्त घाटों के निर्माण का काम शामिल है।

वर्ष 1982-83 के लिए आयोजना में भारी उद्योग विभाग और औद्योगिक विकास विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 480 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के लिए 97 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है। इसमें नागालैंड में तुली और आसाम में नौगांग और काछार में तीन बड़ी कागज परियोजनाओं के लिए 84 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी शामिल है। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि नागालैंड कागज परियोजना में शीघ्र ही उत्पादन होने लगेगा। सरकारी क्षेत्र की तीन सीमेंट परियोजनाओं का काम 1982-83 में शुरू हो जाएगा। 1982-83 में देश में सीमेंट उत्पादन की स्थापित क्षमता 380 लाख मेट्रिक टन हो जाने की सम्भावना है जबकि 1981-82 में यह 320 लाख मेट्रिक टन थी।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इसमें से आधी चुरा ली जाती है।

श्री प्रणव मुखर्जी : वर्ष 1982-83 में इस्पात के लिए आयोजना परिव्यय 860 करोड़ रुपए का है ; इस राशि में विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। 12 लाख मेट्रिक टन की क्षमता के पहले चरण वे 1985 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। विजय नगर इस्पात संयंत्र परियोजना के लिए कच्चे माल की ढुलाई के लिए परिवहन की व्यवस्था करने का काम चल रहा है। आयोजना में उड़ीसा एल्युमीनियम परियोजना के लिए 140 करोड़ रुपए का परिव्यय भी शामिल है।

रसायनों और उर्वरकों के सेक्टर के लिए 507 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें थाल वैशेत परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपए और हजीरा परियोजना के लिए 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी शामिल है।

1981 में उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण इस बात का प्रमाण है कि अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमारे देश ने कितनी प्रभावशाली प्रगति की है। अन्तरिक्ष कार्यक्रम के भाग के रूप में जून, 1981 में एपल अन्तरिक्ष यान छोड़ा गया था। इसका उपयोग विभिन्न प्रयोगों जैसे राष्ट्रीय दूरदर्शन और रेडियो प्रसारण, अंकीय (डिजिटल) संचार संगणकों के अन्तर्योजन और एस० टी० डी० के लिए किया जा रहा है। सरकार का एक मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। 1982-83 की केन्द्रीय आयोजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेक्टर के लिए 184 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

सरकार ऊर्जा के नवीकरण योग्य साधनों को विशेष महत्व देती है। अतिरिक्त ऊर्जा साधन आयोग (कमीशन फार एडीशनल सोर्सेज आफ एनर्जी) ने सौर, तापीय, प्रकाश-वोल्टीय, वायु, जैव-पिंड (बायोमास) और एकीकृत ऊर्जा प्रणालियों के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास तथा प्रदर्शन परियोजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने सौर ऊर्जा सम्बन्धी उपकरणों के निर्माण को औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट दे दी है।

हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा दक्षिणी ध्रुव का अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाना, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले वर्ष हमारे जहाजों द्वारा समुद्र तल से बहु-धात्विक नाड्यूलों का पहली बार संग्रह किए जाने के बाद, हिन्द महासागर में विस्तृत सर्वेक्षण करने का काम हाथ में लेने का प्रस्ताव है। हाल में बनाए गए महासागर विकास विभाग के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेक्टर की आयोजना में 17 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

हालांकि मैंने अगले वर्ष के आयोजना-भिन्न व्यय को सीमित रखने की कोशिश की है, फिर भी कुछ वृद्धियां अपरिहार्य हो गई हैं। रक्षा व्यय का अनुमान, चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के 4,600 करोड़ रुपए की तुलना में, 5,100

[श्री प्रणब मुखर्जी]

करोड़ रुपए का है। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य मेरे साथ इस बात पर सहमत होंगे कि देश के बाहर के अनिश्चित वातावरण को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की समग्र आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।

राज्यों को आयोजना-भिन्न ऋण देने के लिए, जिनमें अर्थोपाय अग्रिम भी शामिल हैं, 1,732 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि 1981-82 में 1,591 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी। आन्तरिक और विदेशी ऋणों में वृद्धि होने के कारण, जिनका उपयोग विकास कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था करने के लिए किया जाता है, ब्याज के लिए व्यवस्था, जो 1981-82 के संशोधित अनुमानों में 3,200 करोड़ रुपए है, बढ़ कर 1982-83 में 3,800 करोड़ रुपए हो गई है। खाद्यान्नों, उर्वरकों और कंट्रोल के कपड़े तथा हथकरघे के कपड़े के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए 1,270 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। निर्यात के लिए नकद प्रतिपूरक सहायता और बाजार विकास सहायता देने के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

मैं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें और पेंशन-राहत देने के लिए 1982-83 में 350 करोड़ रुपए की एक-मुश्त व्यवस्था भी कर रहा हूं। सरकार को पेंशनभोगियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए उन्हें कुछ राहत दी जानी चाहिए। पिछले वर्ष के बजट में मेरे पूर्ववर्ती सुप्रतिष्ठित वित्त मंत्री ने पेंशनभोगियों के लिए कुछ राहतों की घोषणा की थी। मैं विशेष रूप से पेंशन के निचले स्तर पर अब कुछ और राहत देने का प्रस्ताव करता हूं। राहत सहित, पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ा कर 150 रुपए मासिक कर दी जाएगी। राहत सहित, पारिवारिक पेंशन की राशि भी बढ़ा कर 140 रुपए मासिक कर दी जाएगी। इन उपायों से कम पेंशन पाने वाले लगभग 7 लाख पेंशनभोगियों, और पारिवारिक पेंशन पाने वाले 2 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पूर्वोक्त श्रेणी के लगभग 85 प्रतिशत व्यक्ति भूतपूर्व रक्षा कर्मचारी हैं। सदन मेरे साथ इस बात पर सहमत होगा कि जिन लोगों ने अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष देश की रक्षा में लगाए हों, वे ऐसी हर सहायता पाने के पात्र हैं, जो हम उन्हें प्रदान कर सकते हैं।

वर्ष 1982-83 का कुल आयोजना-भिन्न व्यय 17,874 करोड़ रुपए आंका गया है, जबकि इसकी तुलना में 1981-82 के संशोधित अनुमान 16,160 करोड़ रुपए के हैं।

जहां तक 1982-83 में होने वाली प्राप्तियों का सम्बन्ध है, कराधान की मौजूदा दरों पर सकल कर राजस्व 17,614 करोड़ रुपए आंका गया है, जबकि 1981-82 के संशोधित अनुमान 15,754 करोड़ रुपए के हैं। 1982-83 में करों में राज्यों के हिस्से का अनुमान 4,716 करोड़ रुपए लगाया गया है, जबकि चालू वर्ष में 4,274 करोड़ रुपए का अनुमान है। इस प्रकार केन्द्र का निवल कर राजस्व, चालू वर्ष के 11,480 करोड़ रुपए की तुलना में, 12,898 करोड़ रुपए होगा।

बाजार ऋणों से 3,200 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है, जबकि 1981-82 में 2,900 करोड़ रुपए की प्राप्तियां हुई थीं। अल्प बचतों से, 1981-82 के संशोधित अनुमानों के 1,300 करोड़ रुपए की तुलना में, 1,400 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। ऋण-परिशोधन की रकम को घटाने के बाद, 1,669 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि 1981-82 में 1,381 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त हुई थी।

इन प्राप्तियों को और कर-भिन्न राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों में होने वाली अन्य वृद्धियों तथा रेलों के किराये और भाड़े की दरों और डाक और तार की दरों में हुए परिवर्तन के प्रभावों को हिसाब में लेने के बाद, जिनका उल्लेख मैं कुछ देर बाद में करूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : खून देने के बाद।

श्री प्रणब मुखर्जी। 1982-83 में कुल 27,134 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है। व्यय का अनुमान 29,219 करोड़ रुपए लगाया गया है। इस प्रकार, कराधान की मौजूदा दरों पर बजट का कुल घाटा 2,085 करोड़ रुपए का होगा।

भाग ख

महोदय, कर प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से पहले, मैं उन स्थूल उद्देश्यों का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्हें मैंने ध्यान में रखा है। यद्यपि हम इस बात से चैन की सांस ले सकते हैं कि मुद्रास्फिति को कम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि बजट से मुद्रास्फिति के बढ़ने की सम्भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। विवेकपूर्ण सीमाओं से

अधिक के पूरे न किए गए किसी घाटे में मुद्रास्फीति अन्तर्निहित होती है । इससे कीमतों की प्रवृत्ति के बारे में आशंकाएं भी पदा होती हैं । अतः मेरी मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां तक व्यवहार्य हो, बजट के घाटे को कम से कम रखा जाए ।

मेरा दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि ऐसे उपायों से बचा जाए जिनका कम आमदनी वाले और मध्यम आमदनी वाले लोगों पर अनुचित बोझ पड़ता हो । मुद्रास्फीति के समय में इन लोगों पर सब से बुरा असर पड़ता है ।

जैसा कि मैंने पहले ही संकेत दिया है, इस बजट का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन और बचतों को बढाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिए जाएं । बचतों के अधिक होने और उत्पादकता में वृद्धि होने से मुद्रास्फीतिकारी दबावों को कम करने में सहायता मिल सकती है और साथ ही इससे विकास के लिए साधनों का निर्माण भी हो सकता है । वर्ष 1981-82 में सुदृढ कृषि एवं औद्योगिक वृद्धि के वातावरण में राजस्वों में तेजी से वृद्धि और मुद्रास्फीति की दरमें कमी से इस धारणा की पुष्टि होती है ।

महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष करों की ओर आता हूं । मेरा पहला प्रस्ताव वेतनभोगी करदाताओं के बारे में है । ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह कहा गया है कि रहनसहन की लागत में वृद्धि को देखते हुए आयकर से छूट की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए । मैं, सिद्धान्त रूप से, यह स्वीकार नहीं करता कि कर से छूट की सीमाएं रहनसहन के खर्च के सन्दर्भ में निर्धारित की जानी चाहिएं । लेकिन साथ ही मैं यह विश्वास करता हूं कि न्यूनतम कर-योग्य आय खण्ड के वेतनभोगी करदाताओं को कुछ राहत दी जानी चाहिए । इस समय, वेतनभोगी करदाता वेतन के 20 प्रतिशत लेकिन अधिक से अधिक 5,000 रुपए की सीमा तक मानक कटौती के हकदार हैं । मैं कटौती की दर को, 5,000 रुपए की अधिकतम सीमा को छेड़े बिना, 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं । इस से 20,000 रुपए तक के वेतनभोगियों को काफी राहत मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप 1982-83 में 21.58 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी ।

राहत के दूसरे उपाय का सम्बन्ध, उचित रूप से, उन लोगों के लिए है जो अपना कार्यशील जीवन समाप्त कर सेवा से निवृत्ति होते हैं । मैं, कुछ शर्तों के अधीन, रिटायर होने वाले कर्मचारियों को, उपयोग न की गई अर्जित छुट्टी के बदले नकद अदायगी के लिए आयकर से छूट का प्रस्ताव करता हूं ।

ऐसे करदाता जिन्हें मकान किराया भत्ता नहीं मिलता, उनके द्वारा अदा किए गए मकान किराये के लिए 300 रुपए प्रति मास के हिसाब से कटौती के हकदार होते हैं । लेकिन, मकान किराया भत्ता लेने वाले कर्मचारी, उनके द्वारा प्राप्त किए गए किराये के सम्बन्ध में 400 रुपए प्रति मास के हिसाब से छूट के हकदार होते हैं । मैं, उन कर्मचारियों के मामले में जिन्हें मकान किराया भत्ता नहीं मिलता, छूट की अधिकतम सीमा को 300 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं ।

अपने मकान में स्वयं रहने वाला मकान मालिक, मकान के वार्षिक किराया मूल्य में से, वार्षिक किराया मूल्य के आधे के बराबर या 1,800 रुपए को, इनमें से जो भी कम हो, कटौती का हकदार होता है । मैं इस सीमा को 1,800 रुपए से बढ़ाकर 3,600 रुपए कर देने का प्रस्ताव करता हूं ।

कर के प्रयोजन से, किसी नए बनाए गए मकान के, किराये पर उठाए जाने की स्थिति में, वार्षिक किराया मूल्य में से प्रत्येक रिहायशी यूनिट के मामले में 5 वर्ष की अवधि के लिए 2,400 रुपए की कटौती की जाती है । मकानों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, विशेषकर कम आय वाले लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, मैं इस सीमा को 2,400 रुपए से बढ़ाकर 3,600 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं ।

मैं जीवन बीमा, भविष्य निधि के अंशदानों आदि जैसी दीर्घावधिक बचतों के सम्बन्ध में कटौती की योजना को उदार बनाने का प्रस्ताव करता हूं । पहले 6,000 रुपए की अर्हक बचतों के लिए 100 प्रतिशत और अगले 6,000 रुपए की ऐसी बचतों पर 50 प्रतिशत और शेष बचतों पर 40 प्रतिशत के हिसाब से कटौती दी जाएगी । कटौती के लिए अर्हक बचतों की सीमा को भी 30,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए किया जा रहा है । लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, संगीतज्ञों, अभिनताओं, खिलाड़ियों और एथलिटों के मामले में इस सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए किया जा रहा है । इन दीर्घावधिक बचत से पूरे वर्ष में राजस्व की 26.17 करोड़ रुपए की और 1982-83 में 19.76 करोड़ रुपए की हानि होगी । कुछ समय बाद, करदाताओं के लिए बचतों के पात्र माध्यमों को बड़े पैमान पर व्यवस्था करना वांछनीय होगा । अतः मैं केन्द्रीय सरकार को अधिसूचित प्रतिभूतियों में निवेश के सम्बन्ध में मौजूदा कर रियायतों के दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं ।

मुझे पता चला है कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी की गई नई जीवन बीमा पालिसियों में से लगभग 15 प्रतिशत पालिसियां अगले वर्ष के समाप्त होने से पहले ही व्यपगत हो जाती हैं । पालिसियां जारी होने के इतनी जल्दी बाद

[श्री प्रणव मुखर्जी]

इतनी अधिक संख्या में उनका व्यपगत हो जाना चिन्ता का विषय है। इसका अर्थ यह भी है कि वह उद्देश्य, जिसके लिए ऐसी पालिसियों के प्रीमियमों पर करों से रियायत दी जाती है और जिसका मनोरथ दीर्घावधिक बचतों को बढ़ावा देना है, निष्फल हो जाता है। अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे मामले में जहां कोई करदाता दो वर्षों के प्रीमियम अदा करने से पहले पालिसी समाप्त कर देता है, वहां यदि पालिसी के अन्तर्गत कोई प्रीमियम अदा भी किए गए हों, उनके सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी जाएगी और यदि कोई कटौती दे दी गई हो, तो वह वापस ले ली जाएगी।

बचतों और निवेशों को बढ़ावा देने के मौजूदा प्रोत्साहनों के अधीन सरकारी प्रतिभूतियों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों, बैंक जमा और भारतीय कंपनियों के शेयरों जैसी विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों में निवेश से होने वाली 3,000 रुपए तक की आमदनी पर आयकर से छूट दी जाती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों से प्राप्त 2,000 रुपए की आमदनी पर भी कर से छूट प्राप्त है। मैं 3,000 रुपए की अधिकतम सीमा को 4,000 रुपए तक बढ़ाने और यूनिटों से प्राप्त होने वाली आमदनी की अधिकतम सीमा को अलग से 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इस उपाय से पूरे वर्ष में 12.12 करोड़ रुपए की और 1982-83 में 9.09 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

मैं, एक समानान्तर उपाय के रूप में, विनिर्दिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवेश के मूल्य की अधिकतम सीमा को, धन कर से छूट के प्रयोजन से, 1,50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,65,000 रुपए कर देने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों के संबंध में अलग से दी गई 25,000 रुपए की छूट को 35,000 रुपए तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। पूरे वर्ष में, इस उपाय से 1.54 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी लेकिन 1982-83 में कोई हानि नहीं होगी।

इस समय करदाताओं को, उनकी कर-योग्य आय का हिसाब लगाते समय, उनके द्वारा नई औद्योगिक कम्पनियों और ऐसी कम्पनियों के इक्विटी शेयरों में किए गए निवेशों के 50 प्रतिशत तक की कटौती दी जाती है जो रिहायशी मकानों के निर्माण और खरीद के लिए दीर्घावधिक वित्त की व्यवस्था करती हों। किसी एक वर्ष में इस कटौती की पात्र निवेश की अधिकतम अर्हक सीमा 10,000 रुपए तक सीमित है। ऐसी कम्पनियों में अधिकाधिक निवेश के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मैं निवेश की इस सीमा को बढ़ा कर 20,000 रुपए कर देने का प्रस्ताव करता हूं।

यद्यपि मैंने कर-योग्य निम्नतम आय वर्ग को कुछ राहतें दी हैं, लेकिन मेरे विचार से ऊंची आय के वर्गों पर लगने वाले कर की दरों को बढ़ाने की गुंजाइश है। अतः मैं व्यक्तिगत कराधान की दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं जिससे 60,001 रुपए से 70,000 रुपए तक के खण्ड पर आयकर की दर को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 52.5 प्रतिशत और 85,001 रुपए से 1,00,000 रुपए तक के खण्ड पर आयकर की दर की 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 57.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस उपाय से पूरे वर्ष में 3.24 करोड़ रुपए और 1982-83 में 2.43 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : और और काला धन भी पैदा करें।

श्री प्रणव मुखर्जी: लाभांशों, प्रतिभूतियों पर ब्याज और अन्य ब्याज की रकमों के स्रोत पर काट लिए जाने के कारण बहुत से छोटे-छोटे निवेशकर्ताओं को, जिनकी कर-योग्य आय छूट की सीमा से कम होती है, बड़ी परेशानी और तकलीफ होती है। ऐसे व्यक्तियों की सुविधा के लिए, मैं ऐसी व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव करता हूं कि आयकर की राशि स्रोत पर नहीं काटी जाएगी यदि प्राप्तिकर्ता ऐसी आय के दाता को इस आशय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर दे कि सम्बद्ध वर्ष के लिए उसकी अनुमानित आय छूट की सीमा से कम होगी।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचित केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की ऐसी प्रतिभूतियों पर अदा किए गए ब्याज में से स्रोत पर कर की रकम नहीं काटी जाएगी।

विदेशों में आय अर्जित करने वाले उन भारतीय नागरिकों को जो थोड़े समय के लिए भारत आते हैं, कराधान के प्रयोजन से भारत में "निवास" के लिए निर्धारित की गई कसौटियों से बड़ी तकलीफ होती है। किसी व्यक्ति को किसी वर्ष भारत का निवासी तब माना जाता है जब वह उस वर्ष में यहां केवल 30 दिन के लिए ठहरा हो और उसका 182 दिन या अधिक समय के लिए यहां निवास-स्थान हो। चूंकि इस कसौटी से भारत से बाहर काम करने वाले उन व्यक्तियों को तकलीफ होती है, जो अपेक्षाकृत थोड़े समय के लिए भारत की यात्रा पर आते हैं, इसलिए मैं निवास की इस कसौटी को हटाने का प्रस्ताव करता हूं।

एक और कसौटी के अधीन सम्बद्ध वर्ष से पहले के चार वर्षों में 365 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहने वाला व्यक्ति उस वर्ष 60 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहकर उस वर्ष के लिए भारत का

निवासी बन पाता है । विदेशों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के मामले में, जो भारत में छुट्टी पर या भ्रमण के लिए आते हैं, यह अवधि 90 दिन है, मैं यह लाभ स्वनियोजित और अन्य धन्धों में लगे व्यक्तियों को भी देने का प्रस्ताव करता हूं चाहे विदेशों में उनकी आजीविका या भारत में उनकी यात्रा का उद्देश्य कुछ भी हो ।

रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों को विदेशों में प्राप्त आय पर अब कर लगता है यदि वे उस वर्ष 60 दिन से अधिक समय के लिए भारत में रहे हों । मैं इस व्यवस्था को उदार बनाना चाहता हूं । ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को जो किसी वर्ष रोजगार के लिए भारत से बाहर गया हो, तब तक निवासी नहीं माना जाएगा, जब तक वह उस वर्ष भारत में 182 दिन या इससे अधिक समय के लिए भारत में न रहा हो ।

अब मैं विदेशी मुद्रा की आमदनी के बारे में कुछ प्रस्तावों को लेता हूं । मैं उन निर्यातकों को, जिनके किसी भी वर्ष के निर्यात का मूल्य, उस वर्ष के ठीक पहले के वर्ष के निर्यात-मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक हो, कर संबंधी कुछ राहतें देने का प्रस्ताव करता हूं । कर सम्बन्धी यह राहत, जिसका हिसाब अतिरिक्त निर्यात-मूल्य के विनिर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार लगाया जाएगा, निर्यात लाभ पर अन्यथा देय आयकर के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी जिसमें वह दर बताई जाएगी जिस पर कर सम्बन्धी यह राहत आंकी जाएगी और इस रियायत के प्रयोजन के लिए अर्हक माल का ब्यौरा दिया जाएगा ।

इमारतें आदि बनाने वाले हमारे ठेकेदारों की प्रतियोगितात्मक क्षमता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, जिन्होंने भारत के बाहर परियोजनाओं के काम हाथ में ले रखे हैं, उनके द्वारा ऐसे विदेशी ठेकों से कमाए गए लाभ की 25 प्रतिशत राशि को, कुछ शर्तों के अधीन, मैं छूट देने का प्रस्ताव करता हूं ।

विदेशों में बैंक कारबार करने वाले भारतीय बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से, मैं उन बैंकों को, जिन्हें इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त है, विशेष प्रारक्षित निधि खाते में ले जाई गई अपनी आय में 40 प्रतिशत तक की कटौती देने का प्रस्ताव करता हूं ।

ब्याज-कर अधिनियम के अन्तर्गत लगाया गया ब्याज-कर हमारी ऋण सम्बन्धी नीति का अभिन्न अंग है । लेकिन, औद्योगिक परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो जाने को ध्यान में रखते हुए मैं अनुसूचित बैंकों को, उनके द्वारा पूंजीगत संयंत्रों और मशीनरी के आयात के लिए दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज पर, ब्याज-कर की अदायगी से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं । पूंजीगत संयंत्र और मशीनरी के निर्यात की प्रतियोगितात्मक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से, मैं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारत से बाहर पूंजीगत संयंत्रों और मशीनरी के निर्यात के लिए आस्थगित अदायगी के आधार पर दिए गए ऋण पर अदा किए गए ब्याज की राशि पर कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं ।

सरकारी प्रयोगशालाओं, सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों, मान्यता-प्राप्त संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में विकसित औद्योगिकी से वस्तुओं के निर्माण के लिए स्थापित मशीनों और संयंत्रों के सम्बन्ध में 35 प्रतिशत की ऊंची दर से निवेश, छूट (इनवेस्टमेंट अलाउंस) दी जाती है । यह रियायत 31 मार्च, 1982 तक स्थापित मशीनों और संयंत्रों के बारे में उपलब्ध है । मैं इस कर-रियायत को पांच वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं ।

किसी देशी कम्पनी को किसी ऐसी भारतीय कम्पनी से, जो अन्यन रूप से अथवा लगभग अनन्य रूप से विनिर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण करती हो, प्राप्त लाभांशों को आयकर से पूर्णतया छूट प्राप्त है । मैं आधारभूत औषधों, संश्लिष्ट रबड़ और रबड़ रसायनों (जिनमें कार्बन ब्लैक भी शामिल है) के महत्व को देखते हुए, इन वस्तुओं का निर्माण करने वाली कम्पनियों से भी प्राप्त लाभांशों को इस कर-रियायत का लाभ देने का प्रस्ताव करता हूं ।

इस समय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनी ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों से सम्बन्धित अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए की गई व्यवस्था के बारे में इन बैंकों को कटौती करने की छूट दी जाती है । यह कटौती ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए कुल औसत अग्रिमों के 1.5 प्रतिशत तक सीमित होती है । ग्रामीण बैंकिंग को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सहायता देने के लिए, मैं इस कर-रियायत का लाभ इन बैंकों को भी देने का प्रस्ताव करता हूं ।

ऊर्जा में बचत और पर्यावरण का संरक्षण उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं इसलिए मैं ऊर्जा की बचत करने या पर्यावरण के प्रदूषण को न्यूनतम करने अथवा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले उपकरणों और सिस्टमों के बारे में 30 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास की छूट देने का प्रस्ताव करता हूं । अर्हक मदों की सूची यथा समय अधिसूचित कर दी जाएगी ।

[श्री प्रणव मुखर्जी]

इस समय, ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही अनुमोदित संस्थाओं को दिए गए दान के सम्बन्ध में करदाताओं की 100 प्रतिशत की कटौती को छूट प्राप्त है। मैं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली अनुमोदित संस्थाओं को दिए जाने वाले दान के सम्बन्ध में भी यह रियायत देने का प्रस्ताव करता हूं।

माननीय सदस्यों को यह सुन कर खुशी होगी कि मैं राष्ट्रीय बाल निधि को दिए जाने वाले दान को राष्ट्रीय महत्व की अन्य निधियों जैसे राष्ट्रीय रक्षा निधि, जवाहर लाल नेहरु स्मारक निधि और प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि को दिए जाने वाले दान के समकक्ष रखने का प्रस्ताव करता हूं।

मेरा विचार है कि पूंजीगत लाभ के सम्बन्ध में कराधान को कुछ युक्तिसंगत बनाया जाना वांछनीय है। गैर-निगमित करदाताओं के मामले में 5,000 रुपए तक के दीर्घावधिक पूंजीगत लाभों की पूर्णतया कटौती की जाती है। शेष राशि के 25 प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी जाती है यदि लाभ का सम्बन्ध भूमि और इमारतों से हो; और यदि लाभ का सम्बन्ध अन्य परिसम्पत्तियों से हो तो शेष राशि के 40 प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी जाती है। मेरा इन उपबन्धों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि कटौती को उस अवधि से जोड़ दिया जाए, जिस अवधि तक करदाता द्वारा पूंजीगत परिसम्पत्ति रखी गई हो, और उन मामलों में अपेक्षाकृत अधिक कटौती की अनुमति दी जाए, जिनमें परिसम्पत्ति अधिक लम्बी अवधि के लिए रखी गई हो। लेकिन सोने, बुलियन अथवा आभूषणों से सम्बन्धित पूंजीगत लाभों के सम्बन्ध में कुल कटौती 50,000 रुपए तक ही सीमित रखी जाएगी।

मकानों की भीषण कमी है और मकान-निर्माण के क्रियाकलापों को गति प्रदान की जानी जरुरी है। उन करदाताओं को प्रोत्साहन देने के लिए, जिनके पास अपना रिहायशी मकान नहीं है, मैं अन्य परिसम्पत्तियों के अन्तरण से उद्भूत दीर्घावधिक पूंजीगत लाभों को उन मामलों में कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं, जिनमें करदाता द्वारा निवल लाभ का निवेश किसी रिहायशी मकान में कर दिया जाए।

इस समय, किसी मकान के अन्तरण से प्राप्त पूंजीगत लाभ को उस हद तक आयकर से छूट प्राप्त होती है, जिस हद तक उसका इस्तेमाल करदाता द्वारा एक विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर निजी रिहायश के प्रयोजन से मकान के निर्माण अथवा उसकी खरीद के लिए किया जाए। इन शर्तों के कारण प्राय: कठिनाइयां होती हैं। इसलिए मैं इन प्रतिबन्धात्मक शर्तों को हटाने का प्रस्ताव करता हूं।

पूर्त और धार्मिक न्यासों के लिए यह जरूरी है कि वे आयकर अधिनियम में निर्धारित निवेश-ढांचे के अनुसार निवेश करें। जिस न्यास ने अपने निवेश में इस ढांचे के अनुसार परिवर्तन नहीं किया, उसे 1982-83 के कर-निर्धारण वर्ष से कर से छूट नहीं मिलेगी। इन न्यासों को अपने न्यास के स्वरूप में परिवर्तन करने की पर्याप्त सूचना दे दी गई थी और सामान्यत: मैं इन उपबन्धों में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव न करता। लेकिन, मैंने देखा है कि पूर्त और धार्मिक न्यासों से सम्बन्धित समूचे उपबन्धों पर आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। चूंकि सरकार इस मामले में आयोग की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहेगी, इसलिए मैं सम्बन्धित उपबन्धों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि इन न्यासों को 1982-83 के कर-निर्धारण वर्ष से आय-कर से छूट मिलनी बन्द न हो जाए।

मेरे सप्रतिष्ठित पूर्ववर्ती वित्त मंत्री ने 31 मार्च, 1981 को लोक सभा में घोषणा की थी कि आयकर के उन उपबन्धों को, जिनका सम्बन्ध न्यास निधियों के निवेश-ढांचे से है, संशोधित किया जाएगा, ताकि पूर्त और धार्मिक न्यासों अथवा संस्थाओं को न्यास-निधियों को अचल सम्पत्ति में भी निवेश करने की अनुमति दी जा सके। मैं उनके द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए आयकर अधिनियम के संगत उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव कर रहा हूं।

यद्यपि वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1980 के द्वारा कृषि सम्पत्ति पर धन कर लगाया जाना बन्द कर दिया गया था, लेकिन चाय, काफी, रबड़ और इलायची बागानों के मालिकों पर धन कर लगाया जाता रहा। हमारा अनुभव यह है कि उन कृषि भूमियों का, जो ऐसे बागानों का भाग हों, मूल्यांकन करने में प्रशासनिक कठिनाइयां, तंग किए जाने की शिकायतें और मुकदमेबाजी उत्पन्न हो जाती है। इस कर से होने वाली प्राप्ति भी बिलकुल नगण्य होती है। इसलिए, मैं ऐसे बागानों पर भी धन कर लगाना बन्द करने का प्रस्ताव करता हूं।

किसी करदाता के लिए अपने व्यवसाय या आजीविका को चलाने के लिए आवश्यक औजारों और उपकरणों के मूल्य को, कुल मिला कर 20,000 रुपए की राशि तक, धन कर से छूट प्राप्त है, जो अपर्याप्त प्रतीत होती है। मेरा इस राशि को 50,000 रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। मैं धन कर से छूट के प्रयोजन से वाहनों के, जिनमें मोटर कारें भी शामिल हैं, मूल्य की वर्तमान 30,000 रुपए की उच्चतम सीमा को बढ़ा कर 75,000 रुपए करने का भी प्रस्ताव करता हूं

किसी सम्पत्ति के दान से सम्बन्धित लिखत पर दिए गए स्टाम्प शुल्क को, उन मामलों में जिनमें करदाता द्वारा दिए जाने वाले दान-कर की राशि 1,000 रुपए से अधिक हो, दान-कर से कटौती करने की छूट दी जाती है। मैं इस कटौती का लाभ उन मामलों में भी देने का प्रस्ताव करता हूँ जहां देय दान कर की राशि 1,000 रुपए से अधिक न हो।

होटल आमदानी कर अधिनियम, 1980 में लक्ज़री होटलों की सकल आमदनी पर कर लगाए जाने का उपबन्ध है। चूंकि इस कर के लगाए जाने से भारत में विदेशी पर्यटकों के आने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। (व्यवधान) इसलिए मैं इन होटलों को 27 फरवरी, 1982 के बाद प्रोद्भूत या उद्भूत अथवा उन्हें प्राप्त होने वाली प्रभार्य आमदानी के सम्बन्ध में इस कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे राजस्व में लगभग 6 करोड़ रुपए की कमी होगी।

प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में अन्य प्रस्ताव अपेक्षाकृत कम महत्व के हैं। इसलिए, मैं यहां उनका उल्लेख करके सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अब अप्रत्यक्ष करों की समस्या।

श्री प्रणब मुखर्जी : माननीय सदस्यों ने यह नोट किया होगा कि मैंने प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखे हैं, उनमें मैंने बचत को काफी प्रोत्साहन देने के साथ साथ कर प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया है। मैंने पूंजीगत लाभ कर को भी युक्तिसंगत बनाया है और जहां आवश्यक था, वहां कुछ रियायतें प्रदान की हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अप्रत्यक्ष करों की ओर आता हूं। पहले मैं सीमा शुल्कों को लेता हूं। मेरा मुख्य प्रस्ताव सहायक सीमा शुल्कों के बारे में है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : उनको समाप्त कर दीजिये।

श्री प्रणव मुखर्जी : इस शुल्क को, जो 1973 के बजट से वार्षिक आधार पर लगाया जाता है, 1982-83 में जारी रखने का प्रस्ताव है। पिछले कुछ समय से भुगतान शेष की स्थिति पर दबाव बना हुआ है और आने वाले कुछ समय तक यह दबाव बना रहेगा। लेकिन उदार आयात प्रणाली हमारी आर्थिक नितियों का अंग रही है। इसे जारी रखा जाएगा ताकि विशेष रूप से अत्यावश्यक और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में निवेश और उत्पादन के मार्ग में बाधा न आए और उनकी गति धीमी न हो। लेकिन जो लोग इस कठिन समय में आयात कर सकते हैं, उन्हें उसके लिए कुछ अधिक अदायगी करने में शिकायत होने का कोई ठोस कारण नहीं है। तदनुसार, मैं सभी श्रेणियों के आयात पर, कुछ अपवादों के साथ, सहायक शुल्कों में 5 प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं सहायक शुल्कों में प्रस्तावित वृद्धि के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं जैसे कच्चे पेट्रोलियम, थोक पेट्रोलियम उत्पादों, जैसे मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल तेल, और कुछ अन्य वस्तुओं को, जिन पर सीमा शुल्कों की दरों में हाल में मूल्य समता के प्रयोजन से समायोजन किए गए थे, शामिल नहीं कर रहा हूं। इन प्रस्तावों का पूरा ब्योरा बजट-पत्रों में उपलब्ध है

सहायक सीमा शुल्कों से सम्बन्धित मेरे प्रस्तावों से 290 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है

बाजार की मौजूदा स्थिति और कुछ चुने हुए उद्योगों को प्रोत्सहन देने की आवश्यकता को देखते हुए, बुनियादी सीमा शुल्कों में कुछ परिवर्तन करने जरूरी हैं। मैं बुनियादी सीमा शुल्कों की मूल्यानुसार दरों को कार्क और कार्क से बनी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 60 प्रतिशत करने, कुछ रंजक पदार्थों पर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने तथा रंजक पदार्थों, वर्णकों तथा रंगों और पेंट तथा वार्निशों पर 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता। मैं लोहे और इस्पात की कतिपय मदों जैसे स्टेनलेस के इस्पात मेल्टिंग स्क्रैप और तापरोधी इस्पात और कुछ किस्मों के मिश्रित इस्पात, जिसमें स्टेनलेस इस्पात और तापरोधी इस्पात शामिल नहीं है, पर भी बुनियादी सीमा की मौजूदा दरों को शुल्कों बढ़ाकर 60 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। तांबे की पाइपों और ट्यूबों, विनिर्दिष्ट विशिष्टियों वाली ब्लैंक और खोखली छड़ों पर लगने वाले बुनियादी सीमा शुल्क की प्रभावी दर को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जाएगा। पालिस्टर चिप्स पर बुनियादी सीमा शुल्क को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 140 प्रतिशत किया जा रहा है। इन प्रस्तावों से 42 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।

यह याद दिला दिया जाए कि पिछले बजट में आयातित अखबारी कागज पर, जिस पर अब भी भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है, 15 प्रतिशत मूल्यानुसार की प्रभावी दर से सीमा शुल्क लगाया गया था। सरकार को इस शुल्क के खिलाफ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मैं इस मूल्यानुसार शुल्क को कुल 825 रुपए प्रति मेट्रिक टन के मात्रानुसार शुल्क में बदलने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के फलस्वरूप इस शुल्क के भार में स्वत: वृद्धि न हो। इससे राजस्व में कोई कमी नहीं होगी।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

देश के जस्ता और सीसा उद्योगों को निवेश वस्तुओं, विशेषत: आयातित सान्द्रणो (कान्सन्ट्रेट्स) की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस उद्देश्य से कि ये उद्योग अपनी क्षमता का अधिक उपयोग कर सकें, मैं आयातित जस्ता सान्द्रणों पर लगने वाले सीमा शुल्क के कुल भार को 50 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत और सीसे के सान्द्रणों पर सीमा शुल्क के कुल भार को 50 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ-साथ, मैं आयातित जस्ता धातु पर मूल्यानुसार सीमा शुल्क को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। राजस्व में होने वाली हानि को अंशत: प्रतिसंतुलित करने के लिए, मैं देश में उत्पादित जस्ता धातु, जस्ते के स्क्रैप और जस्ता उत्पादों पर उत्पाद शुल्कों की दर में 715 रुपए प्रति मेट्रिक टन और सीसे की धातु और स्क्रैप पर सीमा शुल्क की दर में 374 रुपए प्रति मेट्रिक टन की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। जस्ते की पाइपों और ट्यूबों के उत्पाद शुल्क की मूल्यानुसार दर को 38.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 49.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, कुल मिलाकर, लगभग 41 लाख रुपए की हानि होगी।

निर्यात बाजार में घटती हुई कीमतों के सन्दर्भ में, भारतीय क्रोमाइट अयस्क की प्रतियोगिता क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, मेरा क्रोमाइट के विभिन्न ग्रेडों के अयस्क और सान्द्रणों पर लगने वाले निर्यात शुल्क की मौजूदा मात्रानुसार दरों के स्थान पर 10 प्रतिशत का मूल्यानुसार शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इससे राजस्व में 1 करोड़ रुपए की कमी होगी।

मैं दो उर्वरकों-केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट को सीमा शुल्कों से पूर्णतया छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। विद्युतचालित टिलरों के निर्माण के लिए अन्तर्दहन इंजनों और इन इंजनों के गैर-अन्तर्बदल (नान-इंटर-चेंजेबल) हिस्सों पर लगने वाले आयात शुल्क को भी 125 प्रतिशत से घटा कर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

मैं जीवन रक्षक औषधों और दवाओं के उत्पादन के लिए आयात की जाने वाली 10 और थोक औषधों को पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। ब्यौरा अधिसूचित किया जा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में, सरकार राजस्व तंत्र का उपयोग इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास में तेजी लाने के लिए करती रही है। इस दिशा में एक और कदम के रूप में, मैं संगणकों, परिकलन यंत्रों, लेखापालन मशीनों, कैश रजिस्टरों और कतिपय इलेक्ट्रानिक उप-असेम्बलियों जैसी इलेक्ट्रानिक वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क की मौजूदा 40, 50 और 60 प्रतिशत मूल्यानुसार की दरों को बढ़ा कर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। दूसरी ओर, मेरा मौजूदा आयात शुल्क रियायतों के क्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव है, ताकि इलेक्ट्रानिक उद्योग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कच्ची सामग्री और संघटकों की 13 नई मदें और पूंजीगत उपस्करों की 45 नई मदें इसके अन्तर्गत आ जाएं। इन मदों पर लगने वाले सीमा शुल्कों की मौजूदा दरों को घटा कर, मशीनों तथा उपकरणों के मामले में, 35 प्रतिशत मूल्यानुसार करने, और कच्ची सामग्री और संघटकों के मामले में 55 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों से राजस्व को 13 करोड़ रुपए का निवल लाभ होगा।

ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मुक्त व्यापार क्षेत्रों के एककों के लिए अपने सारे उत्पादन का निर्यात करना हमेशा सम्भव नहीं होता, और इन क्षेत्रों में निर्मित वस्तुओं के कुछ भाग को देशी टैरिफ क्षेत्र में ले जाने की अनुमति देने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। यह फैसला किया गया है कि कुछ शर्तों के अध्यधीन, किसी एकक के 25 प्रतिशत के बराबर उत्पादन को उपयुक्त शुल्कों की अदायगी करके देश के अन्दर बिक्री अथवा इस्तेमाल के लिए ले जाने की अनुमति दे दी जाए। इस प्रयोजन से सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियमों में संशोधन करने के लिए वित्त विधेयक में उपबन्ध किया जा रहा है।

जहां तक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों का सम्बन्ध है, विशेष उत्पाद-शुल्कों को 1982-83 में वर्तमान दरों पर जारी रखने का प्रस्ताव है। विशेष उत्पाद-शुल्कों में दी जाने वाली मौजूदा छूटों को भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

जैसा कि पहले कहा है, मेरा बुनियादी दृष्टिकोण यह रहा है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से अतिरिक्त राजस्व अनिवार्यत: उत्पादन-वृद्धि से ही प्राप्त हो। मैं ऐसे उपायों का सहारा लेने से भी बच रहा हूं जिनका बहुत सी वस्तुओं की खुदरा कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है। अत:, मैंने करारोपण में वृद्धि के लिए केवल कुछ ही मदों को चुना है। इन मदों को चुनते समय, मैंने मांग और पूर्ति की स्थिति को, जिससे व्यापारियों को अनुचित मुनाफा हुआ है, समृद्ध लोगों के उपभोग की वस्तुओं पर ऊंची दर से कर लगाए जाने की गुंजाइश और कतिपय बुनियादी उद्योगों पर लागू उत्पाद-शुल्कों और सीमा-शुल्कों के ढांचे में फेर-बदल करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा है।

सरकार ने सीमेंट के सम्बन्ध में "लेवी" और "खुली" बिक्री की योजना और दोहरे मूल्यों वाली नीति शुरू करने का निश्चय किया है। नई योजना का ब्यौरा सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित किया जा रहा है। जनवरी, 1977 से सीमेंट के

बुनियादी उत्पाद–शुल्क के स्तर में, जो काफी नीचा है, कोई वृद्धि नई हुई है । यद्यपि इसके बाद से सीमेंट की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है । मैं साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजालाना सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट और चिनाई के काम आने वाले सीमेंट पर कुल उत्पाद–शुल्क को 71.50 रुपए प्रति मेट्रिक टन से बढ़ा कर 135 रुपए प्रति मैट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूं । सीमेंट की अधिक महंगी विशेष किस्मों पर ऊंची दरों पर शुल्क लगेगा । लघु सीमेंट संयंत्रों में उत्पादित सीमेंट पर लगाने वाले कुल प्रभावी उत्पादन–शुल्क को 100 रुपए प्रति मेट्रिक टन निर्धारित करने का प्रस्ताव है । मैं आयातित सीमेंट पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत का बुनियादी सीमाशुल्क और उसके साथ पूर्ण प्रतिकारी शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव करता हूं । आयातित सीमेंट पर कोई सहायक शुल्क नहीं लगेगा । इन प्रस्तावों से केन्द्रीय उत्पादन–शुल्क के अन्तर्गत 158.73 करोड़ रुपए और सीमा–शुल्कों के अन्तर्गत 39.60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । उत्पाद–शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि के परिणामस्वरूप सीमेंट के 50 किलोग्राम के बोरे की कीमत में 3.175 रुपए की वृद्धि हो जाएगी ।

पिछले कुछ समय से, धनी लोगों की पसन्द की कुछ महंगी इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ती हुई संख्या में किया जा रहा है । इस समय इन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत मूल्यानुसार 8 प्रतिशत की बहुत कम दर से शुल्क लगता है । अब मैं उत्पाद शुल्क टैरिफ में नई प्रविष्टियां करके वीडियो कैसेट रिकार्डरों और रीप्रोड्यूसरों दूरदर्शन कैमरों और वीडीओं केमेरों और ऐसी अन्य वस्तुओं पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत का बुनियादी उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं । स्पूल और कैसट किस्मों के खाली और भरे हुए वीडियो और श्रव्य टेपों और वीडियो डिस्कों पर भी मूल्यानुसार 25 प्रतिशत का बनियादी शुल्क लगाने का प्रस्ताव है । उन टेपों और डिस्कों आदि को, जिन पर वाणिज्यिक प्रयोजनों से रिकार्डिंग न की गई हो, छूट प्राप्त होगी । मैं कौशल और संयोग के खेलों वाली इलेक्ट्रानिक मशीनों पर, जिनमें दूरदर्शन खेलों और वीडियो खेलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रानिक मशीनें भी शामिल हैं, 40 प्रतिशत की अपेक्षाकृत ऊंची दर पर बुनियादी शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव करता हूं । इन प्रस्तावों से 3.83 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा ।

उन प्रसाधन वस्तुओं पर, जिनमें अल्कोहल न पड़ा हो, मूल्यानुसार 100 प्रतिशत की बुनियादी दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगता है, जबकि ऐसी उन वस्तुओं पर, जिनमें अल्कोहल हो, औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यानुसार 60 प्रतिशत की दर से अथवा 13.20 रुपए प्रति लिटर विशुद्ध अल्कोहल अंश की दर से, जो भी अधिक हो, उत्पाद शुल्क लगता है । ऐसा देखने में आया है कि इन विभेदी दरों के कारण कुछ अनुचित लाभ उठाया गया है । इसलिए मैं वैकल्पिक मूल्यानुसार दर को बढ़ा कर 100 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि दोनों किस्मों की प्रसाधन वस्तुओं को न्यूनाधिक रूप से एक समान रखा जाए । इस उपाय से 2.3 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है, जो राज्यों को मिलेगी ।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मार्च, 1981 के वस्त्र नीति प्रस्ताव में मानव-निर्मित रेशों और धागों पर लगने वाले राजस्व शुल्कों की समीक्षा करने की परिकल्पना की गई थी। यद्यपि कपड़े में रुई का स्थान सर्वोच्च बना रहेगा, लेकिन यदि हमने कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में मामूली सी वृद्धि करने के लिए, आयोजना में रखे गए लक्ष्य को भी प्राप्त करना है तो रुई और मानव–निर्मित रेशों और धागों के मिश्रणों के उपभोग में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देना जरूरी है । पिछले कुछ समय से, ऐसे ब्लेंडिड कपड़े, जिनमें पालिएस्टर रेशों का अनुपात इतना कम होता है कि उसके कपड़ों में अपेक्षित टिकाऊपन नहीं आ सकता और न ही उन में आसानी से पहने जाने वाले और धुलाई के गुण आ सकते हैं, बाजार में खूब मात्रा में आ रहे हैं, जिन पर ऐसी मोहरें लगी हैं जिन से जनता को धोखा दिया जा सकता है । पालिएस्टर रेशे का बेहतर उपयोग करने की दृष्टि से यह जरूरी है कि वांछित अनुपात के ब्लेंड वाले कपड़ों को प्रोत्साहन दिया जाए और ऐसे ब्लेंड वाले कपड़ों के उत्पादन को निरुत्साहित किया जाए जिनसे वास्तव में अभीष्ट प्रयोजन पूरा नहीं होता । इसलिए मैं मानव–निर्मित रेशों और धागों पर लागू करों में कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव करता हूं । मैं ब्लैंडिड सूती धागे और सेलूलोसी स्पन धागे पर, जिसमें भार के अनुपात में छठा हिस्सा पालिएस्टर रेशे का हो, वर्तमान 1.63 रुपए प्रति किलोग्राम के कुल औसत शुल्क भार को बढ़ा कर 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव करता हूं । ऐसे ब्लेंडिड धागे पर, जिसमें छठे हिस्से से अधिक लेकिन 50 प्रतिशत से कम पालिएस्टर रेशा हो, और जो भारतीय परिस्थितियों के लिए वांछनीय ब्लेंड हो, शुल्क का कुल भार 22.50 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 11.25 रुपए प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव है । इसी प्रकार 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक लेकिन 70 प्रतिशत से कम के पालिएस्टर रेशे वाले ब्लेंडिड कपड़े पर शुल्क के भार को 30 रुपए प्रति किलोग्राम से घटा कर 22.50 रुपए प्रति किलोग्राम किया जा रहा है । 70 प्रतिशत से अधिक पालिएस्टर रेशे के ब्लैंड वाले कपड़े के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

एक्रिलिक रेशे पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के कुल भार को 12.50 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ा कर 17.50 रुपए प्रति किलोग्राम करने और इसके साथ साथ आयातित रेशे पर प्रतिकारी शुल्क को 37.50 रुपए से घटाकर 30 रुपए प्रति किलोग्राम कर देने का प्रस्ताव है।

अब मैं विस्कस स्पेटल रेशे की तरफ आता हूं। इस पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को 3.125 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 4.00 रुपए प्रति किलोग्राम किया जा रहा है और पोलीनौसिक तथा हाई वेट माडूलस रेशे पर उत्पाद-शुल्क को 5.00 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 4.00 रुपये प्रति किलोग्राम किया जा रहा है।

एसिटेट फिलामेंट धागा, जो विकेन्द्रीकृत सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, देश में पर्याप्त मात्रा में तैयार नहीं किया जाता। इस धागे के आयात को सरल बनाने के लिए इस पर लगे 125 प्रतिशत सीमा-शुल्क को घटा कर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव है।

मेरा अन्य रेशों, जैसे एसिटेट रेशे और पालिएस्टर रेशे तथा अन्य फिलामेंट धागों जैसे विस्कस, नाइलन और पालिएस्टलर फिलामेंट धागो पर लागू उत्पादशुल्क या बुनियादी सीमा-शुल्क में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

इन प्रस्तावों से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों में 13 करोड़ रुपए की निवल हानि होगी और सीमा-शुल्कों में 12.94 करोड़ रुपए का लाभ होगा।

फिलहाल, मानव-निर्मित कपड़ों पर कोई बुनियादी उत्पाद-शुल्क नही लगता क्योंकि ऐसे शल्क रेशे और धागों पर लगे हुए हैं। इन कपड़ पर बिक्री-कर के बदले केवल अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगता है। यद्यपि उन कपड़ के मामले में, जिनका कारखाना वाह्य मूल्य 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक होता है, वर्तमान उपाद शुल्क को हरें उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं,लेकिन ऊंची कीमत के कपडों के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क की दर एक समान 5½ प्रतिशत मूल्यानुसार है। कीमतों के इस वर्ग में ऐसे बढत से ऊंची कीमतों के कपड़े हैं जो समाज के समृद्ध लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और इसलिए इन कपड़ों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क में साधारण-सी वृद्धि की जा सकती है। अत: मैं शुल्क दर के ढांचे में इस प्रकार वृद्धि करना चाहता हूं जिससे 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर से अधिक के कारखाना वाह्य कीमती वाले कपड़ों पर ½ प्रतिशत मूल्यनुसार शुल्क लगा दिए जाएं। इस प्रस्ताव से 35 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व का अनुमान है जो राज्यों को मिलेगा। यह प्रस्ताव राज्यों के प्रति केन्द्र वचनबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक और कदम होगा जिसके अनुसार निकासियो के मूल्य के प्रतिशत के रूप में बिक्री-कर के बदले लगाए जाने वाले अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के समचे अनुपात में वृद्धि की जाएगी। मुझे विश्वास है कि संसद और राज्य इस कदम का हार्दिक स्वागत करेंगे।

सूत, सेल्यलोसी और पालिएस्टर के ब्लेंडिड कपड़ों पर उत्पाद-शुल्कों में जो परिवर्तन किए गए हैं, उनका कुल प्रभाव यह होगा कि वांछनीय ब्लेंडों के कपड़े की कीमतें कम हो जाएंगी और कम वांछनीय ब्लेंडों के अन्य कपड़ों की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी।

मैंने टैरिफ नाम-सूची का सरलीकरण करने और उसमें अधिक स्पष्टता लाने और इस प्रकार वर्गीकरण सम्बन्धी विवादों को गुंजाइश को न्यूनतम करने के उद्देश्य से वित्त विधेयक में कुछ उपबन्ध किए हैं। ये राजस्व उपाय में वृद्धि करने के लिए नहीं किए गए हैं। लेकिन वर्गीकरण में परिवर्तन होने के कारण कुछ राजस्व प्राप्त होगा। इन प्रस्तावों के अन्तर्गत, अन्य वस्तुओं के साथ-साथ मुख्य पैट्रोलियम उत्पाद, कृत्रिम और संश्लिष्ट रेसिन एवं प्लास्टिक सामग्री आ जाएगी।

मेरा कागज और गत्ते से संबंधित शुल्क दरोंको युक्तिसंगत बनाने और उनके ढ़ांचे में परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है। इसका मुख्य उद्देय छोटे पैमाने पर का गज का संपवर्तन करने वालों को उत्पाद शुल्क की अदायगी से छूट देना और उन्हें इसके परिणामस्वरूप राजस्वमें होने वाली हानि को पूरा करने के लिए, मैं औद्योगिक किस्म के कागज और गत्ते पर बुनियादी उत्पाद शुल्क में 2½ प्रतिशत मूल्यानुसार की थोड़ी सी वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। लेकिन कुछ उच्च मूल्यवर्धित वर्गों वाले संपरिवर्तित कागजों पर 32½ प्रतिशत मूल्यानुसार का बुनियादी उत्पाद शुल्क लगान का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, कागज और गत्ते की बनी विनिर्दिष्ट वस्तुओं को टैरिफ मदों की परिधि में लानेका प्रस्ताव है, लेकिन शुल्क को प्रभावशाली ढंग से मुद्रित कार्टनों और मुद्रित डिब्बों तक ही सीमित रखा जाएगा।

हाल के वर्षों में, निवेश्य वस्तु उत्पाद शुल्क राहत को योजना कुछ विनिर्दिष्ट औद्योगिक उत्पादों पर भी लागू कर दी गई है। मैं निवेश वस्तु उत्पाद शुल्क संबंधी इस राहत को संश्लिष्ट रबड़, कार्बन और टायरों के उत्पादन में काम आने वाले रबड़ को संसाधित करने वाले रसायनों पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। राजस्व में की हानि को पूरा करने के लिए, टायरों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 60.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 66 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। हालांकि ट्रक्टरों और स्कटरों के टायरों को भी निवेश्य वस्तु उत्पाद शुल्क राहत का लाभ मिलेगा लेकिन मेरा उन पर अन्तिम शुल्क की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है। चूंकि इसका आशय सन्तुलन बनाए रखना है, इसलिए इससे कोई अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नही होगा।

जैसा कि सदन को मालूम है, ऐल्यूमिनियम धातु की निर्धारित कीमत, निवेश्य वस्तुओं की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर बढ़ा दी जाती है। उत्पाद शुल्क के भार को सीमित रखने के लिए, मात्रानुसार शुल्क लगाने प्रस्ताव है। दरें इस प्रकर होंगी—इक्ट्रोलिटिक ग्रेड के डलों पर 3085 रुपए, बिल्लियों (बिलेट) पर 3125 रुपए, प्राथमिक उत्पादत द्वारा उत्पादितातर की छड़ों पर 3330 रुपए और तार छड़ों पर 3280 रुपए। प्रतिकारी शुल्कों को दरों में कोई परिवर्तन नही किया जाएगा। इस प्रस्ताव से राज्य बिजली बोर्ड को कुछ राहत मिलेगी।

करों से बचने को रोकने के उपाय के रूप में, चपटे (लैट) कांच पर वर्तमान मूल्यानुसार शुल्क के साथ-साथ प्रति मिलीमीटर मोटे प्रति वर्गमीटर के हिसाब से 5.50 रुपए की दर से मात्रानुसार शुल्क भी लगाने का प्रस्ताव करता हूं। चपटे कांच की विभिन्न किस्मों के लिए शुल्क की प्रभावी दरें निचले स्तर पर निर्धारित की जा रही हैं।

सरकार को ब्रांड वाली और बिना ब्रांड वाली को बीड़ियो पर लागू उत्पाद शुल्क की वर्तमान विभेदी दरों के कार बीड़ी उद्योग में कदाचार का आरोप लगाने वाले अभ्यावेदन बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। कई राज्य सरकारों और संघों अनुरोध किया है कि यह भेद समाप्त किया जाना चाहिए। इसी किस्म का सुझाव श्रम मंत्रियों की हाल में हुई बैठक में भी दिया गया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं शुल्क की वर्तमान विभेदी दरों को समाप्त करने और ब्रांड वाली तथा बिना ब्रांड की दोनों किस्मों को बीडियों पर 3.60 रुपए प्रति 1000 की समान दर से मिला-जुला शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ, शुल्क से छूट की हकदार बिना ब्रांड की बीडियों की वर्तमान मात्रा भी एक वित्तीय वर्ष में 30 लाख से घटा कर 20 लाख की जा रही है। इसके बावजूद, आत्म-नियोजित पारिवारिक यूनिट, छोटे दकानदार आदि अब भी कर के जाल से बाहर रहेंगे।

72 विनिर्दिष्ट समूहों की वस्तुओं के छोटे निर्माताओं पर लागू सामान्य उत्पाद शुल्क रियायत योजना एस्बेस्टस रेशे और धागे के निर्माताओं पर भी लागू की जा रही है। यह देखा गया है कि वातित जल (एयरेटेड वाटर) के लोकप्रिय ब्रांडों पर उत्पाद शुल्क से बचने के लिए इस योजना का कुछ दुरूपयोग किया गया है। इसलिए, मैं एयरेटड वाटर को इस सामान्य योजना के क्षेत्र से बाहर लागू और इसके लिए नई योजना बनाने का प्रस्ताव करता हूं। लेकिन, छोटे निर्माताओं को, जो अपने उत्पादों की बिक्री अपने ब्रांड या व्यापारिक नाम से करते हैं निश्चय ही वर्तमान योजना के अन्तर्गत मिलने वाला लाभ प्राप्त होता रहेगा। लेकिन ऐसे निर्माता जो किन्ही ब्रांडों या व्यापारिक नामों के मालिकों के साथ किए गए करारों के अनुसार किन्ही ब्रांडों या व्यापारिक नामों के अन्तर्गत एयरेटेड वाटर का उत्पादन करने या बोतलों में भरने का काम करते हैं, यह रियायत पाने के हकदार नहीं होंगे। यह भी विशुद्ध रूप से करों से बचने को रोकने का उपाय है।

इसी प्रकार यह प्रतीत होता है कि उस सामान्य योजना का, जिसका जिक्र पहले किया गया है, संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक पदार्थों के कुछ छोटे निर्माताओं द्वारा दुरूपयोग किया गया है। वर्तमान योजना के अन्तर्गत 7½ लाख रुपए तक की निकासी के लिए पूरी छूट दी जाती है और अतिरिक्त 7½ लाख रुपए पर संगठित सेक्टर पर लागू शुल्क दर के तीन चौथाई की दर से शुल्क लगता है। रंजक पदार्थों पर शुल्क को अपेक्षाकृत ऊंची दर को देखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ रंजक पदार्थों के उत्पादन को तकनीकतुलनात्मक रूप से वसूल है, ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे एककों की संख्या बहुत बढ़ गई, जिसके परिणामस्वरूप क्वालिटी पर और कुल मिलाकर उद्योग पर और निर्यात पर भी हानिकर प्रभाव पड़ा है। इसलिए मैं रंजक पदार्थों को सामान्य योजना की परिधि से बाहर निकालने का प्रस्ताव करता हूं। एक नई योजना के अन्तर्गत जो रंजक पदार्थों के सम्बन्ध में घोषित की जा रही है, बहुत छोटे निर्माताओं को, जिनकी निकासी 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नही होगी, उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी। अन्य छोटे निर्माताओं के मामले में, 15 लाख रुपए तक के रंजक पदार्थों की निकासी पर संगठित सेक्टर के लिए लागू शुल्क की 50 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा। सभी निर्माताओं को उत्पाद शुल्क के नियंत्रण के अधीन लाया जाएगा। राहत की वर्तमान योजना के मौलिक तत्व को, कुल मिलाकर, नई योजना के अन्तर्गत भी कायम रखा गया है।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

इस समय, लघु सेक्टर में निर्मित विनिर्दिष्ट उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक वस्तुओं पर सामान्य दरों से कम दरों पर शुल्क लगाया जाता है। शुल्क की इस रियायत को वास्तविक छोटे निर्माताओं तक सीमित रखने के लिए, शुल्क में छूट की इस योजना को उन निर्माताओं तक सीमित रखने का प्रस्ताव है, जिनका कुल वार्षिक कारबार 2 करोड़ रुपए से अधिक न हो।

जहां तक दियासलाई उद्योग का संबंध है, मेरा वर्तमान शुल्क ढांचे में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये छोटे निर्माता, जिनकी निकासी पिछले वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ दियासलाइयों से अधिक नहीं थी, वित्तीय वर्ष में 12 करोड़ दियासलाइयों तक की निकासों पर प्रति पुरुष डिबियों पर 1,60 रुपए के शुल्क की रियायती दर के हकदार बने रहेंगे। यदि दियासलाई उन निर्माताओं के लेबलों के अन्तर्गत बाजार में भेजी जाएंगी जो 4.50 रुपए या 7.20 रुपए की दर से शुल्क अदा करते हैं तो यह रियायत नहीं दी जाएगी।

जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है, सरकार उत्पाद शुल्क तंत्र का उपयोग दियासलाई उद्योग के कुटीर सेक्टर के विकास को प्रबल प्रोत्साहन देने के लिए करती रही है। लेकिन दरमियाने सेक्टर के कई निर्माताओं ने कुटीर सेक्टर को उत्पाद शुल्क में रियायत देने की स्कीम को न्यायालयों में चुनौती दी है और अपने हक में फैसला ले लिया है। इसके परिणामस्वरुप दरमियाने सेक्टर के एककों को शुल्क की बहुत बड़ी राशियों को वापसी करनी पड़ सकती है। चूंकि ऊंची दर के शुल्क के भार को करोड़ों उपभोक्ताओं पर पहले ही डाला जा चुका होगा, इसलिए इन शुल्कों की वापसी का परिणाम यही होगा कि इस सेक्टर के निर्माता अनुचित रुप से धनी हो जाएंगे। इस सम्भावना को रोकने के लिए वित्त विधेयक में उपबन्ध किया गया है।

निकट भूत में सह-शुल्क कीमत से उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्धारण मूल्य को तय करने के बारे में कुछ विवाद उत्पन्न हो गए थे, जिसके कारण काफी मुकदमेबाजी हुई। इसके परिणामस्वरूप राजस्व की काफी बड़ी राशि अवरुद्ध हो गई। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 4 में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि सह-शुल्क कीमत से कटौती-योग्य उत्पाद शुल्क की राशि की गणना करते समय निर्धारण के अधीन वस्तुओं पर देय प्रभावी उत्पाद शुल्क की रकम को ही हिसाब में लिया जाएगा। इस संशोधन को 1 अक्तूबर, 1975 की पिछली तारीख से लागू किया जा रहा है।

यह काफी देर से चली आ रही प्रणाली है कि किसी कारखाने के अन्दर उपभोग (कैप्टिव कन्जम्पशन) के लिए इस्तेमाल की गई ऐसी वस्तुओं पर, जिनका उत्पादन उसी कारखाने में किया गया हो, उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है। लेकिन कुछ उच्च न्यायालयों के फैसले के परिणामस्वरुप, यह स्थिति कुछ संदिग्ध बन गई थी; इन फैसलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के कुछ उपबन्धों का अर्थ-निर्णय करते हुए यह निर्णय दिया गया था कि ऐसी वस्तुओं पर शुल्क वसूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे वस्तुएं कारखाने से 'हटाई' नहीं गई थी; कई निर्माताओं ने इन्हीं बातों के आधार पर न्यायालयों से स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिए हैं। इस मामले में अपील की गई है। लेकिन स्थिति को असंदिग्ध बनाने के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली के संगत नियमों को उपयुक्त रुप से संशोधित कर दिया गया है। वित्त विधेयक में भी ऐसा उपबन्ध कर दिया गया है जिससे ये संशोधन पिछली तारीखों से लागू होंगे और मौजूदा पद्धति के अनुसार शुल्क की जो वसूलियां की गई थी, वे विधिमान्य हो जाएंगी।

जैसाकि सदन को ज्ञात है, प्रधान मंत्री द्वारा वर्ष 1982 को "उत्पादकता वर्ष" की संज्ञा दी गई है। आशा है कि बुनियादी ढांचे को सुविधाओं में सुधार होने से चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में और वृद्धि होगी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजस्व तंत्र का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इस उद्देश्य से, मेरा 1 मार्च 1982 से शुरू होने वाली और 28 फरवरी, 1983 को समाप्त होने वाली 12 महीनों की अवधि में वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्पादन शुल्कों में रियायतें देने की एक योजना बनाने का प्रस्ताव है। इस योजना में 38 टैरिफ मदें शामिल होंगी, जिनमें बुनियादी कच्चा माल, अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक निवेश्य वस्तुएं और कुछ तैयार वस्तुएं शामिल होंगी। इनमें से कुछ वस्तुएं वे हैं : कास्टिक सोडा, उर्वरक, संश्लिष्ट रेजिन, इस्पात के ढले

और इस्पात के उत्पाद, अन्तर्दहन इंजन, तार और केबल, दो और तीन पहियों वाले मोटर यान, हल्की और भारी वाणिज्यिक गाड़ियां, ट्रैक्टर, रेलवे वैगन, मानव-निर्मित रेशे और फिलामेंट यार्न, टायर और लिखाई और छपाई का कागज । पूरी सूची बजट-पत्रों में देखी जा सकती है । इस योजना के लाभ केवल उन मामलों में प्राप्त होंगे, जहां उपर्यक्त 12 महीनों की अवधि में उत्पादन, आधार अवधि अर्थात 28 फरवरी, 1982 को समाप्त होने वाले-12 महीनो में हुए उत्पादन के 110 प्रतिशत से अधिक होगा । ऊपर बताए गए तरीके से संगणित अतिरिक्त उत्पादन पर शल्क की रियायत, उन वस्तुओं के मामले में, जिनके शुल्क की दर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत अथवा उससे कम हो, अदा किए गए शल्क की कुल राशि के के बराबर और अन्य वस्तुओं के मामले में अदा किए गए शुल्क 110 के बराबरी दी जाएगी । समूची अवधि के लिए इस प्रकार संगणित राशि जमा के रूप में रखी जाएगी और उसका उपयोग 1983-84 के वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी के लिए किया जा सकता है ।

यह योजना छोटे पैमाने के निर्माताओं पर भी लागू होगी जो वास्तव में शुल्क अदा करते हैं । यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि ऐसे छोटे एकक जो संगत उत्पाद शुल्क रियायत स्कीमों के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं और वर्ष 1981-82 में सबन्धित कट आफ प्वाइंट्स के अन्तर्गत आते हैं, 1983-84 में भी उक्त लाभ प्राप्त करने के पात्र रहेंगे, चाहे वे उत्पादकता वर्ष में पात्रता की सीमाओं से अधिक वस्तुओं का उत्पादन और निकासी करते हों ।

मुझे विश्वास है कि उद्योग अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और सरकार की इस उदारता के प्रति उनकी प्रतिक्रिया अनुकूल होगी तथा वे उत्पादन के नए शिखर प्राप्त करेंगे । चूंकि अधिक उत्पादन से सरकार को भी उत्पाद-शुल्कों को अधिक प्राप्ति के रुप में लाभ होगा, इसलिए मैं प्रस्तावित रियायत के कारण राजस्व में किसी हानि को हिसाब में नहीं ले रहा हूं ।

मैंने पहले ही समाज के दरमियाने दर्जे के और गरीब वर्गों पर अपने प्रस्तावों के प्रभाव को कम से कम करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है । इस दिशा में, मैं और आगे जाने तथा उन वस्तुओं पर कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव करता हूं जिनका उन वर्गों से विशेष सम्बन्ध है । मैं आम उपभोग की को उत्पाद शुल्कों से अशांशिक या पूर्ण रूप से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं । इन में से कुछ उत्पाद छात्रों से सम्बन्धित हैं और कुछ सामान्य उपयोग के है और कुछ ऐसे हैं जो अपंगों के काम के और इन में से एक वस्तु ऐसी है जो बागवानी के काम की है । मैं पेंन्सिलो, इरेजरों, पैनों और बाल प्वाइन्टपेनों और रिफिलों, प्रयोगशाला में काम आने वाले कांच के सामान, इनेमल के बर्तनों, थर्मस फ्लासकों और उनके हिस्सो, वाटरकूलरों मोम बत्तियो, टूथ ब्रशों, चश्मों (अध्यक्ष महोदय : क्या इन में शीशे अभिप्रेत है ?) और चश्मों के फ्रेमों, एक दिन के आलामी वाली घड़ियो, घरेलू पानी फिल्टरों, हैंड पम्पों, ड्रेल टाइपराइटरों, अपंगों के लिए गाड़ियों और हैलमेटों को उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट का प्रस्ताव करता हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : परंतु आपने कागज के मामले में छूट नहीं दी है । क्या फायदा ?

श्री प्रणव मुखर्जी : इसके अतिरिक्त मैं फलों और सब्जियों के विनिर्दिष्ट उत्पादों पर बुनियादी उत्पाद-शुल्कों को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं । मैं पूरी छूट के प्रयोजन से जूतों के प्रति जोड़े की वर्तमान कीमत को 15 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति जोड़ा करने का प्रस्ताव करता हूं । लाख को भी पूरी छूट दी जा रही है । दूध को लेमिनेटिड कागज के पैकेटों में बेचे जाने में पैक करन की लाख को कम करने के उद्देश्य से, मेरा कागज के इन पैकों के निर्माण में भारतीय डेरी कारपोरेशन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कागज और कम घनत्व वाली पोलीथीलीन फिल्म की उत्पाद उत्पाद से छूट देने का प्रस्ताव है । इस उपाय से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में दूध का विपणन पेपर पैकों में किया जा सकेगा, जिनकी शल्फ आयु अपेक्षाकृत अधिक लम्बी होती है; इससे दूध की अधिक पैदावार वाले मौसमों में उत्पादित अतिरिक्त दूध का पूरा उपयोग करने में भी सहायता मिलेगी ।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : समो की टाइप के बारे में क्या किया ? क्या फायदा ?

श्री प्रणव मुखर्जी : चिन्ता न करें । कुछ और । इस समय 75 सी०सी० तक की इंजन क्षमता वाले मोपेडो पर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार की घटी हुई दर पर उत्पाद शुल्क लगता है । ईंधन की बचत करने वाला यह वैयक्तीकृत वाहन विशेष रुप से शहरो और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर अधिकाधिक लोकप्रिय

[श्री प्रणब मुखर्जी]

होता जा रहा है। मैं 100 सी० सी० तक की इंजन क्षमता वाले मोपेडों को भी यह रियायत देने का प्रस्ताव करता हूं। यह आशा की जाती है कि उनसे ईंधन की और अधिक बचत होगी।

मैंने इससे पहले मानव-निर्मित रेशों और धागों पर लगे राजस्व शुल्कों की समीक्षा के परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्कों और सीमा शुल्कों में किए गए कतिपय समायोजनों का उल्लेख किया था। इस समय हथकरघा सेक्टर में लगभग 120 लाख मीटर ब्लैंडड कपड़े का उत्पादन होता है। इस उद्देश्य से कि हथकरघा सेक्टर के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो सके, मैं हथकरघों पर बुने गए पालिएस्टर मिश्रित कपड़े को प्रोसेसिंग की अवस्था में लगने वाले उत्पाद शुल्कों से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं, यदि उनका प्रोसेसिंग राज्यों के हथकरघा विकास निगमों द्वारा अथवा इस सम्बन्धों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित शीर्ष सहकारी समितियों द्वारा स्थापित कारखानों में किया जाए। इस रियायत से राजस्व में 4 करोड़ रुपए की कमी होगी। इस बात को देखते हुए कि मानव निर्मित मेटलाइज्ड फिलामेंट धागे का इस्तेमाल साड़ियों और ऐसे ही अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है, मैं इस धागे को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इस रियायत का मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : हम जानते हैं यह किस के लिए है।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैंने उत्पाद शुल्कों सम्बन्धी जिन रियायतों का अभी अभी उल्लेख किया है, उनसे राजस्व में पूरे एक वर्ष में कुल 13.77 करोड़ रुपए की कमी होगी।

जिन मामलों में 28 फरवरी, 1982 से प्रभावी अधिसूचनाओं के जरिए परिवर्तन किए जाने हैं, उनमें अधिसूचनाओं की प्रतियां यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

मेरे प्रस्तावों से उत्पाद शुल्कों से 196.18 करोड़ रुपए और सीमा शुल्कों से 391.35 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होगी। औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम के अन्तगत शुल्कों से एक पूरे वर्ष में 2.30 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। इन सभी प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में, कुल मिलाकर, केन्द्र को 487.60 करोड़ रुपए और राज्यों को 102.23 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होगी।

अब मुझे अपने सम्मानित सहयोगी, संचार मंत्री की ओर से कुछ कहना है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वडागरा) : उन्हें इतनी शर्म आ रही है।

श्री प्रणब मुखर्जी : जैसे कि सदन को ज्ञात है, पिछले कई वर्षों के दौरान डाक सेवाओं का विस्तार समूचे देश भर में कर दिया गया है। देश में 1,40,000 से अधिक डाकघर हैं। यह एक भारी रोजगार-प्रधान सेवा है। इसके अन्तर्गत 5.6 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें विभागेतर कर्मचारी भी शामिल हैं। इसलिए डाक विभाग के प्रचालन व्यय में वेतन और मजदूरी का भाग बहुत बड़ा है। इस समय डाक सेवा बहुत कम मूल्य पर प्रदान की जाती है और दरें बहुत सी सेवाओं की प्रत्यक्ष लागत को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों के दिए जाने और अन्य प्रचालन व्ययों में वृद्धि हो जाने से इन लागतों में और भी अधिक बढ़ोतरी हो गई है। इसलिए मुद्रित पोस्ट कार्ड की कीमत को 20 पैसे से बढ़ा कर 25 पैसे, लेटर कार्डों की कीमत 25 पैसे से बढ़ाकर 35 पैसे और सबसे कम भार-खंड वाले लिफाफों की कीमत को 35 पैसे से बढ़ा कर 50 पैसे करने का प्रस्ताव है **(व्यवधान)**। साधारण पोस्ट कार्ड की, जिसका इस्तेमाल सामान्य तौर पर आम आदमी द्वारा किया जाता है, दर में कोई वृद्धि नहीं होगी, हालांकि इस सेवा से प्रति वर्ष लगभग 20 करोड़ रुपए की हानि होती है।

श्री एम० एन० लारेंस : अन्य चीजों का प्रयोग केवल टाटा और बिरला ही करते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : बुक-पोस्ट की वस्तुओं के शुल्क को भी 25 पैसे से बढ़ा कर 30 पैसे करने का प्रस्ताव है। कई वर्षों से एक रजिस्टर्ड समाचार पत्र की डाक दर 2 पैसे के बहुत निचले स्तर पर बनी हुई है। इसे ऊंचे भार-खंडों के लिए यथोचित समायोजनों के साथ, एक समाचार पत्र के लिए 5 पैसे निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इस वृद्धि के बावजूद, समाचार पत्र सेवा से प्रति वर्ष 7 करोड़ रुपए तक की हानि होगी।

प्रस्तावित शुल्कों की जानकारी देने वाला एक ज्ञापन बजट-पत्रों के साथ परिचालित किया जा रहा है। ये परिवर्तन संसद द्वारा वित्त विधेयक को पारित कर दिए जाने के बाद अधिसूचित की जाने वाली तारीख से लागू होंगे। इन परिवर्तनों से एक पूरे वर्ष में 35.33 करोड़ रुपए की और 1982-83 में लगभग 26 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है।

मैंने बताया था कि कराधान की मौजूदा दरों पर बजट का घाटा 2085 करोड़ रुपए होगा। अब प्रस्तावित विभिन्न कर उपायों तथा राहतों और रियायतों से, कुल मिलाकर, 1982-83 के दौरान केन्द्र को 470 करोड़ रुपए का और राज्यों को 63 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा, राज्यों को औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर शुल्क में वृद्धि किए जाने से 2 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। मैं पूंजी निवेश बांडों से, जिनका उल्लेख मैंने पहले किया था, 250 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगा रहा हूं। इससे 1982-83 में 1365 करोड़ रुपए का घाटा बच जाएगा, जिसकी पूर्ती के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और जो चालू वर्ष के अनुमानित घाटे से काफी कम है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्थ-व्यवस्था में अधिक बचत, निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नीतियों का एक ढांचा प्रस्तुत किया है। आयोजना परिव्यय में विशेषत: उन सेक्टरों के आयोजना परिव्यय में भारी वृद्धि की गई है, जिन पर 20-सूत्री कार्यक्रम में बल दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इन सभी खर्चों के बावजूद, बजट के घाटे को उचित सीमा से बढ़ने नहीं दिया गया है। ऐसा करने के लिए साधन जुटाने के उपाय करना अपरिहार्य था। फिर भी, मैंने यह ध्यान रखा है कि नए साधन मुद्रास्फीतिकारी दबाव डाले बिना जुटाए जाएं। मैंने विशेष रूप से कम और मध्यम आय वर्गों पर बोझ डालने से बचने की कोशिश की है। यह बजट उन सब के लिए चुनौती है, जो हमारी विकास आयोजना को क्रियान्वित करने से सम्बन्धित हैं। इसके जरिए किसानों, उद्योगों और श्रमिकों को उत्पादकता बढ़ाने, व्यापारियों को स्वास्थ विपणन और वितरण की सुनिश्चित व्यवस्था करने और वस्तुत: हमारी सारी जनता, सैनिकों और नागरिकों को राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा के दोहरे कार्यों में कंधे से कंधा मिला कर आगे बढ़ने का आमंत्रण दिया गया है।

महोदय, इन शब्दों के साथ में यह बजट सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

वित्त विधेयक, 1982

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक, 1982 पुर:स्थापित हुआ। अब सभा 1 मार्च, 1982 को 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

6.42 तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 1 मार्च, 1982/10 फाल्गून, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।